mudra

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-20

विषय-सूची

परिदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य	01
अध्यक्ष का संदेश	02
निदेशक मंडल	03
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पाँच वर्ष	04
निदेशकों की रिपोर्ट	13
'ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखा रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2016' के अंतर्गत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	33
स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	35
तुलनपत्र	42
लाभ हानि विवरणी	43
नकदी प्रवाह विवरणी	44
ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणी	46
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - पृथक वित्तीय विवरणियाँ	47
वित्तीय विवरणियों के नोट्स	59
नोटिस	92

ध्येय

आर्थिक सफलता तथा वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ एवं मूल्य आधारित उद्यमिता-संस्कृति निर्मित करना.

परिदृष्टि

पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये एकीकृत वित्तीयन एवं सहायता सेवा-प्रदाता बनना, जो सर्वोत्कृष्ट होने के साथ साथ विश्व स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों तथा मानकों के अनुरूप हो.

उद्देश्य

हमारा मूल उद्देश्य साझीदार संस्थानों को समर्थन और प्रोत्साहन देकर सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के लिए विकास का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर समावेशी और टिकाऊ तरीके से विकास सुनिश्चित करना है।

अध्यक्ष महोदय का संदेश

इस वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) तथा माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) के सफल परिचालन के पाँच वर्ष पूरे हुए हैं और मुझे वित्तीय वर्ष 2019-20 (वि. व. 2020) के दौरान मुद्रा के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातों को आपके सामने रखते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है.

विगत वर्ष

पीएमएमवाई जोकि भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, "वित्त वंचितों के वित्तीयन" के अपने एजेंडा पर निरंतर मजबूती के साथ अग्रसर है. यह योजना सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाती है और उन्हें बैंकों, ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के माध्यम से शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणियों के अंतर्गत कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराती है. इन श्रेणियों से लाभार्थी सूक्ष्म इकाई / उद्यमी के विकास के चरणों और उनकी वित्त संबंधी आवश्यकताएँ भी परिलक्षित होती हैं और उनकी अभिवृद्धि के अगले चरण का संदर्भ बिंदु भी उपलब्ध कराती हैं. वि. व. 2019-20 के दौरान, पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल मंजूरियाँ ₹ 3.37 लाख करोड़ रहीं जोकि ₹ 3.25 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था और इससे 6.22 करोड़ लाभार्थी खाते लाभान्वित हुए. यह योजना समाज के कमज़ोर वर्गों, यथा अनु. जा/ अनु जन जा. / अ.पि.व./ महिला उद्यमियों, इत्यादि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हुई है.

मुद्रा बैंकों, एनबीएफसी तथा एमएफआई को उनके द्वारा प्रदत्त पीएमएमवाई ऋणों के लिये पुनर्वित्त सहायता निरंतर उपलब्ध करा रहा है जिससे कि इस कमज़ोर क्षेत्र को वित्त प्रवाह सुनिश्चित होता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मुद्रा लि. ने ₹ 4,812 करोड़ की राशि मंजूर की तथा ₹ 4,000 करोड़ की राशि संवितरित की.

वित्तीय वर्ष 2019-20 वित्तीय समावेशन का वर्ष रहा है जिसके दौरान एनबीएफसी तथा एमएफआई के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दिया गया. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनबीएफसी तथा एमएफआई के अंतर्गत 12 इकाइयों को कुल ₹ 1,436 करोड़ का पुनर्वित्त मंजूर किया गया था जोकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बढकर 38 इकाइयों को ₹ 2,389 करोड़ हो गया. एमएफआई के पुनर्वित्तीयन में विगत वर्ष की तुलना में 132% की वृद्धि हुई तथा विगत वर्षांत में एमएफआई उधारकर्ताओं की संख्या 23 थी जोकि यथा 31 मार्च, 2020 को 35 हो गई. इसी प्रकार, विगत वर्षांत पर जहाँ 10 एनबीएफसी को पुनर्वित्त प्रदान किया गया था, 31 मार्च, 2020 को इनकी संख्या बढकर 12 हो गई.

परिचालनों से इसकी आय में 29% की वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान परिचालनों से आय ₹ 860.93 करोड़ थी जोकि 2019-20 के दौरान बढकर ₹ 1,111.90 करोड़ हो गई. निवल लाभ में भी वृद्धि हुई तथा ये वर्ष 2018-19 के ₹ 33.48 करोड़ से बढकर ₹ 219.82 करोड़ हो गया.

भावी परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 का पदार्पण कोविड महामारी तथा इसके कारण किये गये लॉकडाउन की काली छाया में हुआ है. कहना आवश्यक नहीं कि सूक्ष्म क्षेत्र के छोटे छोटे व्यवसायों पर इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पडा है. भारत सरकार इस चुनौती का पूरी शक्ति के साथ सामना करने को उद्यत है और उसने अर्थव्यवस्था में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा आर्थिक गतिविधियों को, जोकि लॉकडाउन के दौरान लगभग बंद हो गई थी, पुन: पटरी पर लाने के लिये के लिये अनेक उपायों की घोषणा की है. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में गतिविधियों को पूर्ववत बहाल करना है. इसी तरह, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों को घटाया है तथा सभी उधारकर्ताओं के लिये ऋण अधिस्थगन अवधि की घोषणा की है ताकि उन्हें ऋणों की अदायगी में आसानी हो सके.

निष्कर्ष

पिछले 5 वर्षों के दौरान, मुद्रा ने सूक्ष्म उद्यमों पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहित करना जारी रखा है।

मैं सिडबी, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित समस्त हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग के लिये तथा टीम मुद्रा को उनके निष्ठापूर्ण कार्यनिष्पादन के लिये धन्यवाद देता हूँ.

मोहम्मद मुस्तफ़ा
अध्यक्ष

निदेशक मंडल

श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा - आईएएस

अध्यक्ष
पद समाप्ति - 27 अगस्त, 2020

श्री पंकज जैन, आईएएस

नामिती निदेशक, भारत सरकार
पद समाप्ति - 30 जनवरी, 2020

श्री सुचिंद्र मिश्र, आईएएस

नामिती निदेशक, भारत सरकार
नियुक्ति - 19 फरवरी, 2020

श्री अजय कुमार कपूर

नामिती निदेशक सिडबी
पद समाप्ति - 31 अक्टूबर, 2019

श्री मनोज मित्तल

नामिती निदेशक सिडबी

श्री वसंतराव सत्य वेंकटराव

नामिती निदेशक सिडबी
नियुक्ति - 26 जून, 2020

सुश्री ज्योत्स्ना सित्लिंग- आईएफएस

ग़ैर कार्यकारी निदेशक
पद समाप्ति - 11 नवम्बर,2019

श्री पिलारिसेत्ती सतीश

स्वतंत्र निदेशक

श्री अरविंद कुमार जैन

स्वतंत्र निदेशक

श्री हर्ष श्रीवास्तव

स्वतंत्र निदेशक
पद समाप्ति - 31 जुलाई, 2020

श्रीमती स्मिता अफ़िनवाला

स्वतंत्र निदेशक
नियुक्ति - 4 जून, 2020

श्री आलोक गुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पाँच वर्ष

- पिरामिड के निम्नतम स्तर को निरंतर सहायता

24.48 करोड़
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ता खातों में
₹12.30 लाख करोड़
की संचयी ऋण सहायता

68% खाते महिला लाभार्थियों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ी जातियों के **51%** खातों के माध्यम से निर्बल वर्ग की ऋण आवश्यकता की पूर्ति

वित्त-विहीन सूक्ष्म उद्यम तथा लघु व्यवसायों के वित्तपोषण हेतु प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ने अपने परिचालनों के पाँच वर्ष पूरे कर लिये हैं. इन पाँच वर्षों के दौरान 24.48 करोड़ उधारकर्ता खातों में कुल ₹ 12.30 लाख करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई जिसके माध्यम से मुख्यत: समाज के निर्बल वर्गों के उधारकर्ता लाभान्वित हुए.

ऋणदात्री संस्थाएँ, जिनमे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, अल्प वित्त संस्थाएँ तथा ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं, ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि अर्जित की है.

पीएमएमवाई : लक्ष्य एवं उपलब्धि

(राशि ₹ लाख करोड़)

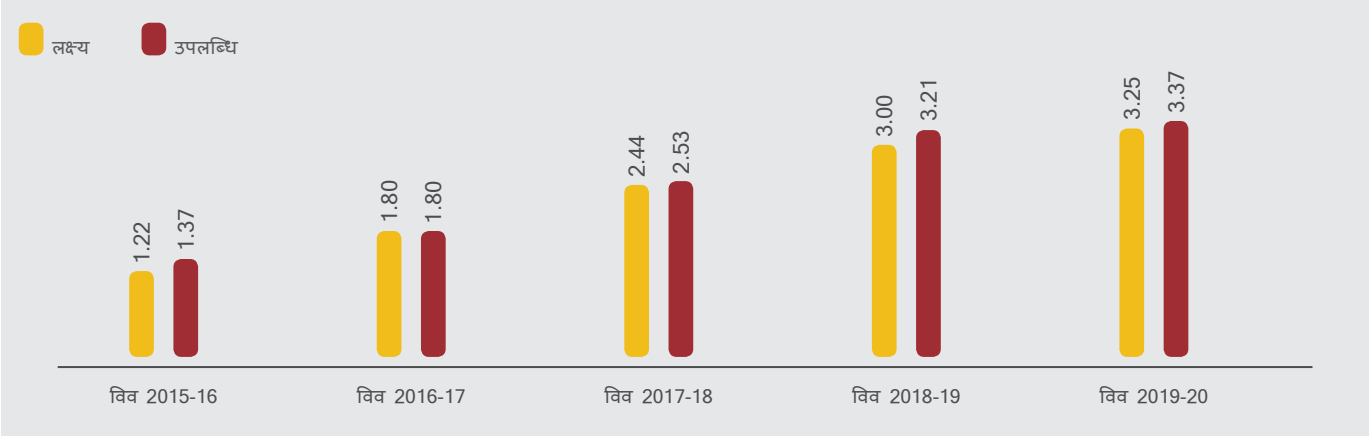

इन पाँच वर्षों के दौरान माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा) ने एक सहयोग संस्था के रूप में विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने तथा भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार पीएमएमवाई से संबंधित विभिन्न समेकित आँकडे एकत्र करने हेतु समर्पित पोर्टल के माध्यम से पीएमएमवाई के क्रियान्वयन की प्रगति की सघन मॉनिटरिंग के दोहरे दायित्व का निर्वहन किया है.

वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमएमवाई

एजेंसी वार उपलब्धियाँ

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये पीएमएमवाई के अंतर्गत ₹ 3.25 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं, बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा एनबीएफसी के बीच देश के विभिन्न भागों / क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति तथा पहुँच के आधार पर आवंटित किया गया था. वर्ष 2019-20 के दौरान लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का श्रेणीवार कार्यनिष्पादन निम्नवत रहा:

एजेंसीवार कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़)

श्रेणी	लक्ष्य (2019-20)	संस्वीकृत राशि (2019-20)	संस्वीकृत राशि (2018-19)	संवृद्धि
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	1,28,000	1,17,729 (92%)	1,17,282	7%
निजी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंकों सहित)	70,025	91,780 (132%)	64,037	43%
लघु वित्त बैंक	29,350	29,501 (101%)	29,794	-1%
अल्प वित्त संस्थाएँ	57,425	57,967 (101%)	63,471	-9%
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ	40,200	40,518 (101%)	47,137	-14%
योग	**3,25,000**	**3,37,495 (104%)**	**3,21,721**	**5%**

नोट: कोष्ठक में दिये गये आँकडे लक्ष्य की उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं.

लक्ष्य एवं उपलब्धि- रुपये करोड़

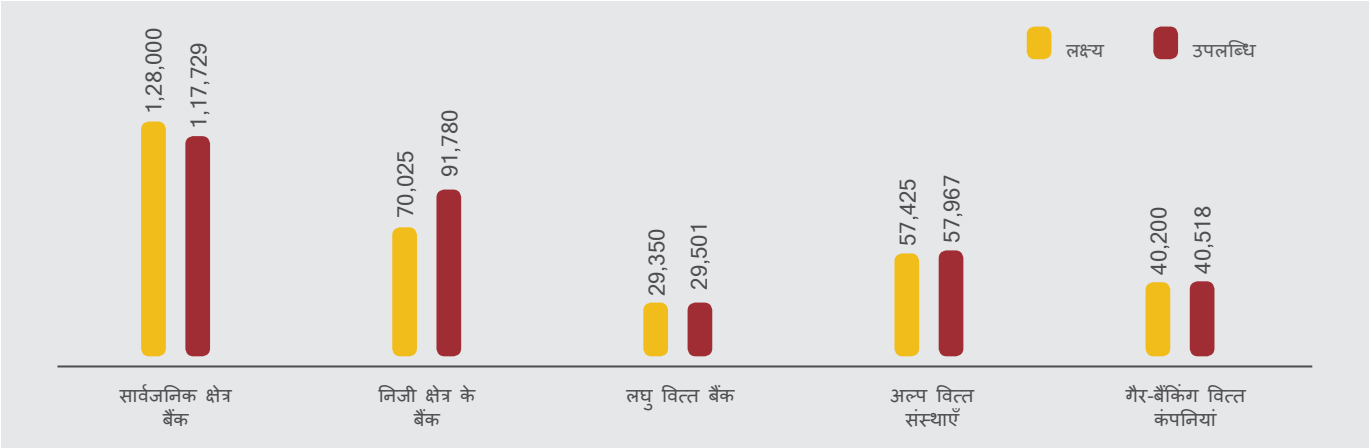

उपलब्धि के आँकडों से यह परिलक्षित होता है कि समस्त ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा योजना के समग्र कार्यनिष्पादन में विगत वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है. जहाँ एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 7% की सामान्य संवृद्धि दर्ज की गई वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 43% की असाधारण संवृद्धि दर्ज की गई.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक 36.76 लाख खातों में ₹ 35,125 करोड़ की मंजूरी के साथ शीर्ष पर रहा. बैंक ऑफ बडौदा तथा केनरा बैंक क्रमश: ₹ 10,282 करोड़ तथा ₹ 9,489 करोड़ के साथ द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे.

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 91,780 करोड़ की मंजूरियाँ की गई जोकि विगत वर्ष की तुलना में 43% अधिक है. इसका श्रेय मुख्य रूप से एसकेएस माइक्रोफाइनांस (भारत फाइनांशियल लि.) के इंडसइंड बैंक में विलय को जाता है जिसके कारण उनका स्थान ₹ 38,199.43 करोड़ की मंजूरियों के साथ निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल मंजूरियों का 41% के साथ प्रथम रहा. निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में अन्य मुख्य योगदान बंधन बैंक तथा आईडीएफसी बैंक का रहा.

एसकेएस माइक्रोफाइनांस (भारत फाइनांस लि.) के इंडसइंड बैंक में विलय के कारण वर्ष 2019 -20 के वर्ष में अल्प वित्त संस्थाओं का प्रदर्शन कमतर रहा और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें 9% गिरावट दर्ज की गई. अल्प वित्त संस्थाओं ने वर्ष के दौरान 1.96 करोड़ उधारकर्ताओं को ₹ 57,967 करोड़ का कुल ऋण संस्वीकृत किया. 23 लाख ऋण खातों में ₹ 7,598 करोड़ की संस्वीकृति के साथ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लि. अल्प वित्त संस्थाओं में अग्रणी रहा.

₹ 40,518 करोड़ की संस्वीकृतियों (कुल मंजूरियों का 12%) के साथ ग़ॅइर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा. इस श्रेणी में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लि. का योगदान ₹ 11,666 करोड़ की संस्वीकृति के साथ सर्वोपरि रहा.

लघु वित्त बैंकों ने अपने लक्ष्य का 101% अर्जित किया. वर्ष के दौरान 10 एसएफबी द्वारा 71.60 लाख ऋण खातों में कुल ₹ 29,501 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई.

18.42 लाख ऋण खातों में कुल ₹ 7,102 करोड़ की संस्वीकृति के साथ उज्जीवन लघु वित्त बैंक एसएफबी की श्रेणी में शीर्ष पर रहा.

राज्यवार कार्यनिष्पादन

भारत सरकार द्वारा ऋणदात्री संस्थावार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था. इन संस्थाओं ने अपने ग्राहक विस्तार तथा ऋण प्रदायन क्षमता के आधार पर इन लक्ष्यों का राज्यवार पुन: आवंटन किया. राज्यवार कार्यनिष्पादन का राज्यस्तरीय अनुश्रवण समस्त राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा किया गया.

शीर्ष 10 राज्यों का प्रदर्शन

(₹ करोड़)

राज्य का नाम	संस्वीकृत राशि (2019-20)	संस्वीकृत राशि (2018-19)	संवृद्धि (%)
तमिल नाडु	35,017	34,260	2%
उत्तर प्रदेश	30,949	26,191	18%
कर्नाटक	30,188	29,995	1%
महाराष्ट्र	27,903	26,439	6%
बिहार	27,442	24,406	12%
पश्चिम बंगाल	26,790	26,462	1%
राजस्थान	19,662	17,506	12%
मध्य प्रदेश	19,060	17,408	9%
ओडिशा	15,419	15,770	-2%
गुजरात	13,746	13,217	4%
योग	**2,46,176**	**2,31,654**	**7%**

जिलावार कार्यनिष्पादन:

योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन को भी पीएमएमवाई पोर्टल पर दर्ज़ किया गया. कुछेक ऋणदात्री संस्थाओं को छोडकर सभी ने अपने जिलावार आँकडे रिपोर्ट किये हैं. जो संस्थाएँ जिलावार विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकीं हैं उन्होंने अपने आँकडे संबंधित राज्यों के अंतर्गत "अन्य" जिले में दर्ज किये हैं. पीएमएमवाई कार्यनिष्पादन के अंतर्गत शीर्ष दस जिलों का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

जिलावार प्रदर्शन

क्रमांक	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2019 - 20		
		खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि (₹ करोड़)	कुल संस्वीकृत खातों में से प्रतिशत
1	हैदराबाद	11,35,978	4,705	1.82%
2	बंगलोर शहरी	5,22,505	3,361	0.84%
3	कोलकाता	6,76,424	2,831	1.09%
4	पुणे	2,51,856	2,348	0.40%
5	उत्तर 24 परगना	5,24,089	2,302	0.84%
6	अहमदाबाद	3,96,763	2,276	0.64%
7	तिरुचिरापल्ली	6,16,395	2,264	0.99%
8	मुर्शिदाबाद	5,79,188	2,065	0.93%
9	बेलगाम	3,48,394	2,012	0.56%
10	चेन्नई	2,56,599	2,001	0.41%
	योग	**53,08,191**	**26,165**	**8.52%**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान की गई कुल संस्वीकृतियों का 8.52% उक्त 10 जिलों में किया गया. इन जिलों के अच्छे प्रदर्शन का कारण यह रहा कि ये जिले अधिकांशत: शहरी क्षेत्र हैं जहाँ लघु व्यवसाय गतिविधियों की संभावना भी अधिक है तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराने वाली ऋणदात्री संस्थाओं की शाखाएँ भी बडी संख्या में मौजूद हैं.

क्षेत्रवार समीक्षा

वर्ष के दौरान संस्वीकृत पीएमएमवाई ऋणों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के आधार पर समीक्षा की गई है और इसका विवरण निम्नवत है:

वि.व. / क्षेत्र	वि.व. 2019-20		वि.व. 2018-19		संस्वीकृति में संवृद्धि राशि (%)
	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि (₹ करोड़)	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि (₹ करोड़)	
उत्तर	1,24,56,705 (20%)	82,045 (25%)	1,12,92,193 (19%)	74,437 (23%)	10%
पूर्व	1,95,89,404 (31%)	84,574 (25%)	1,86,58,660 (31%)	79,581 (25%)	6%
पूर्वोत्तर	22,78,699 (4%)	10,824 (3%)	30,60,244 (5%)	13,145 (4%)	(18%)
दक्षिण	1,74,54,720 (28%)	98,767 (29%)	1,73,15,948 (29%)	96,930 (30%)	2%
पश्चिम	1,04,68,078 (17%)	61,285 (18%)	95,43,273 (16%)	57,629 (18%)	6%
योग	**6,22,47,606**	**3,37,495**	**5,98,70,318**	**3,21,721**	**5%**

पूर्वोत्तर:

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा

पूर्व :

ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ

पश्चिम: दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र

दक्षिण:

कर्नाटक, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप

उत्तर:

चंडीगढ. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब एवं राजस्थान

पीएमएमवाई के अंतर्गत क्षेत्रवार वितरण

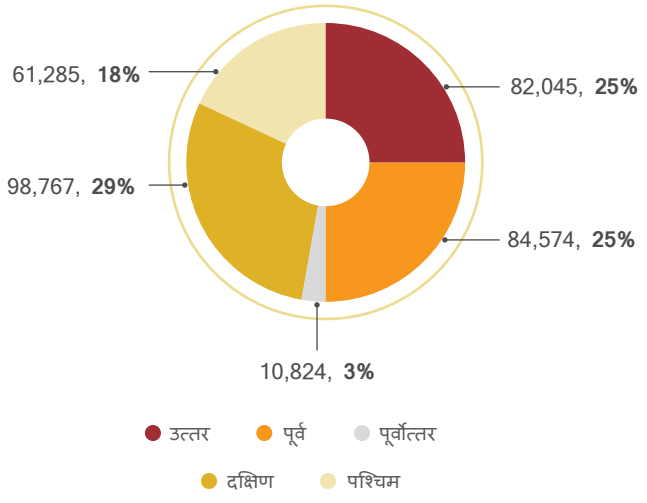

शिशु
(ऋण ₹ 50,000 तक)

किशोर
(ऋण ₹ 50,000 से ऊपर और ₹ 5 लाख तक)

तरुण
(ऋण ₹ 5 लाख से ऊपर और ₹ 10 लाख तक)

ऋण की श्रेणीवार समीक्षा

मुद्रा ऋणों को आकार के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया है. ये श्रेणियाँ हैं शिशु (₹ 50,000 तक), किशोर (₹ 50,000 से ₹ 5 लाख तक) तथा तरुण (₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक). पीएमएमवाई की इन तीन श्रेणियों के अंश की समीक्षा नीचे सारणी में दी गई है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की श्रेणीवार समीक्षा

(₹ करोड़)

श्रेणी	वित्तवर्ष 2019-20		वित्तवर्ष 2018-19		% परिवर्तन (संस्वीकृति राशि)
	ऋण खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	
शिशु	5,44,90,617 (88%)	1,63,559 (48%)	5,15,07,438 (86%)	1,42,345 (44%)	15%
किशोर	64,71,873 (10%)	95,578 (28%)	66,06,009 (11%)	1,04,387 (32%)	(8%)
तरुण	12,85,116 (2%)	78,358 (24%)	17,56,871 (3%)	74,991 (23%)	(4%)
योग	**6,22,47,606**	**3,37,495**	**5,98,70,318**	**3,21,723**	**5%**

नोट: कोष्ठक में दिये गये आँकडे अंश का प्रतिशत दर्शाते हैं.

तीनों श्रेणियों में 88% खाते शिशु ऋणों के अंतर्गत हैं जबकि ऋण की राशि के अंतर्गत इनका प्रतिशत 48% है. शिशु ऋणों की मंजूरी में विगत वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई.

खातों की संख्या के आधार पर वितरण

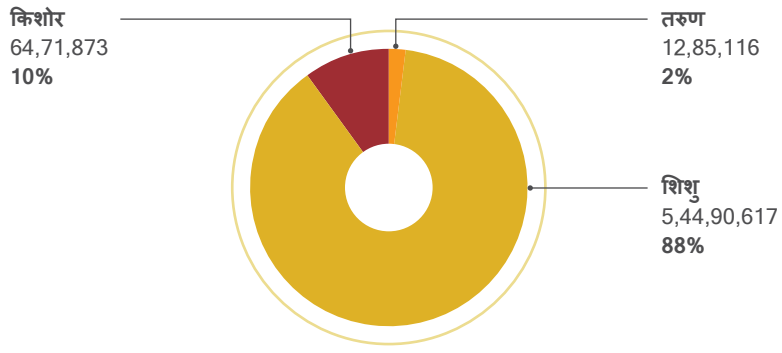

कमज़ोर वर्गों के लिये सहायता

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, आरम्भ से ही, समाज के कमज़ोर वर्गों को वृद्धिशील वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता रहा है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडी जातियों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों जैसी उधारकर्ता उपश्रेणियों को मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रदत्त सहायता की समीक्षा की गई है तथा इसका विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता उपश्रेणियाँ : संस्वीकृतियाँ(वित्तीय वर्ष 2019-20)

(₹ करोड़)

श्रेणी	शिशु		किशोर		तरुण		योग	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
सामान्य	2,76,14,426	86,660	37,76,211	67,332	11,06,869	69,620	3,24,97,506 (52%)	2,23,611 (66%)
अनुसूचित जाति	95,31,602	27,326	7,15,832	6,064	34,119	1,272	1,02,81,553 (16%)	34,662 (10%)
अनुसूचित जनजाति	35,80,397	10,087	2,81,585	2,828	27,714	879	38,89,696 (6%)	13,794 (4%)
अन्य पिछडी जातियाँ	1,37,64,192	39,486	16,98,245	19,354	1,16,414	6,588	1,55,78,851 (26%)	65,428 (20%)
योग	**5,44,90,617**	**1,63,559**	**64,71,873**	**95,578**	**12,85,116**	**78,359**	**6,22,47,606**	**3,37,495**
उपर्युक्त में से:								
महिलाएँ	3,57,17,217	1,09,660	29,88,307	26,477	3,97,825	9,045	3,91,03,349 (63%)	1,45,182 (43%)
नवउद्यमी खाते	96,60,059	28,230	1,825,475	38,710	4,28,369	32,323	1,19,13,903 (19%)	99,263 (29%)
अल्पसंख्यक	56,35,944	16,080	7,20,649	9,448	70,523	5,396	64,27,116 (10%)	30,923 (9%)

नोट: *कोष्ठक में दिये गये आँकडे अंश का प्रतिशत दर्शाते हैं.*

शिशु श्रेणी के 66% खाते महिलाओं के थे जिन्हें शिशु श्रेणी को संस्वीकृत राशि का 67% अंश संस्वीकृत किया गया. शिशु श्रेणी के अंतर्गत महिलाओं का अंश अधिक होने का कारण यह है कि अल्प वित्त संस्थाएँ अधिकांशत: महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराती है.

पीएमएमवाई कार्यक्रम में समाज के कमज़ोर वर्गों (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडी जाति) उधारकर्ताओं का अंश ऋण खातों की दृष्टि से 48% तथा संस्वीकृत राशि की दृष्टि से 34% रहा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडी जातियों के उधारकर्ताओं का अंश संस्वीकृत ऋण खातों की संख्या की दृष्टि से क्रमश: 16%, 6% तथा 26% रहा.

ऋण खातों की कुल संख्या में सामान्य, एससी, एसटी, तथा ओबीसी के अंश का प्रतिशत

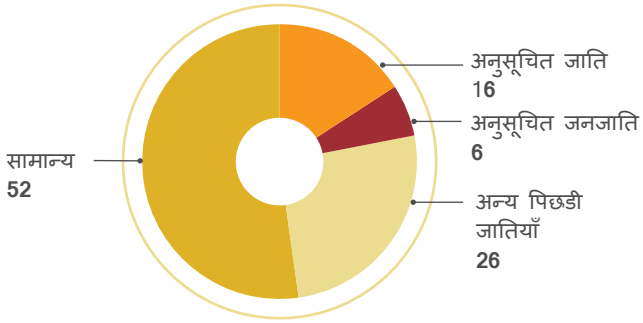

पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय श्रेणी के उधारकर्ताओं का अंश खातों की संख्या तथा संस्वीकृत राशि की दृष्टि से क्रमश: 10% तथा 9% रहा.

औसत ऋण आकार

पीएमएमवाई के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में प्रदत्त ऋण की औसत राशि की समीक्षा की गई जोकि निम्नवत है:

	संस्वीकृत राशि (₹ करोड़)		ऋण खातों की संख्या		औसत ऋण आकार (₹)	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
योग	**3,21,723**	**3,37,495**	**5,98,70,318**	**6,22,47,606**	**53,736**	**54,218**

पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान औसत ऋण आकार विगत वर्ष के ₹ 53,736 से बढकर ₹ 54,218 हो गया. इसी तरह, शिशु श्रेणी के अंतर्गत औसत ऋण आकार विगत वर्ष के ₹ 27,636 से बढकर ₹ 30,016 हो गया.

मुद्रा कार्ड

सूक्ष्म एवं लघु उधारकर्ता को युक्तिसंगत तथा रियायती लागत पर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा पीएमएमवाई उधारकर्ताओं को मुद्रा कार्ड नामक एक डेबिट कार्ड निर्गत किया गया है जोकि रुपे प्लेट्फॉर्म पर आधारित है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 4.26 लाख उधारकर्ताओं को ₹ 8,623 करोड़ की राशि के मुद्रा कार्ड जारी किये गये. चूँकि एक वर्ष के दौरान जारी किये गये कार्ड अगले वर्षों के दौरान भी प्रयोग में लाये जाते हैं, अत: ऊपर दी गई कार्डों की संख्या केवल वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किये गये कार्डों की है, जबकि संचयी रूप से वर्तमान में 10 लाख से अधिक मुद्रा कार्ड प्रचलन में हैं.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश के करोड़ों वित्त-विहीन सूक्ष्म उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है जिन्हें अपने जीवन स्तर में सुधार के लिये व्यावसायिक गतिविधियों हेतु ऋण की महती आवश्यकता है. पीएमएमवाई कार्यक्रम ने विगत पाँच वर्षों के दौरान लगभग 24.48 करोड़ ऋण खातों में ₹ 12.30 लाख करोड़ की राशि संस्वीकृत की है ताकि वे देश की ज़मीनी अर्थव्यवस्था को राष्ट्र की समग्र आर्थिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करने में सक्षम हो सकें.

सांविधिक रिपोर्टें
और
वित्तीय विवरणियाँ

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सदस्यगण,

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा) के परिचालनों तथा व्यवसाय पर पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये आपके निदेशकों को हर्ष हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अंकेक्षित वित्तीय विवरणियाँ, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी संलग्न हैं.

वित्तीय परिणाम

आपकी कंपनी की परिचालनों से आय ₹ 574.32 करोड़ से बढकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 616.51 करोड़ हो गई.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल आय ₹860.93 करोड़ से बढकर ₹1111.90 करोड़ हो गई जबकि कर उपरांत लाभ ₹33.48 करोड़ से बढकर ₹219.82 करोड़ हो गया. वित्तीय परिणामों की प्रमुख बातें सारणी 1 में दी गई हैं.

सारणी 1: वित्तीय परिणाम - प्रमुख बातें - वि. व. 2019-2020

(₹ करोड़)

विवरण	2019-20	2018-19
परिचालनों से आय	616.51	574.32
अन्य आय	495.39	286.61
(ए) कुल आय	**1111.90**	**860.93**
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	7.13	6.54
वित्तीय लागत	658.72	514.94
मूल्यह्रास	0.05	0.09
प्रावधान तथा बट्टे खाते में डाली गई	68.26	282.34
अन्य व्यय	40.35	5.82
(बी) कुल व्यय	**774.51**	**809.73**
कर पूर्व लाभ (ए-बी)	337.39	51.2
(सी) कुल कर संबंधी व्यय	**117.57**	**17.72**
वर्ष हेतु लाभ	**219.82**	**33.48**
लाभांश @	25.14	3.35
लाभांश कर*	0.00	0.69
सामान्य आरक्षितियों में अंतरित राशि	150.00	15.00
सांविधिक आरक्षितियों में अंतरित राशि	43.96	6.70
सीएसआर निधि में अंतरित राशि	0.00	6.72
अधिशेष	28.43	27.72
प्रति शेयर कमाई (₹)	1.31	0.20

@ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों के अनुमोदन पर

* एजीएम के पश्चात भुगतान किया जायेगा

विनियोग

सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण

आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-Iए के अंतर्गत जमा स्वीकार न करने वाली ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनडीएसआई-एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है. उक्त अधिनियम की धारा 45-Iसी के प्रावधानों के अनुसार ₹ 43.96 करोड़ (निवल लाभ का 20%) सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित की गई है.

सामान्य आरक्षितियों में अंतरण

निदेशक मंडल द्वारा 04 जून, 2020 को आयोजित बैठक में यथाप्रस्तावित ₹ 150 करोड़ की राशि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के प्रावधानों के अनुसार सामान्य आरक्षितियों में अंतरित की गई है.

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आनुपातिक आधार पर प्रति ईक्विटी शेयर पर (₹ 10 के अंकित मूल्य वाले) ₹ 0.15 के (वित्तीय वर्ष 2018-19 के ₹ 0.02 की तुलना में) प्रथम एवं अंतिम लाभांश की संस्तुति की है. उक्त प्रस्ताव आगामी वार्षिक आम बैठक में आपकी कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन पर देय होगा. लाभांश उन सभी सदस्यों को देय होगा जिनके नाम आपकी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर यथा 31 मार्च, 2020 को अंकित होंगे.

शेयर पूँजी

यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी ₹ 1675.93 करोड़ थी जिसमें ₹ 10 प्रत्येक मूल्य के 167.59 करोड़ ईक्विटी शेयर थे जिसे कि सिडबी द्वारा पूर्णतः प्रदत्त किया गया है.

वित्तीय प्रमुखताएँ

प्रगति अब तक

राशि (₹) करोड़

यथा 31 मार्च	2020	2019
कुल आस्तियाँ	19,620	17,230
बकाया पोर्टफोलियो	9,004	11,834
प्राधिकृत पूँजी	5,000	5,000
- प्रदत्त पूँजी	1,676	1,676
नेट वर्थ	2,309	2,094

पूँजी पर्याप्तता

यथा 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 61.23% था जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बडे आकार की जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये विनिर्धारित 15% के न्यूनतम मानदंड से काफ़ी अधिक है.

जमाराशियाँ

आपकी कंपनी ने वि. व. 2019-20 के दौरान जनसामान्य से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लिये बिना भविष्य में भी नहीं करेगी.

ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(11) सपठित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें तथा उसकी शक्तियाँ) नियम 2014 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदत्त ऋण, प्रदत्त गारंटियों अथवा दी गई प्रतिभूतियों को अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है.

तदनुसार, आपकी कंपनी द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता के विवरणों का खुलासा इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है.

आपकी कंपनी द्वारा किये गये निवेशों का विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के नोट 7 में दिया गया है.

संबंधित पक्ष लेनदेन

संबंधित पक्षों के साथ किये गये लेनदेन का विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के नोट 38 में दिया गया है तथा ये सभी सामान्य व्यवसाय के दौरान किये गये तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि हितों क टकराव न हो. एतदर्थ, निदेशक मंडल का आवश्यक अनुमोदन जहाँ आवश्यक था, प्राप्त किया गया है.

साथ ही, आपकी कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ कोई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है. तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के लेखों से संबंधित अध्याय IX में विनिर्धारित प्रारूप एओसी-2 लागू नहीं है तथा इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है.

परिचालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा

संस्वीकृतियाँ तथा संवितरण (₹ करोड़)

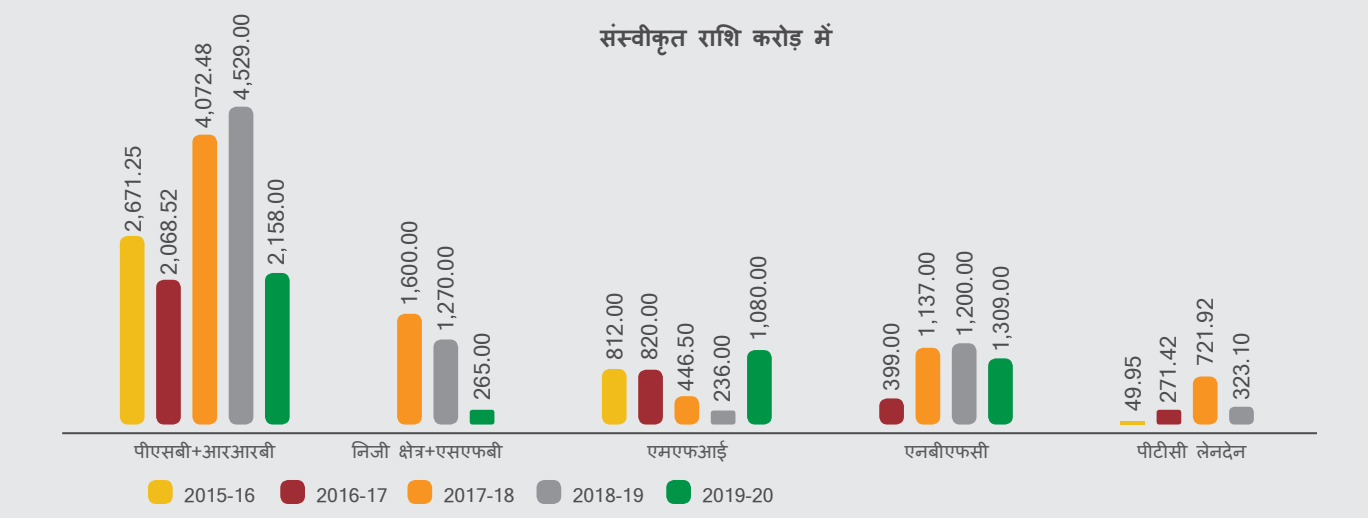

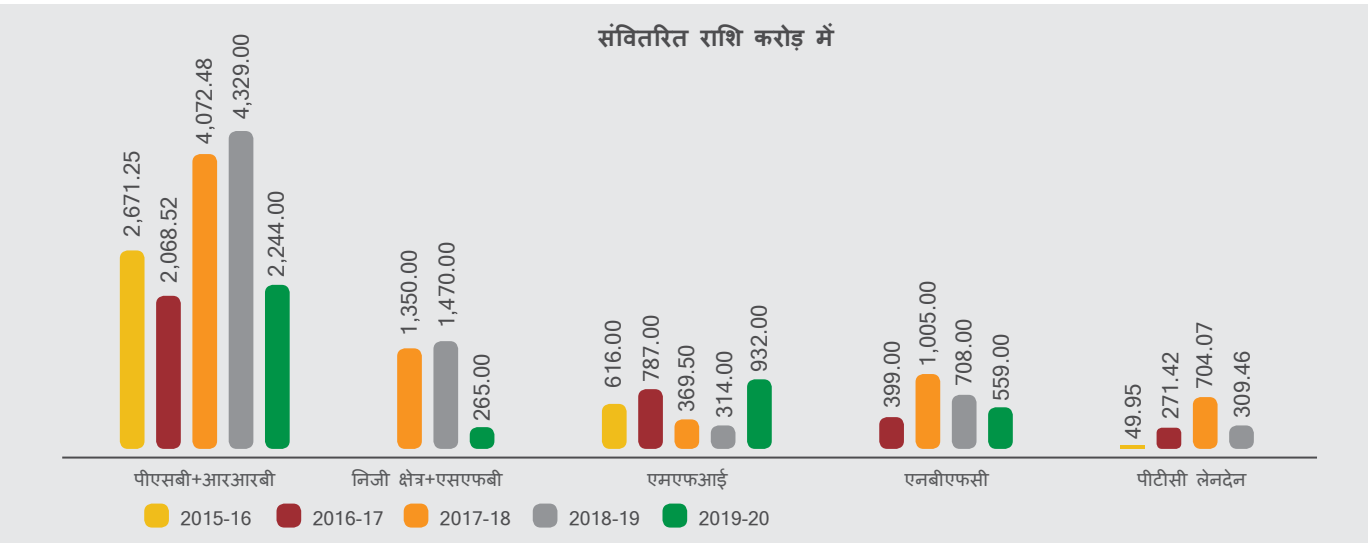

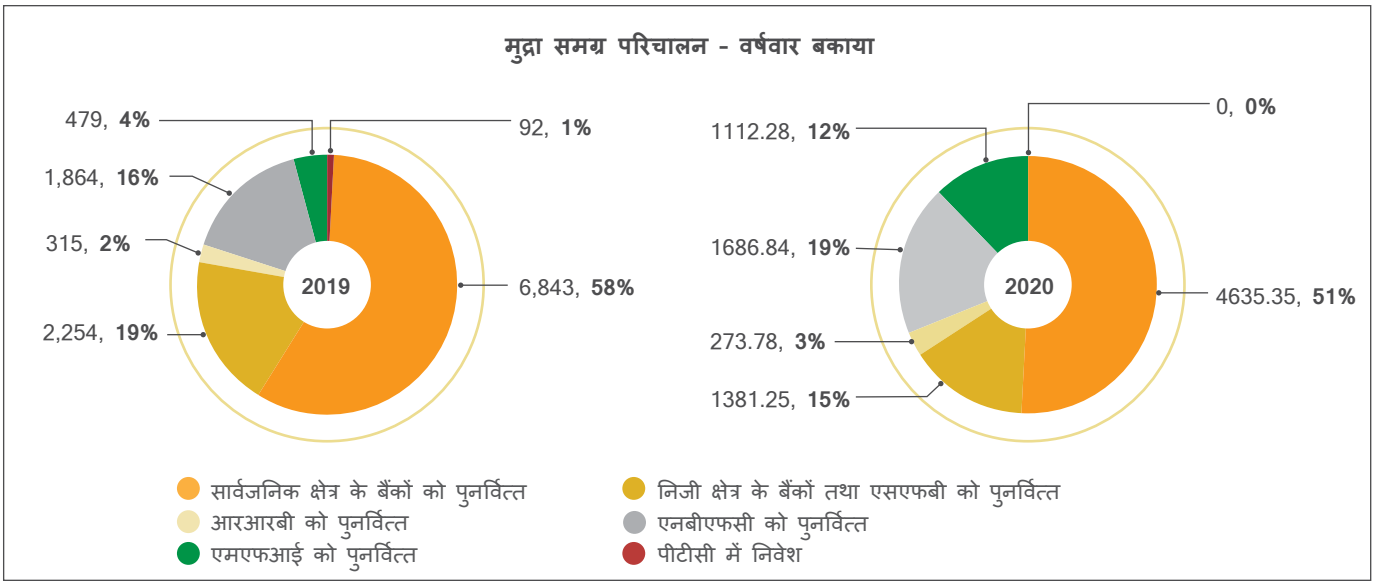

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत बैंकों, एनबीएफसी द्वारा विनिर्माण, व्यापार तथा सेवाक्षेत्र गतिविधियों में आय अर्जन करने वाले सूक्ष्म / लघु उद्यमों को ₹ 10 लाख तक के ऋण देने का प्रावधान है.

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत संस्वीकृत ₹ 10,000 के ओवरड्राफ्ट की राशि भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण वगीकृत की गई है.

मुद्रा ऋणों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया है:

- शिशु ऋण - ₹ 50,000 तक का ऋण
- किशोर ऋण- ₹ 50,000 से ₹ 5 लाख तक, तथा
- तरुण ऋण - ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक

श्रेणियों के नाम से सूक्ष्म उद्यमों के आकार / संवृद्धि के स्तर तथा उनकी ऋण संबंधी आवश्यकता का पता चलता है.

पीएमएमवाई की मॉनिटरिंग

मुद्रा ने विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किये जा रहे ऋण प्रदायन संबंधी आंकडों के समेकन तथा इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करने हेतु एक पीएमएमवाई पोर्टल विकसित किया है जिसमें ऋण प्रदायन से संबंधित सूक्ष्म जानकारी जैसे ऋण की प्रकृति, उधारकर्ता का प्रकार तथा उनका एजेंसी-वार, राज्यवार तथा जिलावार प्रारुपों में विवरण एकत्रित किया जाता है. वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार तथा मुद्रा द्वारा इसके आधार पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 6.22 करोड़ से अधिक उधारकर्ता खातों को मुद्रा योजना का लाभ मिला. लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण सारणी 2 में दिया गया है.

सारणी 2: वर्ष 2019-20 तथा विगत 5 वर्षों हेतु समेकित मुद्रा ऋण तथा लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण:

श्रेणी	2019-20			5 वर्षों हेतु समेकित		
	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि
		(₹ करोड़)	(₹ करोड़)		(₹ करोड़)	(₹ करोड़)
शिशु	5,44,90,617 **(88%)**	1,63,559 **(48%)**	1,62,813 **(49%)**	21,75,66,709 **(89%)**	5,59,901 **(45%)**	5,52,612 **(46%)**
किशोर	64,71,873 **(10%)**	95,579 **(28%)**	914,27 **(28%)**	2,24,64,719 **(9%)**	3,83,295 **(31%)**	3,66,629 **(31%)**
तरुण	12,85,116 **(2%)**	78,358 **(24%)**	75,475 **(23%)**	47,99,060 **(2%)**	2,87,677 **(24%)**	2,76,990 **(23%)**
योग	**6,22,47,606**	**3,37,496**	**3,29,715**	**24,48,30,488**	**12,30,873**	**11,96,231**
उक्त में से						
महिलाएँ	3,91,03,349 **(63%)**	1,45,182 **(43%)**	1,42,846 **(43%)**	16,64,99,308 **(68%)**	5,43,943 **(44%)**	5,13,610 **(43%)**
नवउद्यमी खाते	1,19,13,903 **(19%)**	99,263 **(29%)**	94,896 **(29%)**	6,03,31,170 **(25%)**	4,37,354 **(36%)**	4,18,360 **(35%)**
अनु.जा. / जन जा./ अ.पि.जा.	2,97,50,100 **(48%)**	1,13,884 **(34%)**	1,12,029 **(34%)**	12,50,11,002 **(51%)**	4,19,711 **(34%)**	4,09,216 **(34%)**

(कोष्ठक में दिये गये आँकडे कुल योग में प्रतिशत दर्शाते हैं)

खातों की संख्या में महिलाओं का उच्च प्रतिशत शिशु ऋणों में अल्प वित्त संस्थाओं के बृहद अंश के कारण है जिनकी लाभार्थी अधिकांशत: महिलाएँ होती हैं.

पीएमएमवाई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष श्रेणियों - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडी जातियाँ, महिलाएँ तथा अल्प संख्यक - के उधारकर्ताओं का अंश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भी महत्वपूर्ण रहा. खातों की संख्या की दृष्टि से महिला उधारकर्ताओं का अंश 63% था जबकि संस्वीकृत राशि की दृष्टि से यह 43% रहा.

पीएमएमवाई कार्यक्रम में समाज के वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडी जातियाँ) की सहभागिता ऋण खातों की दृष्टि से 48% रही जबकि संस्वीकृत राशि की दृष्टि से यह 34% थी. संस्वीकृत ऋण खातों की संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछडी जातियाँ श्रेणियों का अंश क्रमश: 16%, 6% तथा 26% रहा.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खातों की संख्या तथा राशि की दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग के उधारकर्ताओं का अंश क्रमश: 10% और 9% रहा.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नये ऋण खाते कुल ऋण खातों की संख्या के 19% रहे तथा इनमें कुल मंजूरियों की 29% राशि संस्वीकृत की गई. वितीय वर्ष 2018-19 के 1.33 करोड़ नये खातों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1.19 करोड़ नये ऋण खाते संस्वीकृत किये गये.

इससे स्पष्ट है कि मुद्रा योजना से अनेक ऐसे नये सूक्ष्म उद्यमियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता मिली जोकि अबतक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं थे. इसके फलस्वरूप वित्त विहीन के वित्तपोषण के लक्ष्य को अर्जित करने की दिशा में बहुत हद तक सफलता मिली है.

सेक्टर संबंधी आयोजनों में सहभागिता

श्री आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी ने 26-27 नवंबर, 2019 को मुम्बई में सिडबी द्वारा आयोजित द्वितीय सिडबी राष्ट्रीय माइक्रोफाइनांस कांग्रेस 2019 में सहभागिता की.

नैगम नियंत्रण

निदेशक मंडल की बैठकें

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मुद्रा के निदेशक मंडल की 5 बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों का विवरण अनुबंध I में दिया गया है.

बैठकों के बीच का अंतराल तथा विनिर्धारित प्रावधानों के अनुसार बैठकों का आयोजन कम्पनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया गया.

निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक संबंधी नीति

कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

आपकी कंपनी में एक पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक है जोकि मुद्रा के रोल पर है. उनके पारिश्रमिक का भुगतान आपकी कंपनी द्वारा किया जाता है.

ग़ैर-कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

ग़ैर कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों (नामिती निदेशकों तथा भारत सरकार के निदेशकों को छोडकर) को पारिश्रमिक का भुगतान निदेशक मंडल तथा निदेशकों की समितियों की प्रत्येक उस बैठक हेतु सहभागिता शुल्क (सिटिंग फीस) के रूप में किया जाता है जिसमें वे उपस्थित थे.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणापत्र

मुद्रा के निदेशक मंडल को सभी स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अनुसार घोषणापत्र प्राप्त हुआ है तथा निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्वतंत्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं.

कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी ने ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया है जिसका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 सपठित कंपनी नियम (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम के नियम 5(2) के अंतर्गत विनिर्धारित सीमाओं के दायरे में आता है.

प्रशिक्षण एवं करियर विकास

आपकी कंपनी निरंतर अपने कार्मिकों के विकास हेतु प्रयास रत है. वर्ष के दौरान कार्मिकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में सहभागिता की.

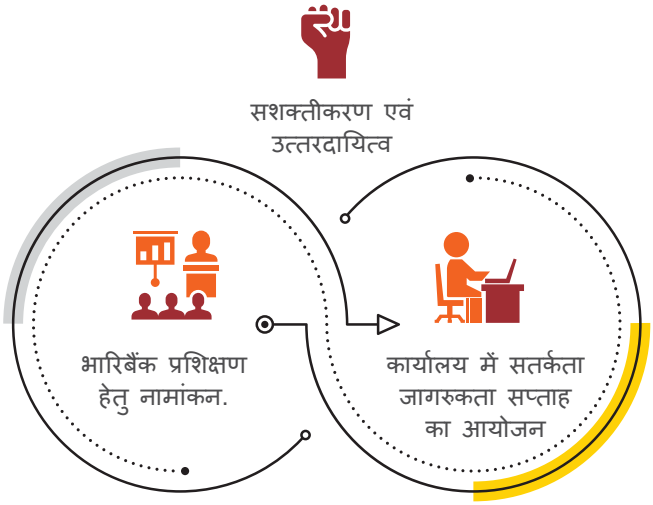

निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

अनुगम

वर्ष के दौरान निम्नांकित नियुक्तियाँ की गईं:

- श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव को 20 दिसंबर, 2019 से मुद्रा के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया
- श्री सुचिंद्र मिश्र को 19 फरवरी, 2020 को वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के नामिती निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया.

पुनर्नियुक्तियाँ

- कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार श्री मनोज मित्तल, नामिती निदेशक तथा श्री आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक आगामी एजीएम पर आवर्तन से सेवानिवृत्त हुए तथा पात्र होने कारण पुनर्नियुक्ति हेतु अनुरोध किया. निदेशक मंडल ने उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा की है.

सेवानिवृत्तियाँ तथा त्यागपत्र

- सिडबी के नामिती निदेशक श्री अजय कुमार कपूर ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 अक्टूबर, 2019 को निदेशक मंडल के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया.
- श्रीमती ज्योत्स्ना सित्लिंग निदेशक ने संयुक्त सचिव (उद्यमिता), उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय के पद से स्थानांतरण के फलस्वरूप 11 नवम्बर, 2019 को निदेशक मंडल के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया
- श्रीमती रजनी सूद, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुद्रा ने 11 दिसंबर, 2019 को त्यागपत्र दिया.
- वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) के नामिती निदेशक श्री पंकज जैन, डीएफएस द्वारा नामांकन वापस लिये जाने के कारण 30 जनवरी, 2020 से नामिती निदेशक नहीं रहे.

पदनाम में परिवर्तन

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक पद में हुए संशोधनों का विवरण अनुबंध I में दिया गया है.

निदेशक मंडल की समितियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन के प्रयोजनीय प्रावधानों के अनुपालन में यथा 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल की छह समितियाँ तथा उप-समितियाँ हैं - लेखापरीक्षा समिति. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, नैगन सामाजिक दायित्व समिति, कार्यपालन समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति. निदेशक मंडल तथा समितियों की रचना का विवरण अनुबंध I में दिया गया है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा उसकी पर्याप्तता

व्यवसाय का सुनियोजित तथा कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिये आपकी कंपनी ने विभिन्न योजनाओं और प्रक्रियाओं के मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये हैं. उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रभावी परिचालन की पुष्टि परीक्षण के उपरांत सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है.

महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएँ नहीं होंगे.

विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्राइब्युनलों द्वारा पारित विशेष तथा महत्वपूर्ण आदेश

कंपनी के परिचालनों तथा सचल संस्था अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई विशेष तथा महत्वपूर्ण आदेश विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्राइब्युनलों द्वारा पारित नहीं किये गये हैं.

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) ए के अनुसार वार्षिक विवरणी का सार विहित प्रारूप में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अनुबंध III में संलग्न है.

सचिवीय मानक

कंपनी सभी सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है.

निदेशकों का उत्तरदायित्व : विवरणियाँ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसरण में निदेशक पुष्टि करते हैं कि, उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार,

(ए) वार्षिक लेखे तैयार करने में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों के लिये युक्तिसंगत स्पष्टीकरण दिये गये हैं.

(बी) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया गया है तथा ऐसे युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान किये गये हैं कि उनसे कंपनी की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये तथ्यपूर्ण स्थिति तथा उक्त अवधि के लिये लाभ हानि सही तथा उचित रूप से परिलक्षित होती है.

(सी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव में कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा का समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है ताकि धोखाधडी का पता चल सके तथा उससे तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव हो सके.

(डी) लेखा सचल संस्था (ऑन गोइंग कंसर्न) आधार पर तैयार किये गये हैं.

(ई) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गये हैं जिनका कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाता है तथा ये पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य करते हैं. और,

(एफ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रणालियाँ बनाई गई हैं तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन संबंधी प्रकटन

कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के विरुद्ध कठोर रुख अपनाया गया है तथा उसने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (बचाव, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 सपठित उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के बचाव, निषेध और एतद्विषयक शिकायतों के निवारण के लिये नीति अंगीकृत की है. कंपनी की यौन उत्पीडन विरोधी नीति मुद्रा के बुलेटिन बोर्ड पर उपलब्ध है.

कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में एक आंतरिक समिति का भी गठन किया है. इस समिति का विवरण बुलेटिन बोर्ड पर उपलब्ध है.

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यौन उत्पीडन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

लेखापरीक्षा रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा रिपोर्टें

- वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में कोई शर्त, आरक्षण अथवा विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है. साथ ही, आपकी कंपनी के विरुद्ध किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कोई धोखाधडी नहीं की गई है जिसे कि लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट किया जाना आवश्यक था. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों के साथ संलग्न है.
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त अथवा विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है जिसके लिये कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट में अनुबंध II पर संलग्न है.

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सिडबी के पूर्ण स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन की गई थी. तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार मे. वी. सी. शाह (सनदी लेखाकार फर्म जिसकी पंजीकरण संख्या 109818डब्ल्यू है) को भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मुद्रा के वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु मुद्रा का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था.

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 की अपेक्षा के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा दीपेंद्र ओमप्रकाश शुक्ला, अभ्यासरत कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिये नियुक्त किया है.

सीएजी के द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी), प्रधान निदेशक वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा आपकी कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा 06 जुलाई, 2020 से 15 जुलाई, 2020 के बीच की गई. आईएएडी द्वारा वांछित समस्त जानकारी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियाँ उनके कार्यालय को विधिवत उपलब्ध कराई गई.

उक्त लेखापरीक्षा के आधार पर प्रधान निदेशक वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा 14 अगस्त, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से 'शून्य' टिप्पणी वाला लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया है. उक्त पत्र की प्रति लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ संलग्न है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 की अपेक्षाओं के अनुसार मे. कोचर एंड असोसियेट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आपकी कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था.

उन्होने मासिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की जिन्हें अभिलेख में दर्ज किया गया है तथा जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तथा इसे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट किया गया है.

नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपकी कंपनी की निवल हैसियत (नेट वर्थ) तथा प्रदत्त शेयर पूँजी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत विनिर्धारित नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति के गठन संबंधी अपेक्षा की सीमा पार कर ली है. आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹ 6,71,58,130 का अभिदान किया है.

सीएसआर नीति का विवरण हमारी वेबसाइट www.mudra.org.in पर उपलब्ध है.

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) तथा (10) सपठित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें एवं उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुपालन की दिशा में आपकी कंपनी ने सतर्कता कक्ष की स्थापना की है तथा वह मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सिडबी के समग्र मार्गदर्शन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के दिशानिदेशों का पालन करती है.

प्रभारी सीवीओ एक मासिक रिपोर्ट सीवीओ, सिडबी को प्रस्तुत करता है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेश

एक प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनडीएसआई) के रूप में आपकी कंपनी प्रयोज्य आरबीआई विधि तथा विनियमों के अनुपालन में अपना परिचालन करती है, तथा इसके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत पीएमएमवाई तथा मुद्रा योजनाओं के संबंध में वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मंत्रालय, सिडबी के माध्यम से तथा आवेदकों से सीधे 106 आवेदन प्राप्त हुये. उक्त सभी आवेदनों का निस्तारण आपकी कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया.

ऊर्जा संचयन; विदेशी मुद्रा आय तथा बहिर्गमन

ऊर्जा संचयन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(एम) के अंतर्गत वांछित विवरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, अत: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है.

आपकी कंपनी अपने सामान्य परिचालनगत तथा प्रशासनिक कामकाज के दौरान केवल विद्युत की खपत करती है.

वर्ष एक दौरान विदेशी मुद्रा की कोई आय अथवा बहिर्गमन नहीं हुआ है.

प्रौद्योगिकी अंगीकरण

मुद्रा कम्प्यूटरीकृत वातावरण/ प्रणाली में काम करता है. उसने अपनी समग्र आवश्यकताओं के लिये सामान्य बही लेखा तथा ऋण प्रबंधन सॉफ्टवेयर अधिगृहीत किये हैं जिनके मुख्य घटक क्रियान्वित किये जा चुके हैं. सभी बैंकों/ अल्प वित्त संस्थाओंस तथा एनबीएफसी से उनके द्वारा पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रदत्त ऋण संबंधी आँकडे एकत्र करने और उनके समेकन के लिये एक पोर्टल उपलब्ध है. उक्त पोर्टल काफी सशक्त है तथा इसकी सहायता से विविध आँकडों के एकत्रीकरण और विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं.

इस पोर्ट्ल का उपयोग भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाई कार्यनिष्पादन की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु रणनीति बनाने के लिये किया जा रहा है.

आभार

निदेशक मंडल इस अवसर पर अपने सभी हितधारकों, विशेषकर वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नैगम मामले मंत्रालय, तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्राप्त उत्कृष्ट प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन की हार्दिक सराहना करता है तथा उनसे निरंतर प्राप्त होने वाले सहयोग हेतु उनका धन्यवाद करता है.

निदेशक मंडल अपने शेयरधारकों के निर्बाध आत्मविश्वास तथा भरोसे के लिये भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल कंपनी के हर स्तर के कर्मचारियों तथा कार्यपालकों के उत्साह, प्रतिबद्धता तथा निष्ठा की भी सराहना करता है.

आपका निदेशक मंडल कंपनी के लेखापरीक्षकों तथा सीएजी का भी उनके परामर्श तथा मार्गदर्शन हेतु आभारी है.

वास्ते तथा निदेशक मंडल की ओर से
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.

अध्यक्ष

दिनांक: 21 अगस्त, 2020
स्थान: मुम्बई

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध

अनुबंध I

यथा 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल

क्र. सं.	नाम (श्रीमती / श्री / सुश्री)		नियुक्ति की तारीख
1.	मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईएएस	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुद्रा	अगस्त 28, 2017
		सरकार तथा सिडबी के नामिती	
2.	सुचिंद्र मिश्र	संयुक्त सचिव, डीएफएस, भारत सरकार, भारत सरकार के नामिती	फ़रवरी 19, 2020
3.	मनोज मित्तल	उप प्र. नि., सिडबी के नामिती निदेशक	फ़रवरी 22, 2017
4.	आलोक गुप्ता	प्र. नि. एवं सीईओ, मुद्रा	अगस्त 07, 2018
		स्वतंत्र निदेशक	
5.	पिलारिसेत्ती सतीश	कार्यपालक निदेशक- साधन	नवंबर 10, 2015
6.	अरविंद कुमार जैन		फ़रवरी 8, 2018
7.	हर्ष श्रीवास्तव		सितंबर 27, 2019

वर्ष 2019-20 के दौरान अवधि समाप्ति

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
1.	अजय कुमार कपूर	नामिती निदेशक	मार्च 18, 2015	अक्टूबर 31, 2019
2.	ज्योत्स्ना सित्लिंग	निदेशक	जून 20, 2015	नवंबर 11, 2019
3.	पंकज जैन	नामिती निदेशक	जनवरी 28, 2016	जनवरी 30, 2020

वर्ष के दौरान आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकें

क्र. सं.	बैठक की तारीख	निदेशक मंडल की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	मई 28, 2019	9	8
2.	सितंबर 18, 2019	9	9
3.	अक्टूबर 16, 2019	9	7
4.	दिसंबर 20, 2019	7	7
5.	मार्च 06, 2020	7	6

कंपनी अधिनियम के अनुसार् मुद्रा की निदेशक मंडल समितियाँ

लेखापरीक्षा समिति

नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
श्री पिलारिसेत्ती सतीश	अध्यक्ष	दिसंबर 01, 2015
श्री अरविंद कुमार जैन	सदस्य	जुलाई 18, 2018
श्री मनोज मित्तल	सदस्य	नवंबर 22, 2019

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
श्री सुचिंद्र मिश्र	अध्यक्ष	फ़रवरी 19, 2020
श्री पिलारिसेत्ती सतीश	सदस्य	दिसंबर 01, 2015
श्री अरविंद कुमार जैन	सदस्य	जुलाई 18, 2018

नैगम सामाजिक दायित्व समिति

नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
श्री आलोक गुप्ता	अध्यक्ष	अगस्त 07, 2018
श्री पिलारिसेत्ती सतीश	सदस्य	जनवरी 28, 2016
श्री हर्ष श्रीवास्तव	सदस्य	अक्टूबर 15, 2018

जोख़िम प्रबंधन समिति

नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
श्री आलोक गुप्ता	अध्यक्ष	अगस्त 07, 2018
श्री अरविंद कुमार जैन	सदस्य	अप्रैल 23, 2018
श्री पिलारिसेत्ती सतीश	सदस्य	जनवरी 01, 2019

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च,2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

अनुबंध II

सदस्यगण

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)
स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुम्बई: 400 051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा जायेगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों तथा उचित नैगम व्यवहार के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. वर्तमान कोविड -19 की परिस्थितियों के कारण विभिन्न अभिलेखों का भौतिक सत्यापन संबंधी सीमाएँ होने के कारण सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई जिससे नैगम व्यवहार / सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिये तथा उनपर हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिये युक्तिसंगत आधार प्राप्त हुआ.

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों की हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त पंजियों, दाखिल किये गये फार्मों तथा विवरणियों एवं कंपनी द्वारा सॉफ़्ट रूप में रखे गये विधिवत प्रमाणित अन्य अभिलेखों तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये की गई लेखापरीक्षा अवधि में नीचे सूचीबद्ध किये गये सांविधिक प्रावधानों का निम्नांकित विशिष्ट टिप्पणियों के अतिरिक्त, अनुपालन किया है, तथापि, कंपनी में नीचे की गई रिपोर्टिंग के अनुसार समुचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएँ तथा अनुपालन तंत्र मौजूद है:

मैंने निम्नांकित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त पंजियों, दाखिल किये गये फॉर्मों तथा विवरणियों की जाँच की है

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गये नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (एससीआरए) तथा उसके अधीन बनाये गये नियम; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iii) निक्षेपागार अधिनियम 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम तथा उपनियम (कम्पनी पर लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा उसके अधीन बनाए गये नियम तथा विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए (कंपनी पर लागू नहीं)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नांकित विनियम तथा दिशानिदेश:

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम 2011; (कंपनी पर लागू नहीं)

(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 1992 (कंपनी पर लागू नहीं)

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम तथा प्रकटन संबंधी अपेक्षाएँ) विनियम 2009 (कंपनी पर लागू नहीं)

(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) 1999 (कंपनी पर लागू नहीं);

(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं लिस्टिंग) विनियम 2008 (कंपनी पर लागू नहीं);

(एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट पंजीयक) विनियम 1993 कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ सौदे से संबंधित (कंपनी पर लागू नहीं);

(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ईक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2009 (कंपनी पर लागू नहीं); तथा

(एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम 1998; (कंपनी पर लागू नहीं);

(v) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून, यथा :

(ए) *प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण ग़ैर बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली अथवा धारक) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2015 सपठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी द्वारा दाखिल की जाने वाली विवरणियों के संबंध में जारी मास्टर परिपत्र जो भी लागू हो.

*(पूर्ववर्ती ग़ैर बैंकिंग वित्तीय (वित्तीय (जमा स्वीकार न करने वाली अथवा धारक) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2007 को 27 मार्च 2015 की अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.009/सीजीएम (सीडीएस)-2015 के माध्यम से अधिक्रमित किया)

मैंने निम्नांकित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

(बी) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये लिस्टिंग करार (कंपनी पे लागू नहीं)

कंपनी के प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सीएसआर समिति का गठन किया है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर की पूरी राशि व्यय की है.

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि :

- कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत किया गया है जिसमें कार्यपालक निदेशकों, ग़ैर कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों का समुचित संतुलन है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में किये गये परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन के साथ किये गये हैं.
- निदेशक मंडल की बैठक के लिये सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है तथा कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिये गये थे तथा बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है ताकि बैठकों में सार्थक सहभागिता हो सके.
- सभी संकल्प बहुमत निदेशकों की सहमति से पारित किये गये तथा कार्यवृत्त तदनुसार बनाए गये हैं.

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि :

- कंपनी में इसके आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ तथा प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं ताकि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ऐसी कोई घटनाएँ / कार्य नहीं हुए जिनका उक्त कानूनों, नियमों, दिशानिदेशों तथा मानकों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता हो.

वास्ते : दीप शुक्ला एंड असोसियेट्स
कंपनी सचिव

दीप शुक्ला
{प्रवर्तक}
एफसीएस: 5652
सीपी संख्या: 5364
यूडीआईएन: एफ005652बी000460810
दिनांक: 16.07.2020

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सदस्यगण
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)

मेरी इस दिनांक की उक्त रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जाए.

1. सचिवीय / सांविधिक अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है. मेरा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर अभिमत प्रदान करना है.

2. मैंने ऐसी लेखापरीक्षा व्यवहार तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है जोकि सचिवीय अभिलेखों की विषयवस्तु की सत्यता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन के लिये उचित हों.

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सत्यता तथा उपयुक्तता की जाँच नहीं की है.

4. जहाँ भी आवश्यक हुआ मैंने कानूनों, नियमों, विनियमों तथा घटनाओं इत्यादि के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है.

5. नैगम और अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. मेरी परीक्षा परीक्षण आधार पर प्रविधियों की जाँच तक सीमित है.

6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देती है और न ही इस बात का आश्वासन देती है कि प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन कितनी प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभावी रूप से किया है.

वास्ते : दीप शुक्ला एंड असोसियेट्स
कंपनी सचिव

_____
दीप शुक्ला
{प्रवर्तक}
एफसीएस: 5652
सीपी संख्या: 5364

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.07.2020

अनुबंध III

फॉर्म संख्या एमजीटी 9

वार्षिक विवरणी का सार

यथा 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

1.	सीआईएन	यू65100एमएच2015पीएलसी274695
2.	पंजीकरण की तारीख	18 मार्च, 2015
3.	कंपनी का नाम	माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.
4.	कंपनी की श्रेणी / उपश्रेणी	शेयर्स के द्वारा पब्लिक लिमिटेड/भारतीय ग़ैर सरकारी कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है?	नहीं.
7.	रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क विवरण, यदि कोई हो तो	लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई - 400083

II. कंपनी का मुख्य व्यवसाय तथा गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत अथवा अधिक योगदान वाली समस्त गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र. सं.	उत्पाद / सेवाओं का नाम तथा वर्णन	उत्पाद / सेवा का एनाआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	बैंकों, एनबीएफसी तथा एमएफआई (एनबीएफसी एमएफआई सहित) को ऋण तथा पुनर्वित्त प्रदान करना	649	100.00

III. धारिता, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	*भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001 उत्तर प्रदेश	लागू नही	100%	धारा 2 (87)(II)

*सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित एक विकास वित्त संस्था है.

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल ईक्विटी में ईक्विटी शेयर पूँजी का प्रतिशत)

(i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [यथा 1 अप्रैल, 2019]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [यथा 31 मार्च, 2020]				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डी मैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	डी मैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत / एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) केंद्र सरकार.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) निगम निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ई) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	1675925920	0	1675925920	100.00	1675925920	0	1675925920	100.00	0.00
एफ) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) विदेशी धारिता									
ए) व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) निगम निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए)	**1675925920**	**0**	**1675925920**	**100.00**	**1675925920**	**0**	**1675925920**	**100.00**	**0.00**
बी. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थाएँ									
ए) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) बैंक / एफ आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी) केंद्र सरकार.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डी) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ई) उद्यम पूँजी निधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एफ) बीमा कंपनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जी) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एच) विदेशी उद्यम पूँजी निधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आई) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप- योग (बी)(1):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. ग़ैर संस्थागत									
ए) नैगम निकाय									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी) व्यक्ति	6	0	6	0.01	6	0	6	0.01	0
i) वैयक्तिक शेयरधारक जिनके पास ₹ 1 लाख तक के नगण्य शेयर हैं.	6	0	6	0.01	6	0	6	0.01	0
ii) वैयक्तिक शेयरधारक जिनके पास ₹ 1 लाख से अधिक के नगण्य शेयर हैं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [यथा 1 अप्रैल, 2019]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [यथा 31 मार्च, 2020]				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डी मैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	डी मैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	
सी) अन्य (उल्लेख करे)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अनिवासी भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी नैगम निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी निकाय - डी आर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (बी)(2):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी)(1)+ (बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. जीडीआर तथा एडीआर हेतु अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सकल योग (ए+बी+सी)	**1675925926**	**0**	**1675925926**	**100**	**1675925926**	**0**	**1675925926**	**100**	**0**

(ii) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [यथा 1 अप्रैल, 2019]			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [यथा 31 मार्च, 2020]			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में हुए बदलाव का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गये / भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गये / भारित शेयरों का %	
1	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	1675925920	100	0	1675925920	100	0	0.00
योग:		**1675925920**	**100**	**0**	**1675925920**	**100**	**0**	**0.00**

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %
1	**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**				
	वर्ष के आरंभ में	1,675,925,920	100	1,675,925,920	100
	वर्ष के अंत में	1,675,925,920	100	1,675,925,920	100

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोडकर) की शेयरधारिता

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में बढोतरी/ कमी	कारण	वर्ष के दौरान तथा वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %
1	श्री एस. एन. सिंह (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	31 जुलाई, 2017	0	-	1	0
2	श्री कैलाश चंद्र भानू (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	31 जुलाई, 2017	0	-	1	0
3	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	28 मई, 2019	-1	शेयरों का अंतरण	0	0
4	श्री विनय एस. हेडाऊ (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई, 2018	0	-	1	0
5	श्री अनिल कुलकर्णी (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई, 2018	0	-	1	0
6	श्रीमती वाय. मुन्नीकुमारी (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई, 2018	0	-	1	0
7	श्री रवि त्यागी (सिडबी के प्रतिनिधि)	0	0	27 जुलाई, 2018	1	शेयरों का अंतरण	1	0

(v) निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में %
1.	-	-	0.00	-	0.00

V) कंपनी की ऋणग्रस्तता: बकाया ब्याज / उपचित किंतु अदायगी हेतु देय नहीं ब्याज सहित

	जमाराशियों को छोडकर ज़मानती ऋण	बेज़मानती ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	1,50,00,00,00,000.00	1,50,00,00,00,000.00
ii) देय ब्याज जोकि अदा नहीं किया गया	-	-	1,34,63,08,318.00	1,34,63,08,318.00
iii) ब्याज उपचित किंतु देय नहीं	-	-	0.00	0.00
योग (i+ii+iii)	**-**	**-**	**1,51,34,63,08,318.00**	**1,51,34,63,08,318.00**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
* वृद्धि	-	-	50,00,00,00,000.00	50,00,00,00,000.00
कमी	-	-	31,25,00,00,000.00	31,25,00,00,000.00
निवल बदलाव	**-**	**-**	**18,75,00,00,000.00**	**18,75,00,00,000.00**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	1,68,75,00,00,000.00	1,68,75,00,00,000.00
ii) देय ब्याज जोकि अदा नहीं किया गया	-	-	1,50,62,02,730.00	1,50,62,02,730.00
iii) ब्याज उपचित किंतु देय नहीं	-	-	0.00	0.00
योग (i+ii+iii)	**-**	**-**	**1,70,25,62,02,730.00**	**1,70,25,62,02,730.00**

* बैंकों से प्राप्त प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्ट्फॉल के अंतर्गत जमाराशि.

VI. निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक तथा / अथवा पूर्णकालिक निदेशकों तथा / अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (सीईओ) / प्रबंधक का नाम (2019-20)	कुल राशि
1	सकल वेतन	श्री आलोक गुप्ता (प्र.नि.एवं सीएओ)	
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	₹ 70,00,000	₹ 70,00,000
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य		
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज़ में लाभ	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	उद्यम (स्वेट) ईक्विटी	-	-
4	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के आधार पर - अन्य, कृपया उल्लेख करें..	-	-
5	अन्य कृपया उल्लेख करें	-	-
	योग (ए)	**₹ 70,00,000**	**₹ 70,00,000**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**श्री पिलारिसेत्ती सतीश**	**श्री अरविंद कुमार जैन**	**श्री हर्ष श्रीवास्तव**	
	बोर्ड / समितियों की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	₹ 2,00,000	₹ 5,40,000	₹ 2,20,000	₹ 9,60,000
	कमीशन	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	योग (1)	**₹ 2,00,000**	**₹ 5,40,000**	**₹ 2,20,000**	**₹ 9,60,000**
2	अन्य ग़ैर कार्यापालक निदेशक	-	-	-	-
	बोर्ड / समितियों की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	योग (2)	**-**	**-**	**-**	**-**
	योग (बी)=(1+2)	**-**	**-**	**-**	
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई गणना के आधार पर कंपनी के निवल लाभ के 3% से कम			

सी. प्र. नि./ प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक			योग
		मुख्य वित्तीय अधिकारी	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**	**कंपनी सचिव**	
		श्रीमती रजनी सूद (11 दिसंबर, 2019 तक)	**श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव (20 दिसंबर, 2019 से अबतक)**	**सुश्री पूजा कुकरेती**	
1	**सकल वेतन**				
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	₹ 22,25,192.70	₹ 8,99,994.58	₹ 8,00,000	₹ 39,25,187.28
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	₹ 3,55,049.55	₹ 3,04,381.51	-	₹ 6,59,431.06
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज़ में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	उद्यम (स्वेट) ईक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें...	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें - आवास परिलब्धि तथा अवकाश नकदीकरण	₹ 3,57,603.36	₹ 1,54,108.83	-	₹ 5,11,712.2
	योग	**₹ 29,37,845.62**	**₹ 13,58,484.92**	**₹ 8,00,000**	**₹ 5096330.54**

नोट: - सीईओ के पारिश्रमिक का विवरण उपर्युक्त मद संख्या VI ए में दिया गया है.

VII. ज़ुर्माना / सज़ा / अपराधों का निराकरण

प्रकृति	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गये ज़ुर्माना/ सज़ा / निराकरण शुल्क का विवरण	प्राधिकारी [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय]	दायर की गई अपील यदि कोई हो तो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
ज़ुर्माना					
सज़ा					
कम्पाउंडिंग					
बी. निदेशक					
ज़ुर्माना					
सज़ा			NIL		
कम्पाउंडिंग					
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
ज़ुर्माना					
सज़ा					
कम्पाउंडिंग					

वास्ते तथा निदेशक मंडल की ओर से
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.

अध्यक्ष

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 21 अगस्त, 2020

'ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखा रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2016' के अंतर्गत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

1. हमने माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें यथा 31 मार्च 2020 का तुलनपत्र, लाभ हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरणी, नकदी प्रवाह विवरणी तथा ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों के नोट्स तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं तथा उनपर दिनांक 4 जून, 2020 की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में अपना अभिमत दिया है. उक्त वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है. हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के अधार पर अपना अभिमत प्रकट करना है. हमारी लेखापरीक्षा उक्त रिपोर्ट के परिच्छेद 6 में उल्लिखित 'लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व' में दी गई विधि से की गई है.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किये गये "ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखा रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2016" (उक्त दिशानिदेश) की अपेक्षानुसार उपर्युक्त परिच्छेद 1 में तथा हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर, जोकि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक थे, हम उक्त दिशानिदेशों के परिच्छेद 3 तथा 4 में दिये गये विषयों पर, जिस सीमा तक ये कंपनी पर लागू होते हैं, पर अपनी रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

ए. दिशानिदेशों की मद 3(ए)

3. कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) की धारा 45-I में दी गई परिभाषा के अनुसार ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के व्यवसाय में संलग्न है तथा वर्ष के अधिकांश भाग में भारतीय रिज़र्व बैंक की 8 अप्रैल, 1999 की प्रेस विज्ञप्ति में वर्णित तथा मास्टर दिशानिदेश - ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक दिशानिदेश 2016 के अनुसार प्रधान व्यवसाय मानदंडों (वित्तीय आस्तियाँ / आय पैटर्न) का अनुपालन करती है जिसके अनुसार इसके लिये अधिनियम की धारा 45-I के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है. तथापि, यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी की कुला आस्तियों में से वित्तीय आस्तियाँ 45.89% हैं जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों से कम है. ऐसा मुख्यत: फरवरी 2020 के दौरान प्राप्त हुई प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल (पीएसएस) निधि की ₹ 2500 करोड़ की किस्त मिलने के कारण हुआ है जिसे कोविड लॉकडाउन होने के कारण मार्च में पूर्णत: संवितरित नहीं किया जा सका. परिणामत: उक्त निधि को सावधि जमाओं में निवेश करना पडा. कंपनी आरबीआई में सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफआई के रूप में दिनांक 13 जून, 2017 के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या बी-13.02190 के माध्यम से पंजीकृत किया गया था.

i. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों के अनुसार तथा प्रधान व्यवसाय मानदंड (वित्तीय आस्ति / आय पैटर्न) के आधार पर कंपनी उक्त खंड (i) में उल्लिखित पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करने के लिये पात्र है.

ii. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार ग़ैर बैंकिग वित्तीय कंपनी निवल स्व-निधि (नेट-ओन्ड फंड) संबंधी मास्टर दिशानिदेश - ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक दिशानिदेश 2016 की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है.

बी. दिशानिदेशों की मद संख्या 3 (सी):

i. निदेशक मंडल ने सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने हेतु दिनांक 28 मई, 2019 को एक संकल्प पारित किया है.

ii. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है.

iii. कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष मास्टर दिशानिदेश - ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार

करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2016 के अनुसार आय की मान्यता, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण तथा खराब एवं संदिग्ध ऋणों की पहचान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है.

iv. मास्टर दिशानिदेश - ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश 2016 में परिभाषित प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी के संबंध में:

(ए) बैंक को फॉर्म एनबीएस-7 में प्रस्तुत विवरणी में किये गये प्रकटन के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात की उक्त तिथि को सही गणना की गई है तथा बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात का अनुपालन करती है;

(बी) कंपनी ने बैंक को पूँजी निधि, जोखिम आस्तियाँ/एक्सपोज़र तथा जोखिम आस्ति अनुपात की वार्षिक विवरणी (एनबीएस-7) निर्धारित समय पर बैंक में प्रस्तुत की है.

4. यह रिपोर्ट केवल दिशानिदेशों के परिच्छेद 3 तथा 4 में वर्णित मामलों पर रिपोर्टिंग के प्रयोजन से जारी की जा रही है तथा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये इसका वितरण करने का आशय नहीं है.

कृते **वी. सी. शाह एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 109818डब्ल्यू

विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता संख्या.: 110120
मुम्बई, जून 04, 2020 यूडीआईएन: 20110120एएएएसीयू7405

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सदस्यगण माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड** (कंपनी) की संलग्न लेखा विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2020 का तुलनपत्र, लाभ हानि विवरणी (अन्य समग्र आय सहित) नकदी प्रवाह विवरणी तथा वर्ष के दौरान ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणी एवं वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों एवं स्पष्टीकरण सूचना शामिल हैं.

हमारे अभिमत के अनुसार तथा हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार वांछित सूचनाएँ इस प्रकार उपलब्ध कराती हैं कि वह इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (इंड एएस) सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कारोबार तथा कुल समग्र आय, नकदी प्रवाह तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान ईक्विटी में आये परिवर्तनों की सत्य तथा उचित स्थिति परिलक्षित करता है.

अभिमत का आधार

हमने वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में दिये गये 'लेखापरीक्षा मानकों' (एसए) के अनुसार की है. उक्त मानकों के अनुसार हमारे उत्तरदायित्वों का अधिक वर्णन हमारी रिपोर्ट में 'वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' में किया गया है. हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये 'आचार संहिता' (कोड ऑफ एथिक्स) के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हेतु प्रासंगिक सभी नैतिक उत्तरदायित्वों तथा आईसीएआई की आचार संहिता एवं अन्य समस्त नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त आधार प्रदान करता है.

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार वर्तमान अवधि के लिये केवल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. केवल वित्तीय विवरणियों की समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन विषयों पर ध्यान दिया गया है तथा हम इन विषयों पर पृथक रूप से कोई अभिमत प्रकट नहीं करते हैं. हमने नीचे वर्णित विषयों को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय माना है जिनका उल्लेख हमारी रिपोर्ट में किया जाना है.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	ऋण और अग्रिम पर हानि की पहचान और माप महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय का विषय हैं। इंड-एएस 109 के लागू होने के साथ साथ ऋण हानि का आकलन अब अनुमानित ऋण हानि) ईसीएल) मॉडल पर आधारित होता है. हानि हेतु छूट की राशि की गणना अनुमानों के आधार पर की जाती है जिसमें चूक और हानि के ऐतिहासिक अनुपात शामिल हैं. हानि की मात्रा का निर्धारण प्रबंधन द्वारा अनेक कारकों के आधार पर अपने विवेकानुसार करता है. सबसे महत्वपूर्ण कारकों में निम्नांकित शामिल हैं: • ऋण बही का खंडकरण ; • ऋण के स्तर का मानदंड; • चूक की संभावना/ चूक होने पर संभावित हानि की गणना; • संभावना भारित परिदृश्य तथा संभावित बृहद आर्थिक कारकों पर विचार; • प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन का अनुपालन	विषय के महत्व को देखते हुये इस क्षेत्र में अन्य के साथ साथ निम्नांकित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ भी अपनाई गईं ताकि उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके: डिज़ाइन / नियंत्रण • इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के आधार पर हानि सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया • हानि प्रभार की गणना के लिये प्रयुक्त ऋण हानि प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन का आकलन किया • ऋण हानि संबंधी छूट के परिमापन तथा वित्तीय विवरणियों में इनके प्रकटन पर प्रबंधन समीक्षा नियंत्रणों का परीक्षण किया पर्याप्त परीक्षण • मॉडल में लेखांकन सिद्धांतओं के प्रयोग, आँकडों की सम्पूर्णता तथा शुद्धता एवं मान्यताओं की युक्तिसंगतता के उपयुक्त प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया. • आँकडों की सम्पूर्णता, शुद्धता तथा प्रासंगिकता के आकलन के लिये हानि छूट की गणना संबंधी विवरणों का परीक्षण

वित्तीय विवरणियों तथा उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

अन्य सूचना के लिये कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है. अन्य सूचना निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की गई हैं किंतु यह वित्तीय विवरणियों तथा उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं.

वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचनाओं के संबंध में हमारी ओर से आश्वासन की कोई अभिव्यक्ति नहीं की गई है.

वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर वर्णित अन्य सूचना का अध्ययन करना तथा इस क्रम में इस बात पर विचार करना कि उक्त अन्य सूचना वित्तीय विवरणियों के सापेक्ष महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है, अथवा लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है. यदि हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह उक्त अन्य जानकारी की ग़लतबयानी है, तो हमारा इस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है. हमें इस संबंध में कुछ रिपोर्ट नहीं करना है.

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने वाले प्रभारियों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणियों को अधिनियम की धारा 133 में वर्णित इंडएएस सहित भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के संबंध में, जोकि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, तथा समग्र आय, नकदी प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में हुये परिवर्तन का, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिये कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है.

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव तथा इनका पता लगाने के लिये पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन; युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाना; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन शामिल है, जोकि लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित किये जा रहे थे, तथा ऐसी वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने तथा प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिक थे जोकि स्वतंत्र तथा सत्य चित्रण करते हों और धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हों.

वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने में कंपनी की चलायमान प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) बने रहने की क्षमता का आकलन करना, यथाप्रयोज्य प्रकटन करना, चलायमान प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) से संबंधित विषयों एवं चलायमान प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) लेखांकन आधार की प्रयोज्यता सुनिश्चित करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है, यदि प्रबंधन का इरादा कंपनी को बंद करने का या परिचालन रोकने का न हो, अथवा उसके पास इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प न बचा हो.

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु भी उत्तरदायी है.

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में, कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण उचित आश्वासन प्राप्त करना है और इसपर हमारे अभिमत सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में ग़लतबयानी का निरपवाद रूप से पता चल जायेगा. ग़लतबयानी धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण हो सकती है तथा इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब एकल रूप से अथवा सकल रूप से वे प्रयोक्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हों.

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाने वाली लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा लेखापरीक्षा के विषय में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं. हम निम्नांकित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणियों में महत्वपूर्ण गलतबयानी, जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, और उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हों. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना. अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त और परिचालन की दृष्टि से प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है.
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन।
- चलायमान प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) आधार पर लेखांकन प्रक्रिया के उपयोग के प्रबंधन के निर्णय की उपयुक्तता देखना और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है जो एक चलायमान प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डालती हो। यदि हम पाते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा. अन्यथा

यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारे अभिमत को संशोधित करन होगा. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चलायमान प्रतिष्ठान (गोइंग कंसर्न) नहीं भी रह सकती है.

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरणियाँ अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति होती है.

हम अन्य विषयों के साथ साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समयावधि एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर गवर्नेंस का प्रभार संभालने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं जिनमें हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं.

हम गवर्नेंस का प्रभार संभालने वाले व्यक्तियों को बयान उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता की दृष्टि से प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा जहाँ लागू हो, उन्हे उन सभी संबंधों तथा अन्य विषयों से तथा तत्संबंधी सुरक्षा उपायों से अवगत कराते हैं जिनका युक्तिसंगत प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पडना संभावित हो.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश"), की अपेक्षानुसार हम "आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर एक विवरणी, "अनुबंध ए" में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (ए) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वो सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किये है जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;

   (बी) हमारे अभिमत के अनुसार, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन लेखाबहियों के हमारे द्वारा किये गये परीक्षण से प्रतीत होता है;

   (सी) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ हानि विवरणी, नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरणी, लेखाबहियों के साथ मेल खाते हैं;

   (डी) हमारे अभिमत के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंडएएस का अनुपालन करती हैं;

   (ई) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिये गये, यथा 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, यथा 31 मार्च, 2020 को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

   (एफ)इन वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट में "अनुबंध बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है;

   (जी) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      i. यथा 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के कोई ऐसे लंबित मुकदमे नहीं हैं, जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकें;

      ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनके कारण कोई महत्वपूर्ण हानि संभावित हो;

      iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत संशोधित दिशानिदेशों की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से प्रसंस्कृत करने के लिये प्रणाली मौजूद है. कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से इतर प्रसंस्कृत नहीं किया गया है.

   ii. शुल्क माफ़ करने / लेखांकित शुल्क जो को जोकि देय था किंतु प्राप्त नहीं हुआ की रिवर्सल प्रविष्टि / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है.

   iii. इकाई को केंद्रीय एजेंसियों (वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार) से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधियाँ प्राप्त हुई हैं. साथ ही, मुद्रा को राज्य सरकार से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है.

कृते **वी.सी.शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या.109818डब्ल्यू

विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं.: 110120
मुम्बई, जून 04, 2020. यूडिन: 20110120AAAACU7405

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ए

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. की हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट में शामिल 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

i. (ए) कंपनी ने अचल आस्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति के पूर्ण विवरण सहित समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है.

(बी) कंपनी के पास अचल आस्तियों की सभी मदों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारे अभिमत के अनुसार, कंपनी के आकार और इसकी आस्तियों की प्रकृति के लिहाज़ से युक्तिसंगत है। उक्त कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कतिपय अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(सी) हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा किये गये परीक्षण के आधार पर, कंपनी के पास यथा 31 मार्च, 2020 तक कोई अचल आस्ति नहीं है, जिसे कि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत शामिल किया जा सके.

ii. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और उसने किसी भी सामान का सौदा नहीं किया है और कंपनी के पास लेखापरीक्षा के दौरान कोई भी इंवेंटरी नहीं है। तदनुसार, कंपनियाँ (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल किसी भी पक्ष को कोई ज़मानती या बेज़मानती ऋण नहीं दिया है.

iv. हमारे अभिमत और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी गई है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं। तदनुसार, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं.

v. कंपनी ने अधिनियम और कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 (यथासंशोधित) की धारा 73 से 76 के अर्थ के अंतर्गत जनता से कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, कंपनियाँ (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3 (वी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vii. (ए) कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, उपकर, निर्विवाद वैधानिक देय राशि और अन्य सांविधिक देय जो भी उसपर लागू होते हैं, उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है।

(बी) भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि यथा 31 मार्च, 2020 तक देय राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं बकाया थी।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर का कोई ऐसी राशि बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं की गई हो।

viii. हमारी जानकारी तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकार को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (viii) लागू नहीं है।

ix. कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (डेट इंस्ट्रूमेंट्स सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से पैसा नहीं एकत्र किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ix) लागू नहीं है।

x. भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार हमारे द्वारा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की परीक्षा के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की कोई घटना सामने नहीं आई है। कंपनी को देखा गया है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा इस तरह के किसी मामले की सूचना दी गई है।

xi. प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सपठित अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसरण में अनिवार्य अनुमोदनों के साथ किया गया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जहां लागू हो अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में है, और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरणों का प्रकटन लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणियोंस के नोट्स में किया गया है. धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार अधिनियम की धारा 177 के अंतर्गत खंड (xiii) के अधीन रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

xiv. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों तथा / अथवा पूर्णत: या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं है।

xvi. कंपनी पंजीकृत है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकरण (सीओआर) का प्रमाण पत्र धारण करती है। कंपनी को आरबीआई के साथ "सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार न करने वाली ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था" के रूप में दिनांक 6 अप्रैल, 2015 की पंजीकरण संख्या एन-14.03313 के साथ पंजीकृत किया गया है।

कृते **वी.सी.शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या.109818डब्ल्यू

विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं.: 110120
मुम्बई, जून 04, 2020. यूडिन: 20110120AAAACU7405

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध बी

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. की हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट में शामिल 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अनुच्छेद 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.** (कंपनी) की यथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के साथ साथ उक्त दिनांक को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की भी लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने तथा लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियोंस के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") तथा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों, दोनोन आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसार की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि इन वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाये जाने तथा इन नियंत्रनों के सभी महत्वपूर्ण पक्षों के संबंध में पर्याप्त और प्रभावी लागू करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन मिले.

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी परिचालन प्रभावशीलता और उन की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना तथा एतदर्थ आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, महत्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणियों में ग़लतबयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन अनदेखी की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण ग़लतबयानी हो सकती है जिसका पता लगने की संभावना कठिन है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण विकृत हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत के अनुसार, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और यथा 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर इंसटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किये गये ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी थे।

कृते **वी.सी.शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या.109818डब्ल्यू

विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं.: 110120
मुम्बई, जून 04, 2020. यूडिन: 20110120AAAACU7405

तुलनपत्र

यथा 31 मार्च, 2020 को

(₹ लाख)

विवरण		नोट सं.	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आस्तियाँ				
वित्तीय आस्तियाँ				
(ए)	नकदी एवं नकदी सममूल्य	4	4,21,125.99	1,73,461.18
(बी)	नकदी एवं नकदी सममूल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	5	6,09,957.15	3,13,301.98
(सी)	ऋण	6	9,00,400.11	11,83,404.34
(डी)	निवेश	7	18,727.22	40,040.37
गैर वित्तीय आस्तियाँ				
(ए)	वर्तमान कर आस्तियाँ (निवल)	8	2,028.10	498.77
(बी)	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	9	9,739.04	10,950.61
(सी)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	10	4.09	7.78
(डी)	विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ		47.50	47.50
(ई)	अन्य अमूर्त आस्तियाँ	11	0.55	1.42
(एफ)	अन्य गैर वित्तीय आस्तियाँ	12	-	1,358.95
	कुल आस्तियाँ		**19,62,029.75**	**17,23,072.91**
देयताएँ और ईक्विटी				
देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ				
(ए)	भुगतान योग्य राशियाँ	13		
	I) व्यवसाय संबंधी देय		-	-
	II) अन्य देय		251.32	248.48
(बी)	जमाराशियाँ	14	17,02,562.03	15,13,463.08
(सी)	अन्य वित्तीय देयताएँ	15	13.12	4.62
गैर वित्तीय देयताएँ				
(ए)	अन्य गैर वित्तीय देयताएँ	16	28,269.13	-
	कुल देयताएँ		**17,31,095.59**	**15,13,716.18**
ईक्विटी				
(ए)	ईक्विटी शेयर पूँजी	17	1,67,592.59	1,67,592.59
(बी)	अन्य इक्विटी	18	63,341.56	41,764.14
	कुल ईक्विटी		**2,30,934.15**	**2,09,356.73**
	कुल देयताएँ और ईक्विटी		**19,62,029.75**	**17,23,072.91**
	कृपया संलग्न नोट देखें जोकि इन वित्तीय विवरणियों के अंश हैं.	1 to 65		

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फ़र्म सं.:109818डब्ल्यू

हस्ता/-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं. :110120

वास्ते निदेशक मंडल

हस्ता/-
आलोक गुप्ता
प्र. नि. एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

हस्ता/-
मनोज मित्तल
निदेशक
डीआईएन :01400076

हस्ता/-
अंजनी कुमार श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 04, 2020

लाभ हानि विवरणी

यथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**परिचालनों से आय**			
	ब्याज से आय	19	1,10,334.29	78,358.40
	शुल्क और कमीशन से आय	20	476.25	385.59
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	21	299.02	7,347.66
	परिचालनों से कुल आय		**1,11,109.56**	**86,091.65**
II.	अन्य आय	22	80.61	1.13
III.	**कुल आय (I+II)**		**1,11,190.17**	**86,092.79**
IV.	**व्यय**			
	वित्तीय लागत	23	65,872.35	51,494.52
	वित्तीय लिखतों पर इम्पेयरमेंट	24	6,826.15	28,234.02
	कर्मचारी अनुलाभ व्यय	25	712.70	653.57
	मूल्यह्रास, परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट	26	4.99	9.09
	अन्य व्यय	27	4,034.56	581.94
	कुल व्यय (IV)		**77,450.75**	**80,973.14**
V.	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)**		33,739.42	5,119.65
VI.	**कर संबंधी व्यय:**	28		
	वर्तमान कर		10,546.33	11,634.87
	आस्थगित कर		1,211.57	(9,863.34)
VII.	**वर्ष हेतु लाभ / (हानि) (VI-VII)**		**21,981.52**	**3,348.12**
	अन्य व्यापक आय			
A.	**वे मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जायेगा**		-	-
B.	**वे मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जायेगा**		-	-
	अन्य व्यापक आय (ए+बी)		-	-
	कुल व्यापक आय		**21,981.52**	**3,348.12**
VIII.	**प्रति ईक्विटी शेयर कमाई**	29		
	मूलभूत (₹)		1.31	0.20
	तरलीकृत (₹)		1.31	0.20
	हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार			

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फ़र्म सं.:109818डब्ल्यू

हस्ता/-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं. :110120

वास्ते निदेशक मंडल

हस्ता/-
आलोक गुप्ता
प्र. नि. एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

हस्ता/-
मनोज मित्तल
निदेशक
डीआईएन :01400076

हस्ता/-
अंजनी कुमार श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 04, 2020

नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख)

विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ए.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ	33,739.42	5,119.65
	कर पूर्व निवल लाभ		
	हेतु समायोजन		
	सावधि जमाओं और जमाप्रमाणपत्रों से ब्याज आय	(49,099.29)	(21,312.39)
	म्युचुअल निधियों के विक्रय से लाभ	(299.02)	(7,347.66)
	मूल्यह्रास और परिशोधन	4.99	9.09
	वित्तीय लिखतों पर इम्पेयरमेंट	6,826.15	28,234.02
	कर वापसी पर ब्याज	(78.97)	-
	अपफ्रंट शुल्क का परिशोधन	474.78	(15.59)
	नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय	671.58	-
	कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन (हानि) / लाभ	**(7,760.36)**	**4,687.11**
	कार्यशील पूँजी में विस्थापन		
	ऋणों में (वृद्धि)/ कमी	2,75,960.78	(1,29,229.53)
	अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	-	768.63
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	1,358.95	(1,081.90)
	अन्य देयराशियों में वृद्धि / (कमी)	2.84	(14.58)
	अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	8.50	1.28
	अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	28,269.13	-
	परिचालनजनित नकदी	**2,97,839.84**	**(1,24,868.99)**
	प्रदत्त आय कर	(11,996.69)	(11,169.04)
	नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु प्रदत्त	(671.58)	-
	परिचालन गतिविधियों से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**2,85,171.58**	**(1,36,038.02)**
बी.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों तथा अमूर्त आस्तियों की खरीद	(0.43)	(47.70)
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी - जमा प्रमाणपत्र	(17,712.33)	12,189.41
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी - नैगम जमा	-	59,527.38
	सावधि जमा (3 माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाली) में (वृद्धि) / कमी	(2,96,749.84)	(2,02,911.68)
	सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्रों से ब्याज आय	48,082.53	31,457.70
	म्युचुअल निधियों के विक्रय पर लाभ	299.02	7,347.66
	म्युचुअल निधियों में निवेश में कमी	40,040.37	35,169.17
	निवेश गतिविधियों से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(2,26,040.68)**	**(57,268.03)**

(₹ लाख)

विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
सी.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,89,098.94	(3,095.19)
	प्रदत्त लाभांश	(335.19)	(2,094.91)
	प्रदत्त लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	(68.91)	(430.69)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी	**1,88,694.85**	**(5,620.78)**
	नकदी एवं नकदी सममूल्य में निवल (कमी) / वृद्धि	**2,47,825.75**	**(1,98,926.84)**
	वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी सममूल्य	1,73,461.18	3,72,388.02
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी सममूल्य	**4,21,286.92**	**1,73,461.18**

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकदी एवं नकदी सममूल्य का मिलान

उक्त के अनुसार नकदी एवं नकदी सममूल्य में निम्नांकित शामिल हैं:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बैंकों में चालू खातों में शेष	48.55	498.97
हाथ में नकदी	0.04	0.04
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएँ	4,21,238.33	1,72,962.17
योग	**4,21,286.92**	**1,73,461.18**

देयताओं में वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न परिवर्तनों से संबंधित प्रकटन के लिये नोट 37 देखें

नोट सं. 1 से 3 के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

संलग्न नोट इन वित्तीय विववरणियों का अभिन्न अंग हैं.

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फ़र्म सं.:109818डब्ल्यू

हस्ता/-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं. :110120

वास्ते निदेशक मंडल

हस्ता/-
आलोक गुप्ता
प्र. नि. एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

हस्ता/-
मनोज मित्तल
निदेशक
डीआईएन :01400076

हस्ता/-
अंजनी कुमार श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 04, 2020

ईक्विटी में परिवर्तनों की विवरणी

यथा 31 मार्च, 2020 को

ए. ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के आरंभ में शेष	**1,67,592.59**	**1,67,592.59**
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,67,592.59**	**1,67,592.59**

बी. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख)

विवरण	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	विकास निधि	सामान्य आरक्षिति	प्रत्याधारित कमाई	नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत निर्मित सांविधिक आरक्षिति		
01 अप्रैल, 2018 को शेष	**7,407.41**	**200.00**	**21,500.00**	**5,194.40**	**-**	**6,639.81**	**-**	**40,941.62**
अवधि हेतु लाभ				3,348.12			-	3,348.12
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत निर्मित सांविधिक आरक्षिति में अंतरित	-	-	-	(669.62)		669.62	-	-
सामान्य आरक्षितियों में अंतरित	-	-	1,500.00	(1,500.00)		-	-	-
विकास निधि में अंतरित	-	-	-	-		-	-	-
सीएसआर निधि में अंतरित				(671.58)	671.58			-
योग	**7,407.41**	**200.00**	**23,000.00**	**5,701.31**	**671.58**	**7,309.44**	**-**	**44,289.74**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	(2,094.91)		-	-	(2,094.91)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	(430.69)		-	-	(430.69)
31 मार्च, 2019 को	**7,407.41**	**200.00**	**23,000.00**	**3,175.72**	**671.58**	**7,309.44**	**-**	**41,764.14**
अवधि हेतु लाभ				21,981.52			-	21,981.52
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत निर्मित सांविधिक आरक्षिति में अंतरित	-	-	-	(4,396.30)		4,396.30	-	-
सामान्य आरक्षितियों में अंतरित	-	-	15,000.00	(15,000.00)			-	-
विकास निधि में अंतरित	-	-	-	-	-		-	-
सीएसआर निधि में अंतरित				671.58	(671.58)			-
योग	**7,407.41**	**200.00**	**38,000.00**	**6,432.51**	**-**	**11,705.74**	**-**	**63,745.66**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	(335.19)		-	-	(335.19)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	(68.91)		-	-	(68.91)
31 मार्च, 2020 को	**7,407.41**	**200.00**	**38,000.00**	**6,028.42**	**-**	**11,705.74**	**-**	**63,341.57**

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फ़र्म सं.:109818डब्ल्यू

हस्ता/-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं. :110120

वास्ते निदेशक मंडल

हस्ता/-
आलोक गुप्ता
प्र. नि. एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

हस्ता/-
मनोज मित्तल
निदेशक
डीआईएन :01400076

हस्ता/-
अंजनी कुमार श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 04, 2020

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - पृथक वित्तीय विवरणियाँ

1. नैगम सूचना

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) भारत की एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है. इसका पंजीकृत कार्यालय स्वावलम्बन भवन, सी11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई - 400051 में स्थित है.

मुद्रा बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों सहित), ग़ैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) तथा अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है तथा प्रतिभूतिकरण लेनदेन में सहभागिता करता है.

2. तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरणियाँ कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) सपठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 यथासंशोधित तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं.

मुद्रा एक ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है तथा इसे उन सभी विनियामक तथा प्रकटन मानकों का अनुपालन करना होता है जो एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू होते हैं.

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वित्तीय विवरणियों को कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथासंशोधित) और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष की वित्तीय विवरणियाँ पहली वित्तीय विवरणियाँ थीं, जिन्हें कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित इंडएएस के अनुसार जिसमें इंडएएस 101 प्रथमत: इंड एएस अंगीकरण शामिल है, के अनुसार तैयार किया गया है।

इंडएएस में संक्रमण की तिथि 01 अप्रैल, 2017 है। विगत जीएएपी से इंड एएस में संक्रमण के फलस्वरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर क्या प्रभाव पडा है, इसकी व्याख्या के लिए नोट 41 को देखें।

निम्नांकित आस्तियों एवं देयताओं को छोडकर सभी अन्य वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

i) कतिपय वित्तीय आस्तियाँ जिनका मूल्यन उचित मूल्य पर किया जाता है.

ii) परिभाषित अनुलाभ योजनाएँ - योजना आस्तियों का मूल्यन उचित मूल्य पर किया जाता है

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गये हैं जो कंपनी की कामकाजी और प्रस्तुति मुद्रा है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में प्रस्तुत किया गया है, सिवाय जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए।

इन वित्तीय विवरणियों को भारत में लागू सभी लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित समस्त प्रयोज्य लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम 2013 के समस्त प्रासंगिक प्रावधानों के साथ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से अनुपालन करने के लिए, ऐतिहासिक आधार पर उपचन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है। मुद्रा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है और उसे एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू विनियामक और प्रकटीकरण मानकों का पालन करना पड़ता है।

नॉवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। कोविड -19 ने न केवल मानव जीवन, बल्कि व्यापार और वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित किया है, जिसका विस्तार वर्तमान में अनिश्चित है। विभिन्न सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। भारत सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 से एक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की।

कोविड-19 महामारी के दौरान अनिश्चितता के कारण, हमारे पास दृश्यता नहीं है कि यह कंपनी के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगा और यह भविष्य में होने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव कंपनी की वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन की तारीख को लगाये गये अनुमान से अलग हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी जिसका कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति

कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के भाग III [जोकि ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय

विवरणियाँ तैयार करने के लिये सामान्य अनुदेश उपलब्ध कराता है (एनबीएफसी को इंड एएस का अनुपालन करना है)] के अनुपालन में अपनी वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करती है। रिपोर्टिंग दिनांक से 12 महीनों के भीतर (वर्तमान) तथा रिपोर्टिंग दिनांक से 12 महीने से अधिक की अवधि के बाद (ग़ैर वर्तमान) पुनर्प्राप्ति या निपटान के बारे में समीक्षा नोट संख्या 33 में दी गई है.

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

3.1 राजस्व मान्यता

मान्यता एवं माप:

राजस्व को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना होती है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होंगे। राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित मूल्य पर किया जाएगा।

3.1.1 ब्याज आय:

एफवीटीपीएल के रूप में मापी गयी या नामित लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय लिखतों के लिए ब्याज-आय प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करके लाभ या हानि खाते में मानी गयी है। एफवीटीपीएल के रूप में मापी गयी वित्तीय लिखतों पर ब्याज अवधि के दौरान उचित मूल्य कें उतारचढाव में ही शामिल है.

ब्याज आय की गणना गैर-क्रेडिट विकृत वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि (यथा, किसी भी अपेक्षित ऋण हानि संभावना के लिए समायोजित करने से पहले वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर) ईआईआर को लागू करके की जाती है। क्रेडिट-विकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ब्याज आय की गणना क्रेडिट-विकृत वित्तीय परिसंपत्तियों (यानी सकल वहन राशि में से क्रेडिट जोखिम (ईसीएल) संभावना को कम कर के) ईआईआर को लागू करके की जाती है।

ईआईआर वह दर है जो वित्तीय लिखत की अवधि या जहां उपयुक्त हो उससे कम अवधि के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देयता की परिमित लागत में अनुमानित भावी नकद भुगतान या प्राप्ति की राशि की छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और समान विकल्पों) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट घाटे पर विचार नहीं किया जाता।

तथापि, रूढिवादी दृष्टिकोण रखते हुए तथा यह देखते हुए कि यह व्यय है तथा इसलिए भी कि इसकी राशि महत्वपूर्ण नहीं है (कुल राजस्व और व्यय का 0.1%) मुद्रा द्वारा अपनी मूल कंपनी के साथ साझा की गई अपफ्रंट फीस भविष्य के ऋणों और अग्रिमों (इंड एएस के अंतर्गत वांछित) के भविष्य के जीवन के दौरान परिशोधित नहीं किया गया है.

निवेशों के विक्रय से हुए लाभ अथवा हानि: निवेशों के विक्रय से हुए लाभ अथवा हानि को अन्य आय के रूप में लाभ या हानि खाते में लिया गया है.

सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्र पर ब्याज को सम अवधि आधार पर लेखांकित किया गया है.

इंडिया माइक्रोफाइनांस ईक्विटी फंड (आईएमईएफ) की निधि का परिचालन / प्रबंधन मुद्रा द्वारा किया जाता है जिसके लिये आहरित राशि पर 1% प्रति वर्ष का प्रशासनिक शुल्क फंड पर प्रभारित किया गया है तथा प्राप्त किया गया है. जितनी अवधि के दौरान मुद्रा ने इसे परिचालित किया है उसके लिये आय के रूप में माना गया है.

3.2 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान आयकर प्रभार की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या सख्ती से लागू किए गए कर कानूनों के आधार पर की जाती है। कर योग्य लाभ 'कर से पहले लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि आय या व्यय के उन मदों के कारण लाभ और हानि के बयान में बताया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और जिन वस्तुओं पर कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणियों में आस्तियों और देयताओं की मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मानी गई है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी घटाए गए अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक माना गया है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके एवज़ में उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को नहीं माना जाता है यदि लेनदेन में आस्ति और देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे उस हद तक कम कर दिया जाता है कि संपत्ति के सभी या किसी भाग को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव न रहे.

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होना संभावित हो, जिसमें देयता का निस्तारण किया जा रहा हो, अथवा आस्ति की वसूली उन कर दरों (तथा कराधान कानून) के आधार पर की जा रही हो, जोकि तत्पश्चात अथवा रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लागू हो.

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप, कर परिणामों को दर्शाती है, जो कि इकाई की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि को वसूल करने या निपटाने के लिए अपेक्षित होती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और इकाई के पास इस तरह के सेटऑफ को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।

एमएटी क्रेडिट अप्रयुक्त कर क्रेडिट के रूप में होते हैं जो इकाई द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि के लिये अग्रेनीत किये जाते हैं, अत: इन्हें आस्थगित कर आस्ति के साथ समूहित किया जाता है.

वर्ष हेतु वर्तमान तथा आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि के अंतर्गत माना जाता है, सिवाय जब वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी के अंतर्गत मान लिया गया हो. ऐसी स्थिति में, वर्तमान और स्थगित कर को क्रमश: अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में सीधे मान लिया जाता है।

3.3 कर्मचारी अनुलाभ:

मान्यता तथा मापन:

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में, अनुपस्थिति के मुआवजे की देनदारियों को आकलित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मार्केट यील्ड का उपयोग करके अनुलाभ में छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ हानि विवरणी में शामिल किया गया है।

रोज़गारोपरांत दायित्व:

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोपरांत योजनाओं का संचालन करती है:

(ए) निर्धारित अनुलाभ योजना जैसे कि ग्रेच्युटी और पेंशन दायित्व.

(बी) सेवानिवृत्ति योजना, भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

ग्रेच्युटी:

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का अंतर की राशि होती है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बांडों पर बाजार के प्रतिलाभ के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देने पर निर्धारित होता है, जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होते हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ हानि विवरणी में कर्मचारी अनुलाभ व्यय में शामिल है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

परिभाषित योगदान योजनाएँ

परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे कि सेवानिवृत्ति योजना, भविष्य निधि को एक व्यय के रूप में लाभ हानि विवरणी में प्रभरित किया जाता है, जब एक कर्मचारी संबंधित सेवाओं को प्रदान करता है। यदि तुलनपत्र की तारीख से पहले प्राप्त की गई सेवा के लिए देय योगदान, पहले से भुगतान किए गए योगदान से अधिक है, तो पहले से ही भुगतान किए गए योगदान में कटौती के बाद योजना के लिए देय घाटे को देयता के रूप में मान्यता दी गई है। यदि तुलनपत्र की तारीख से पहले प्राप्त सेवाओं के कारण पहले से भुगतान किया गया योगदान देय योगदान से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

वर्तमान में, दो कर्मचारियों को छोड़कर जोकि अनुबंध के आधार पर कंपनी के पेरोल पर हैं, अन्य कोई भी कर्मचारी नहीं है जो जिसके लिए रोजगारोपरांत लाभ लागू नहीं हैं।

3.4 संपत्ति, सन्यंत्र एवं उपकरण

मान्यता तथा परिमापन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह संभावित है कि भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होते हैं और लागत का विश्वसनीय परिमापन किया जा सकता है। फ्रीहोल्ड भूमि की लागत का निर्धारण ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अन्य सभी वस्तुओं का परिमापन ऐतिहासिक लागत में से मूल्यह्रास और क्षति हानि घटाकर

किया जाता है। वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए किये गये सीधे व्यय को ऐतिहासिक लागत माना जाता है। लागत में व्यापार-छूट/रियायत को घटाकर गैर-वापसी योग्य करों और कर्तव्यों सहित खरीद मूल्य तथा संपत्ति को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे वहन की गई लागत और वस्तु को हटाने और उस स्थान पर पुनर्स्थापित करने की लागत जहाँ वह स्थित है, की प्रारंभिक अनुमानित लागत भी शामिल है।

परवर्ती लागतों को आस्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या जब उचित हो, एक अलग आस्ति के रूप में पहचाना जाता है, यदि तभी उक्त मद आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलना संभावित हो और मद की लागत का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सकता है।

अलग-अलग आस्ति के रूप में रखी गई आस्ति की स्थिति में बदलाव आने पर इसके मूल्य को अमान्य कर दिया जाता है. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ हानि विवरणी के लिए अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क लिया जाता है जिस अवधि में वे खर्च किए जाते हैं।

संक्रमण तिथि:

संस्था ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्य को 1 अप्रैल, 2017 (संक्रमण तिथि) के रूप में मान्यता देने के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार मापा है और इस तरह के वहन मूल्य को संक्रमण के रूप में उपयोग किया जाता है।

मूल्यह्रास विधि, अनुमानित उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी अवधि के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर लगाया गया है, जहां उपयोगी अवधि का प्रबंधन अनुमान अलग है। जब संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है तो मूल्यह्रास शुरू होता है।

₹ 5,000 / - या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

आस्ति के विभिन्न वर्गों के लिए मूल्यह्रास की गणना के लिए माना जाने वाली उपयोगी अवधि निम्नानुसार है-

आस्ति वर्ग	उपयोगी अवधि
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
कम्प्यूटर हार्डवेयर	3 वर्ष
विद्युतीय संस्थापन	10 वर्ष

यदि आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो आस्ति की वहन राशि तुरंत उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि तक लिखी जाती है।

निस्तारण पर लाभ और हानि का आकलन वसूल की गई राशि की तुलना वहन राशि के साथ करके किया जाता है. ये लाभ या हानि के रूप में अन्य आय या अन्य खर्चों में शामिल किया जाता है, जैसा कि लागू हो।

3.5 अमूर्त आस्तियाँ

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त आस्तियाँ जिनकी उपयोगी अवधि परिमित होती है, का आकलन लागत मूल्य में से संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है। लागत में ऐसे व्यय शामिल हैं जो अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे वहन किये गये हैं।

संक्रमण तिथि:

इंड एएस में संक्रमण की तारीख को संस्था ने अपनी सभी अमूर्त आस्तियों के मूल्य को 1 अप्रैल, 2017 (संक्रमण तिथि) के रूप में मान्यता देने के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार मापा है और इस तरह के वहन मूल्य को संक्रमण के रूप में उपयोग किया गया है।

परिशोधन: अमूर्त आस्तियों का परिशोधन अनुमानित उपयोगी अवधि कई आधार पर सीधी रेखा विधि के अनुसार किया जाता है। परिशोधन और उपयोगी अवधि विधि की समीक्षा प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संभावित आधार पर किए जाने वाले अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव से की जाती है।

अमूर्त आस्ति के विभिन्न वर्गों के लिए परिशोधन हेतु परिमित उपयोगी अवधि निम्नानुसार हैं-

आस्ति वर्ग	उपयोगी अवधि
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष

एक अमूर्त आस्ति कै कालातीत होने या निपटान से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ हानि विवरणी में आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

3.6 उधार लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागत जो कि अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे वहन की जाती है, उस समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत होती है जिसमें आस्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए पूरा करना और तैयार करना आवश्यक होता है। अर्हक आस्ति वे आस्तियाँ हैं जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य उधार लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे वहन की जाती हैं। उधार से संबंधित लेनदेन लागत को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के तहत माना जाता है।

3.7 गैर वित्तीय आस्तियों की दुर्बलता:

इकाई के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करे कि क्या सभी आस्तियों के लिए कोई दुर्बलता का संकेत है। यदि आस्ति दुर्बल है, तो इकाई को आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। दुर्बलता हानि की पहचान तब

की जाती है जब किसी आस्ति की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम हो। वसूली योग्य राशि और वहन राशि के बीच का अंतर लाभ और हानि लेखा विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यदि दुर्बलता का संकेत है, तो प्रत्येक आस्ति के लिए वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाएगा और अगर प्रत्येक आस्ति के लिये वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो इकाई द्वारा नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का निर्धारण किया जाएगा, जिसके पास आस्ति है।

3.8 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

प्रावधान

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, विशिष्ट दायित्व के लिए जोखिम,दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी द्वारा अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से संभावित लाभ से कम होने पर, भारित अनुबंधों के प्रावधान को मान्यता दी जाती है। अनुबंध को समाप्त करने की अपेक्षित लागत के कम मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की अपेक्षित शुद्ध लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रावधान का मूल्यांकन किया जाता है। किसी प्रावधान के स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी आस्तियों पर किसी भी तरह के नुकसान की पहचान करती है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से परे एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने अथवा ना घटने से होगी या एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभावित नहीं है दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक देयता अत्यंत दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होती है, जहां एक देयता है जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसका विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कंपनी उस आकस्मिक देयता को नहीं मानती लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है, तो वित्तीय विवरणियों में इसका प्रकटन किया जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक संपत्ति और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है।

3.9 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्षों में नकदी, संस्थाओं के साथ मांग जमा, कॉर्पोरेट जमा और अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ होते हैं जो आसानी से ज्ञात करने के लिए परिवर्तनीय हैं नकदी की मात्रा और जो मूल्य में परिवर्तन के एक नगण्य जोखिम के अधीन हैं, शामिल है.

3.10 वित्तीय लिखतें

एक वित्तीय लिखत कोई भी ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय आस्ति और वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

3.10.1 वित्तीय आस्तियाँ:

(i) वर्गीकरण, मान्यता तथा परिमापन:

वित्तीय आस्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब इकाई लिखत के अनुबंध संबंधी प्रावधानों के लिए एक पक्ष बन जाती है।

इकाई अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नांकित परिमापन श्रेणियों में करती है:

ए) जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जा सकता है (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और

बी) जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाना है।

वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई के व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर कर्ता है कि क्या वित्तीय आस्तियों के अनुबंध की शर्तें निर्दिष्ट नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज का भुगतान बकाया हैं।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित आस्ति के लिए लाभ और हानि या तो लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज किये जाएँगे। ऋण लिखतों में निवेश के लिए, यह उस बिजनेस मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश होता है। इक्विटी लिखतों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इकाई ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए खाते में प्रारंभिक मान्यता के समय एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

प्रारम्भिक मान्यता:

सभी वित्तीय आस्तियों को प्रारम्भिक तौर पर उचित मूल्य पर माना जाता है और उन लिखतों के लिए जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल में नहीं मापा जाता है, प्लस / माइनस लेनदेन लागत जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

परवर्ती परिमापन:

लिखत की प्रकृति	वर्गीकरण	वर्गीकरण की युक्तिसंगतता	परवर्ती परिमापन
ऋण लिखतें	परिशोधित लागत	संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाने वाली आस्तियाँ, जो नकदी प्रवाह मूल रूप से मूलराशि तथा मूल राशि पर ब्याज के भुगतानों से संबंधित हैं, को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।	प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत की गणना की जाती है, जिसमें ब्याज आय, लेनदेन की लागत और छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम शामिल होता है। ईआईआर परिशोधन वित्तीय आय में शामिल है। अमूर्त लागत पर मापी गई वित्तीय लिखत की व्युत्पत्ति पर लाभ और हानि को लाभ हानि खाते में मान्यता प्रदान की गई है।
	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय आस्तियों को बेचने के लिए रखी जाने वाली आस्तियाँ, जहाँ आस्तियों का नकदी प्रवाह मूल रूप से मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करता है, को एफवीओसीआई में मापा जाता है।	ऐसे उपकरणों के वहन मूल्य में परिवर्तन ओसीआई में क्षतिजनित हानि, ब्याज आय (लेनदेन लागत और छूट या प्रीमियम पर प्रीमियम सहित) और विदेशी मुद्रा लाभ/ हानि को छोड़कर दर्ज किए जाते हैं जो आय विवरण में मान्यता प्राप्त है। ब्याज आय, लेन-देन की लागत और अधिग्रहण पर छूट या प्रीमियम को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके आय विवरणी (वित्त आय) में मान्यता दी जाती है। एफवीओसीआई में मापी गई वित्तीय आस्तियों की व्युत्पत्ति पर, ओसीआई में पहले से मानी गई संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि खाते में अन्य लाभ और हानि शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपी एल)	वे आस्तियाँ जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऋण लिखत पर प्रतिलाभ और नुकसान, जोकि किसी हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं होता है उसे उस अवधि के लिये जिसमें यह वहन किया गया हो, को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।	ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव को आय विवरण में उस अवधि में अन्य लाभ / (हानि) के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जिसमें यह उत्पन्न होते हैं। इन वित्तीय आस्तियों से होने वाली ब्याज आय को वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।
इक्विटी लिखतें	एफवीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश (लिखत लिखत के आधार पर) के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कंपनी के प्रबंधन ने एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है। यदि व्यापार के लिए इक्विटी निवेश किया जाता है तो यह चुनाव मान्य नहीं रहेगा। उक्त वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।	ऐसी लिखतों के उचित मूल्य में बदलाव ओसीआई में अभिलिखित किये जाते हैं. ऐसी लिखतों के निस्तारण पर किसी भी राशि को आय विवरणी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता. एफवीओसीआई पर मापे गये इक्विटी निवेश संबंधी क्षति घाटा (तथा क्षति घाटे का विपर्यय) उचित मूल्य में बदलाव से अलग रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं तथापि ऐसी लिखतों से होने वाली लाभांश आय को आय विवरणी में अभिलिखित किया जाता है.
	एफवीटीपीएल	जब ऐसा कोई चुनाव नहीं किया जाता है, तो इक्विटी उपकरणों को एफवीटीपीएल में मापा जाता है.	ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन आय विवरण में दर्ज किए जाते हैं।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करना:

किसी वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है जब कि -

(ए) इकाई ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित किया है या

(बी) वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहाँ इकाई एक आस्ति को अंतरित करती है तो इकाई को यह मूल्यांकन करना होता है कि क्या इसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और अनुलाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित कर दिया है अथवा नहीं. ऐसे मामलों में, वित्तीय आस्ति को निरस्त कर दिया जाता है। जहां इकाई ने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और अनुलाभो को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, उस स्थिति में उक्त वित्तीय आस्ति को निरस्त नहीं किया जाता है।

जहाँ इकाई ने न तो वित्तीय आस्ति को अंतरित किया है और न ही वित्तीय जोखिम के स्वामित्व के सभी जोखिमों और अनुलाभों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, अगर वित्तीय आस्ति पर अपना नियंत्रण नहीं रखा है, तो वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जहां इकाई वित्तीय आस्ति का नियंत्रण बनाए रखा है, तो वित्तीय आस्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक आस्ति को मान्यता दी जाती है।

(iii) विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ या हानि:

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित वित्तीय आस्तियों का उचित मूल्य उस विदेशी मुद्रा में निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्पॉट दर पर अनुवादित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा के लिए परिशोधित लागत और एफवीटीओएल पर परिकलित वित्तीय आस्तियों के लिए, विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उनके जो हेजिंग संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में नामित होते हैं।

विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से संबंधित एफवीटीओसीआई में इक्विटी लिखतों में निवेश की वहन राशि में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को पहचानने के उद्देश्य से, एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों को वित्तीय आस्ति के रूप में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस प्रकार, परिशोधित लागत पर विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है और एफवीओटीओआई वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

3.10.2 वित्तीय देयताएँ तथा ईक्विटी लिखतें:

इकाई द्वारा जारी की गई ऋण और इक्विटी लिखतों को वित्तीय देनदारियों के रूप में या संविदात्मक व्यवस्था के पदार्थ और एक वित्तीय देयता और एक इक्विटी लिखत की परिभाषा के अनुसार इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्गीकरण, मान्यता तथा परिमापन:

(ए) इक्विटी लिखतें :

इक्विटी लिखत एक अनुबंध है जो किसी इकाई की आस्तियों में अपनी सभी देनदारियों में कटौती के बाद एक अवशिष्ट ब्याज का प्रमाण देता है। इकाई द्वारा जारी किए गए इक्विटी लिखतों को प्राप्त आय में से प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर शुद्ध मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

(बी) वित्तीय देयताएँ:

आरम्भिक मान्यता तथा परिमापन:

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य तथा वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए किये गये लेनदेन की लागत पर मान्यता दी जाती है. इसमें एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को नहीं जोड़ा जाता जिन्हें उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है।

परवर्ती परिमापन:

वित्तीय देनदारियों को परवर्ती परिमापन के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ:

वित्तीय देनदारियों के लिए बढ़ी हुई लागत उस राशि का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर प्रारंभिक दायित्व और मूल राशि के बीच किसी भी अंतर के प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए वित्तीय मान्यता को प्रारंभिक मान्यता ऋणों के मूल पुनर्भुगतान, प्लस या माइनस संचयी परिशोधन मूल्य पर मापा जाता है।

(ii) लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ:

व्यापार के लिए रखी गयी वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है। लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ या हानि वित्तीय देयता पर भुगतान किए गए किसी भी ब्याज को शामिल करती है.

मान्यता निरस्त करना:

जब किसी देयता का निर्वहन हो जाता है, या वह रद्द हो जाता है, या समाप्त हो जाता है तो उस वित्तीय देयता को तुलनपत्र से हटा दिया जाता है । जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अलग-अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की व्युत्पत्ति और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। । इसके फलस्वरूप वहन राशि में आने वाले अंतर को लाभ हानि विवरणी में मान्यता दी गई है.

(c) वित्तीय गारंटी संविदा:

इकाई द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिसमें धारक को एक नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए किए जाने वाले भुगतान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उक्त निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंध को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में पहचाना जाता है, लेनदेन लागतों के लिए समायोजित किया जाता है जो गारंटी जारी करने के लिए वहन किये गये हैं। इसके बाद, दायित्व को इंडएएस 109 की क्षति अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित क्षति की मात्रा के उच्च स्तर पर परिकलित किया जाता है और इसमे संचयी परिशोधन को घटाकर मान्यता दी जाती है।

3.10.3 वित्तीय आस्तियों की क्षति:

इंडएएस 109 के अनुसार, इकाई निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और क्रेडिट जोखिम क़े लिये क्षति हानि के आकलन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- वित्तीय आस्तियाँ परिशोधित लागत पर, जैसे, अग्रिम, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा और इकाई शेष
- वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण लिखत हैं और एफवीटीओसीआई के रूप में मापी जाती हैं
- ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है, वित्तीय गारंटी अनुबंध जो एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है

ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह जो कि अनुबंध के अनुसार इकाई के कारण होता है और सभी नकदी प्रवाह जो इकाई को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं (यानी, सभी नकदी की कमी), मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है के बीच का अंतर है। नकदी प्रवाह का आकलन करते समय, इकाई को निम्नांकित पर विचार करना आवश्यक है:

- वित्तीय लिखत की अपेक्षित अवधि पर वित्तीय लिखत (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्पों सहित) के सभी संविदा शर्तें। हालांकि, दुर्लभ मामलों में जब वित्तीय लिखत की अपेक्षित अवधि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इकाई को वित्तीय लिखत की शेष संविदा शर्तों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है
- नकद संपार्श्विक की बिक्री या अन्य क्रेडिट संवर्द्धन की बिक्री से आने वाला नकदी प्रवाह जो अनुबंध की शर्तों से अभिन्न है

लागू की गई विकृति पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि भुगतान को प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है यदि भुगतान देय होने के 30 दिनों से अधिक हैं। संपूर्ण परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर एंटिटी डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है और क्या पूरे रिपोर्टिंग अवधि में निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इकाई परिसंपत्ति पर होने वाली डिफ़ॉल्ट के जोखिम की तुलना रिपोर्टिंग तिथि पर डिफ़ॉल्ट के जोखिम के साथ प्रारंभिक मान्यता की तारीख के रूप में करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषण दिखने वाली जानकारी पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

लागू की गई विकृति पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि भुगतान को प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है यदि भुगतान देय होने के 30 दिनों से अधिक हैं। संपूर्ण आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर इकाई चूक की संभावना पर विचार करती है और क्या पूरे रिपोर्टिंग अवधि

में निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इकाई आस्ति पर होने वाली चूक के जोखिम की तुलना रिपोर्टिंग तिथि पर चूक के जोखिम के साथ प्रारंभिक मान्यता की तारीख के रूप में करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषण दिखने वाली जानकारी पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

- आंतरिक क्रेडिट रेटिंग
- बाहरी क्रेडिट रेटिंग (जहाँ तक उपलब्ध है)
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक परिस्थितियों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन सकता है।
- उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन
- समान उधारकर्ता के अन्य वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि
- दायित्व का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन या तीसरे पक्ष की गारंटी या क्रेडिट संवर्द्धन की गुणवत्ता में
- उधारकर्ता के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समूह में उधारकर्ताओं की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित।

चूक की परिभाषा

12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर हानि भत्ता मान्य है, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता (स्टेज 1) के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। यह राशि अगले 12 महीनों के भीतर संभव होने वाली चूक की घटनाओं से होने वाली अपेक्षित ऋण हानि का प्रतिनिधित्व करती है। ब्याज राजस्व की गणना स्टेज 1 में वित्तीय आस्तियों के लिए सकल वहन राशि पर की जाती है।

वित्तीय आस्तियों की शेष अवधि ('आजीवन अपेक्षित नुकसान') पर क्रेडिट घाटे को मान्यता दी जाती है जिन्हें क्रेडिट जोखिम (स्टेज 2) में महत्वपूर्ण वृद्धि माना जाता है और वित्तीय आस्तियों के लिए जो रिपोर्टिंग तिथि (चरण 3) में खराब होती हैं)। आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटा वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवन पर संभावित चूक की सभी घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि अदायगी में 30 दिनों का विलम्ब हुआ है तो वित्तीय अस्तियों को स्टेज 2 में स्थानांतरित किया जाएगा। ब्याज राजस्व की गणना स्टेज 2 में वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सकल वहन राशि पर की जाती है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड वित्तीय आस्तियों के लिए स्टेज 3 की ओर बढ़ने की प्राथमिक परिभाषा के रूप में इकाई चूक की निम्नलिखित परिभाषा पर विचार करती है।

- इकाई के लिए किसी भी भौतिक ऋण दायित्व पर 90 दिनों से अधिक समय तक उधारकर्ता ने विलम्ब किया है
- उधारकर्ता समूह द्वारा अपने क्रेडिट दायित्वों का पूर्ण रूप से भुगतान करने की संभावना नहीं है।

एक वित्तीय आस्ति को क्रेडिट-इम्पेयर्ड तब माना जाता है जब वित्तीय आस्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर एक या एक से अधिक घटनाओं का हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

- उधारकर्ता या जारीकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- अनुबंध का उल्लंघन जैसे कि चूक या विलंबित भुगतान की घटना
- उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऋणदाता के द्वारा, ऐसी रियायत दी गई है जिसपर ऋणदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए एक सक्रिय बाजार का गायब होना
- गहरी छूट पर वित्तीय आस्ति की खरीद, जो उठाए गए क्रेडिट घाटे को दर्शाता है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड आस्तियोंस में चूक की गई आस्ति के साथ-साथ अन्य गैर-चूक की गई आस्तियाँ भी शामिल होंगी, जिनमें दी गई क्रेडिट की परिभाषा चूक की परिभाषा से अधिक व्यापक हो।

ब्याज राजस्व की गणना केवल क्रेडिट-इम्पेयर्ड वित्तीय अस्तियोंस के लिए वहन शुद्ध राशि पर की जाती है।

प्रत्याशित ऋण नुकसान को मापने के लिए वृहद-आर्थिक कारकों सहित अग्रेषित जानकारी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

व्यापक आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, बाजार ब्याज दर या वृद्धि दर) को आंतरिक रेटिंग मॉडल के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्य अवधारणाएं और प्रबंधन निर्णय:

- प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि
- अग्रेषित करने वाली जानकारी
- चूक और क्रेडिट इम्पेयर्ड आस्ति की परिभाषा
- अपेक्षित अवधि
- मॉडलिंग तकनीक

ख़रीदी गई या मूलत: उत्पन्न क्रेडिट इम्पेयर्ड वित्तीय आस्तियाँ (पीओसीआई)

पीओसीआई वित्तीय आस्तियाँ आरम्भिक पहचान की तारीख से क्रेडिट इम्पेयर्ड मानी जाती हैं.

ऐसी आस्तियों के लिये इकाई को आरम्भिक पहचान की तारीख से ही घाटा प्रावधान रखना पडता है जिसे लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है. ऐसी आस्तियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन इम्पेयर्मेंट लाभ में परिणत होता है.

3.11 उचित मूल्य परिमापन:

इकाई वित्तीय लिखतों, जैसे कि उचित मूल्य पर कुछ निवेश, कों प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को मापती है.

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा तथा माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में जिसका भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान के आधार पर होता है कि आस्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन निम्नांकित विधि से होता है:

- आस्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में आस्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में, ।

प्रमुख या सबसे अधिक लाभकारी बाजार इकाई के लिये सुलभ होना चाहिए।

किसी आस्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागियों द्वारा आस्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग किया जाएगा, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

सभी आस्तियाँ और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए गए हैं, इस प्रकार वर्णित हैं, न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अप्राप्य है

3.12 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें:

व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें जैसे कि फॉर्वर्ड अनुबंधों को कंपनी द्वारा अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए लिया जाता है, आरंभिक रूप से उचित मूल्य पर उस तिथि को मान्यता दी जाती है जिस दिन व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और बाद में लाभ और हानि की अवधि में जब वे उठते हैं तब उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ (बचाव लेखांकन के मामले में अन्य) उनके उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है.

3.13 वित्तीय लिखतों को बंद करना:

वित्तीय आस्तियों और देयताओं को बंद करके उनकी शुद्ध राशि को तुलनपत्र में सूचित किया जाता है जहां मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और शुद्ध आधार पर समझौता करने या आस्ति कि वसूली और देयता का निपटान एक साथ करने का इरादा है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य क्रम में और इकाई या प्रतिपक्ष के चूक करने, दिवालिया या दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

3.14 सेगमेंट रिपोर्टिंग:

परिचालन सेगमेंट को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप सूचित किया जाता है। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय सेगमेंट के संचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। सेगमेंट प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान उत्पादों / सेवाओं की प्रकृति के आधार पर की गई है।

3.15 लाभांश

अंतिम लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन पर लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य होता है। अंतरिम लाभांश को इकाई के निदेशक मंडल की घोषणा की तारीख पर एक दायित्व के रूप में दर्ज किया जाता है.

3.16 प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर आधारभूत आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना निम्नंकित को विभाजित करके की जाती है:

- कंपनी के मालिकों के प्रयासों से हुआ लाभ
- वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी

प्रति शेयर आय को कम करने के लिए बुनियादी आय के निर्धारण में उपयोग किए गए आंकड़ों में निम्नांकित को गणना में शामिल करते हुए समायोजित किया गया है:

- ब्याज संभावित आय वाले शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागतों के आयकर प्रभाव के बाद, और
- सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को गणना में शामिल करते हुए अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या ।

3.17 महत्वपूर्ण लेखा अनुमान, निर्णय और धारणाएं:

इंडएएस के अनुरूप इकाई की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, आस्तियों और देयताओं और साथ आने वाले खुलासे और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित आस्तियों या देयताओं की वहन राशि के लिए महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है। अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और विभिन्न अन्य कारकों पर आधारित हैं, जो माना जाता है कि वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के समय मौजूदा परिस्थितियों में लागू होती हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस वर्ष में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में किसी भी वर्ष प्रभावित होते हैं।

इकाई की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं जो वित्तीय स्थिति में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं:

ए. **सम्पत्ति, सन्यंत्र तथा उपकरणों की उपयोगी अवधि:** मूर्त आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि का निर्धारण और मूल्यांकन जो लागत के घटकों को पूंजीकृत करके किया जा सकता है। मूर्त आस्तियों की उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट जीवन पर आधारित है और कुछ श्रेणियों की संपत्ति के लिए प्रबंधन अनुमान के अनुसार भी है। जब आस्ति का पूँजीकरण किया जा सकता है और आस्तियों की लागत के किन घटकों को पूँजीकृत किया जा सकता है, इसका आकलन करते समय, अनुमान भी लगाना पड़ता है।

बी. **परिभाषित अनुलाभ योजना:** परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताओं को शामिल किया जाता है जो भविष्य में वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

सी. **उन खातों के लिए अनुमन्य प्राप्य और अग्रिम जिनकी वसूली नहीं हुई है:** इम्पेयरमेंट प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल पर किया जाता है, जो वित्तीय आस्तियों की अपेक्षित अवधि पर नकदी की कमी का वर्तमान मूल्य है। वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान चूक और अपेक्षित क्षति दरों के जोखिम के बारे में धारणा पर आधारित हैं। इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने का निर्णय पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों पर आधारित है।

डी. **आकस्मिकताएँ:** संसाधनों के संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो तो, का आकलन करने के लिए प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जोकि इकाई के खिलाफ आकस्मिकता / दावे / मुकदमेबाजी के संबंध में हो सकता है क्योंकि सटीकता के साथ लंबित मामलों के परिणाम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

3.18 विवेकपूर्ण मानदंड:

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है तथा निरंतर एक ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत है और इसलिए सिस्टमेटिक रूप से महत्वपूर्ण नॉन-डिपोजिट टेकिंग कंपनियों के लिए इसकी एनबीएफसी गतिविधियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या होल्डिंग) कंपनियों पर लागू आवश्यक प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) के निर्देशों, 2007 का अनुपालन करना आवश्यक है।

अनर्जक आस्तियों के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या होल्डिंग) कंपनियों प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिजर्व बैंक) के निर्देशों, 2007 के अनुसार न्यूनतम प्रावधान के किया जाता हैं।

3.19 इंडएएस मानक अभी अधिसूचित नहीं:

मानकों के संशोधनों का जोकि जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं, इकाई के वित्तीय विवरणियों को जारी करने की तारीख तक प्रकटन किया गया है। जब वे प्रभावी हो जाते हैं, तो इकाई इन मानकों को अपनाने का इरादा रखती है.

इंडएएस 116 "लीज़":

30 मार्च 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंडएएस 116 लीज़ेस को अधिसूचित किया है। इंड एएस 116 लीज़ेस मौजूदा पट्टों मानक इंड ए एस 17 और संबंधित व्याख्याओं की जगह लेगा। उक्त मानक दोनों पक्षों को अनुबंध के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है, यानी पट्टादाता और पट्टेदार। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखा मॉडल है और बारह महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए आस्तियों और देयताओं को पहचानने के लिए एक पट्टेदार की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य का न हो। वर्तमान में, लाभ और हानि के बयान के लिए परिचालन पट्टे का खर्च लिया जाता है। मानक में पट्टेदारों के लिए संवर्धित प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी शामिल हैं. 116 इंडएएस के रूप में इंडएएस 17 इंडएएस में पट्टादाता के लिये कम लेखांकन आवश्यकताओं को आगे बढ़ाता है।

इंड एएस 116 को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वर्तमान में, कंपनी के साथ पट्टेदार या पट्टेदार के रूप में कोई लीज समझौता नहीं है।

इंडएएस 12 परिशिष्ट सी, आयकर व्यवहार के विषय में अनिश्चितता:

30 मार्च, 2019 को, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंड 12 परिशिष्ट सी, आयकर व्यवहार के बारे में अनिश्चितता के रूप में अधिसूचित किया है, जो कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर घाटे, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के निर्धारण का प्रदर्शन करते समय लागू किया जाना है और इंड ए एस 12 के तहत आयकर कर की दरों में अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को प्रत्येक कर व्यवहार, या कर व्यवहार के समूह को स्वीकार करने वाले प्रासंगिक कर प्राधिकरण की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसका कंपनियों ने उपयोग किया है या उनकी आयकर फाइलिंग में उपयोग करने की योजना, जो कर योग्य लाभ (कर नुकसान), कर आधार, अप्रयुक्त कर नुकसान, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय कर उपचार की सबसे अधिक संभावना राशि या अपेक्षित मूल्य की गणना करने के लिए माना जाता है।

इंड एएस 12 परिशिष्ट सी को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

इंडएएस 12 में संशोधन - आय कर:

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन के संबंध में इंडएएस 12, 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए।

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानती है जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी के ऊपर किए गए संशोधन का कोई प्रभाव संक्रमण तिथि पर नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के नोट्स

4. नकदी एवं नकदी सममूल्य

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
हाथ में नकदी	0.04	0.04
बैंकों में शेष		
- चालू खाते में	48.55	498.97
- बैंक में 3 माह से कम परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियाँ	4,21,238.33	1,72,962.17
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट	(160.93)	-
योग	**4,21,125.99**	**1,73,461.18**

5. नकदी एवं नकदी सममूल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
बैंकों में सावधि जमाराशियाँ जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम हो	6,10,051.82	3,13,301.98
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट	(94.67)	-
योग	**6,09,957.15**	**3,13,301.98**

नोट: सावधि जमा पर एक निश्चित ब्याज दर पर ब्याज उपचित होता है

6. ऋण

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
परिशोधित लागत पर अग्रेनीत		
सावधि ऋण		
(ए) बैंक - वित्तपोषक बैंकों द्वारा विश्वास पर धारित बही ऋणों द्वारा प्रतिभूत	6,29,095.52	9,41,576.50
(बी) अल्प वित्त संस्थाएँ (एमएफआई) - एमएफआई के बही ऋणों द्वारा प्रतिभूत	1,10,810.97	47,632.00
(सी) ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) - एनबीएफसी के बही ऋणों द्वारा प्रतिभूत	1,69,290.88	1,87,188.98
पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) को अंशदान	-	9,235.45
सकल योग (ए)	**9,09,197.37**	**11,85,632.93**
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट	(8,797.26)	(2,228.59)
निवल योग (ए)	**9,00,400.11**	**11,83,404.34**
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	9,09,197.37	11,85,632.93
(ii) अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii) बैंक / सरकारी गारंटियों के अंतर्गत	-	-
(iv) प्रतिभूतिरहित	-	-
सकल योग (बी)	**9,09,197.37**	**11,85,632.93**
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट	(8,797.26)	(2,228.59)
निवल योग (बी)	**9,00,400.11**	**11,83,404.34**
भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	5,05,317.52	8,67,197.90
(ii) अन्य	4,03,879.85	3,18,435.03
भारत के बाहर ऋण	-	-
सकल योग (सी)	**9,09,197.37**	**11,85,632.93**
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट	(8,797.26)	(2,228.59)
निवल योग (सी)	**9,00,400.11**	**11,83,404.34**

* मुद्रा से पुनर्वित्त लेने वाले बैंकों ने मुद्रा के साथ सामान्य पुनर्वित्त करार निष्पादित किया है जिसके अनुसार वे लिये गये पुनर्वित्त के लिये विश्वास पर प्रतिभूतियाँ धारित करने के लिये बाध्य हैं.

7. निवेश

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
परिशोधित लागत पर अग्रेनीत		
जमा प्रमाणपत्र - सिडबी	18,729.09	-
नैगम जमाराशियाँ	28,500.00	28,500.00
सकल योग (ए)	**47,229.09**	**28,500.00**
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट (नोट सं. 24 देखें)	(28,501.87)	(28,500.00)
निवल योग (ए)	**18,727.22**	**-**
उचित मूल्य पर लाभ हानि हेतु लिया गया (एफवीटीपीएल)		
म्युचुअल निधियाँ (तरल योजनाएँ) - अनुद्धृत (बी)	-	40,040.37
योग (ए + बी)	**18,727.22**	**40,040.37**
(i) भारत में निवेश	47,229.09	68,540.37
(ii) बारत से बाहर निवेश	-	-
सकल योग (सी)	47,229.09	68,540.37
घटाएँ: इम्पेयरमेंट हानि छूट	(28,501.87)	(28,500.00)
निवल योग (सी)	**18,727.22**	**40,040.37**

8. वर्तमान कर आस्तियाँ (निवल)

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
कर आस्तियाँ		
अग्रिम आयकर	12,569.70	12,140.56
कर देयताएँ		
वर्तमान कर हेतु प्रावधान	(10,541.59)	(11,641.79)
योग	**2,028.10**	**498.77**

9. आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ) (निवल)

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
निम्नांकित के कारण आस्थगित कर आस्ति:		
प्रारंभिक व्यय	-	40.32
ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की पहचान	286.90	186.66
ऋण एवं अग्रिमों पर संभावित हानि	2,278.43	778.76
निवेश पर इम्पेयरमेंट छूट	7,173.35	9,959.04
निम्नांकित के कारण आस्थगित कर देयता:		
कर मूल्यह्रास तथा बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के बीच समय का अंतर	0.36	(0.06)
म्युचुअल निधियों का उचित मूल्यांकन	-	(14.11)
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ	**9,739.04**	**10,950.61**

नोट 9 (ए): आस्थगित कर आस्तियों / (देयताओं) का सारांश

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2018 को	लाभ एवं हानि में (प्रभारित)/ जमा	यथा 31 मार्च, 2019 को	लाभ एवं हानि में (प्रभारित)/ जमा	यथा 31 मार्च, 2020 को
कर मूल्यह्रास तथा बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के बीच समय का अंतर	(1.34)	1.28	(0.06)	0.42	0.36
ऋण एवं अग्रिमों पर संभावित हानि	860.37	(81.61)	778.76	1,499.67	2,278.43
निवेश पर इम्पेयरमेंट छूट	2.95	9,956.09	9,959.04	(2,785.69)	7,173.35
म्युचुअल निधि का उचित मूल्यांकन	(37.91)	23.80	(14.11)	14.11	-
प्रारंभिक व्यय	72.95	(32.63)	40.32	(40.32)	-
ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की पहचान	190.26	(3.60)	186.66	100.24	286.90
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)	**1,087.28**	**9,863.34**	**10,950.61**	**(1,211.57)**	**9,739.04**

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख)

विवरण	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर	विद्युतीय संस्थापन तथा उपकरण	योग
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु				
सकल धारण राशि				
यथा 01 अप्रैल, 2019 को लागत	1.18	19.13	0.46	20.76
वर्ष के दौरान जोडे गये	-	0.43	-	0.43
वर्ष के दौरान निस्तारित				
यथा 31 मार्च, 2020 को सकल धारण राशि	1.18	19.56	0.46	21.19
संचित मूल्यह्रास एवं इम्पेयरमेंट				
यथा 01 अप्रैल, 2019 को संचित मूल्यह्रास एवं इम्पेयरमेंट	0.57	12.31	0.09	12.98
वर्ष के लिये मूल्यह्रास व्यय	0.31	3.76	0.05	4.12
वर्ष के दौरान निस्तारण				
यथा 31 मार्च, 2020 को संचित मूल्यह्रास एवं इम्पेयरमेंट	0.88	16.07	0.14	17.10
यथा 31 मार्च, 2020 को निवल धारण राशि	**0.30**	**3.49**	**0.32**	**4.09**
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु				
सकल धारण राशि				
यथा 01 अप्रैल, 2019 को लागत	**0.98**	**19.13**	**0.46**	**20.57**
वर्ष के दौरान जोडे गये	0.20	-	-	0.20
वर्ष के दौरान निस्तारित	-	-	-	-
यथा 31 मार्च, 2019 को सकल धारण राशि	1.18	19.13	0.46	20.76
संचित मूल्यह्रास एवं इम्पेयरमेंट				
यथा 01 अप्रैल, 2018 को संचित मूल्यह्रास एवं इम्पेयरमेंट	0.28	5.46	0.05	5.79
वर्ष हेतु मूल्यह्रास व्यय	0.29	6.86	0.04	7.19
वर्ष के दौरान निस्तारण				
यथा 31 मार्च, 2019 को संचित मूल्यह्रास	0.57	12.31	0.09	12.98
यथा 31 मार्च, 2019 को निवल धारण राशि	**0.61**	**6.82**	**0.37**	**7.78**

11. अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख)

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	योग
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		
सकल धारण राशि		
यथा 01 अप्रैल, 2019 को लागत	4.91	4.91
वर्ष के दौरान जोडे गये	-	
वर्ष के दौरान निस्तारण		
यथा 31 मार्च, 2020 को सकल धारण मूल्य	4.91	4.91
संचित परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट		
यथा 01 अप्रैल, 2019 को संचित परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट	3.49	3.49
वर्ष हेतु परिशोधन	0.87	0.87
वर्ष के दौरान निस्तारण		
यथा 31 मार्च, 2020 को संचित परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट	4.36	4.36
यथा 31 मार्च, 2020 को निवल धारण राशि	**0.55**	**0.55**
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु		
सकल धारण राशि		
यथा 01 अप्रैल, 2018 को मानी गई लागत	**4.91**	**4.91**
वर्ष के दौरान जोडे गये	-	-
वर्ष के दौरान निस्तारण		
यथा 31 मार्च, 2019 को सकल धारण मूल्य	4.91	4.91
संचित परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट		
यथा 01 अप्रैल, 2018 को संचित परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट	1.59	1.59
वर्ष हेतु मूल्यह्रास व्यय	1.90	1.90
वर्ष के दौरान निस्तारण		
यथा 31 मार्च, 2019 को संचित परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट	3.49	3.49
यथा 31 मार्च, 2019 को निवल धारण मूल्य	**1.42**	**1.42**

12. अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पीएमएमवाई विज्ञापन हेतु भारत सरकार से वसूलीयोग्य राशि	-	1,305.11
वस्तु एवं सेवा कर इनपुट वसूलीयोग्य राशि	-	53.84
योग	**-**	**1,358.95**

13. देनदारियाँ

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
व्यवसाय संबंधी देनदारियाँ		
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की कुल बकाया देनदारियाँ	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोडकर अन्य लेनदारों के प्रति कुल बकाया देनदारियाँ	-	-
योग	**-**	**-**
अन्य देनदारियाँ		
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की कुल बकाया देनदारियाँ	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोडकर अन्य लेनदारों के प्रति कुल बकाया देनदारियाँ	251.32	248.48
योग	**251.32**	**248.48**

नोट (ए): संबंधित पक्षों को देनदारियों की राशि हेतु नोट सं. 38 देखें

नोट (बी): ऐसे कोई भी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम नहीं हैं जिनके प्रति कंपनी की कोई राशि वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक की अवधि हेतु बकाया रही हो. उक्त सूचना का प्रकटन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है तथा इसे कंपनी के पास आपूर्तिकर्ता की स्थिति के विषय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार है. साथ ही, ऐसी किसी भी पार्टी को कोई ब्याज बकाया देय नही है.

14. जमाराशियाँ

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
परिशोधित लागत पर धारित		
बैंकों से	17,02,562.03	15,13,463.08
योग	**17,02,562.03**	**15,13,463.08**

कंपनी ने निदेशकों / महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं की है. कंपनी के लिये निदेशकों अथवा किसी अन्य ने कोई गारंटी भी नहीं ली है. कंपनी ने किसी भी जमाराशि अथवा उसपर ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं की है.

15. अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सिक्योरिटी डिपॉज़िट	13.12	4.62
योग	**13.12**	**4.62**

16. अन्य ग़ैर वित्तीय देयताएँ

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सांविधिक देय देनदारी	16.20	-
अग्रिम प्राप्त राजस्व	131.00	-
भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम	1,000.00	-
इंडियन माइक्रोफाइनांस ईक्विटी निधि (आईएमईएफ)	27,121.93	-
योग	**28,269.13**	**-**

17. इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ए. प्राधिकृत शेयर पूँजी		
₹10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 ईक्विटी शेयर (मार्च 31, 2019)	5,00,000.00	5,00,000.00
योग	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
बी. निर्गत, अंशदान तथा प्रदत्त:		
₹10 प्रत्येक के 1,67,59,25,926 ईक्विटी शेयर (31 मार्च, 2019: 1,67,59,25,926)	1,67,592.59	1,67,592.59
योग	**1,67,592.59**	**1,67,592.59**

सी. वर्ष के आरंभ तथा अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरम्भ में शेष	1,67,59,25,926	1,67,592.59	1,67,59,25,926	1,67,592.59
जोडें / (घटाएँ) : वर्ष के दौरान आवागमन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,67,59,25,926**	**1,67,592.59**	**1,67,59,25,926**	**1,67,592.59**

डी. कंपनी के ईक्विटी शेयरों में 5% शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक तथा धारित शेयरों की संख्या

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020		यथा 31 मार्च, 2019	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का %	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का %
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	1,67,59,25,920	99.9999996%	1,67,59,25,920	99.9999996%
योग	**1,67,59,25,920**	**99.9999996%**	**1,67,59,25,920**	**99.9999996%**

ई. धारक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	1,67,59,25,920	1,67,59,25,920
योग	**1,67,59,25,920**	**1,67,59,25,920**

एफ. ईक्विटी शेयरों के साथ संयुक्त निबंधन एवं अधिकार

कंपनी के पास केवल एक वर्ग के ₹10 प्रति के सममूल्य वाले ईक्विटी शेयर हैं. प्रत्येक शेयरधारक एक वोट प्रति शेयर का पात्र है. कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश घोषित तथा अदा करती है. निदेशक मंडल द्वारा घोषित लाभांश का अनुमोदन आगामी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में शेयरधारकों द्वारा किया जाता है.

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता वाली राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष आस्तियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा.

जी. बोनस शेयर

स्थापना (निगमन वर्ष 2015-2016) के बाद से कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए हैं।

18. अन्य इक्विटी

(₹ लाख)

विवरण	नोट	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति	(i)	7,407.41	7,407.41
सामान्य आरक्षिति	(ii)	38,000.00	23,000.00
प्रतिधारित आय	(iii)	6,028.41	3,175.71
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I-सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति	(iv)	11,705.74	7,309.44
विकास निधि	(v)	200.00	200.00
नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि	(vi)	-	671.58
योग		**63,341.56**	**41,764.14**

(i) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति

शेयरों केनिर्गम पर प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति का उपयोग किया जाता है। उक्त आरक्षिति का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आरम्भिक शेष	7,407.41	7,407.41
वर्ष के दौरान आवागमन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**7,407.41**	**7,407.41**

(ii) सामान्य आरक्षिति

तत्कालीन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, सामान्य आरक्षिति को विनियमों के अनुसार शुद्ध आय के एक निर्दिष्ट प्रतिशत राशि के वार्षिक अंतरण के माध्यम से बनाया गया था। इन अंतरणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि किसी दिए गए वर्ष में लाभांश वितरण उस वर्ष के लिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक है, तो एक निर्दिष्ट दर पर सामान्य आरक्षिति में अनिवार्य स्थानांतरण करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के परिणामस्वरूप, निवल लाभ के एक अनिवार्य प्रतिशत को सामान्य आरक्षितियों में अंतरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, पहले से सामान्य आरक्षिति में अंतरित राशि का उपयोग केवल कंपनी अधिनियम, 2013 की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के आरंभ में शेष	23,000.00	21,500.00
वर्ष के दौरान आवागमन*	15,000.00	1,500.00
वर्ष के अंत में शेष	**38,000.00**	**23,000.00**

(iii) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी की अधिशेष / संचित आय दर्शाती है और शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध होती है.

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आरम्भिक शेष	3,175.71	5,194.40
वर्ष हेतु लाभ	21,981.52	3,348.11
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 45-Iसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण	(4,396.30)	(669.62)
सामान्य आरक्षिति में अंतरण	(15,000.00)	(1,500.00)
विकास निधि में अंतरण	-	-
नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि में अंतरण	-	(671.58)
नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि से अंतरण	671.58	-
प्रदत्त लाभांश	(335.19)	(2,094.91)
लाभांश वितरण कर	(68.91)	(430.69)
अंतिम शेष	**6,028.41**	**3,175.71**

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I-सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षिति

सांविधिक आरक्षितियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 Iसी के अनुसरण में सृजित आरक्षिति दर्शाती हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 Iसी के अंतर्गत एक ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को किसी भी लाभांश से पूर्व अपने निवल लाभ की न्यूनतम 20% राशि आरक्षित निधि में अंतरित करनी होती है. इस आरक्षिति निधि से समायोजन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये ही किया जा सकता है.

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के आरंभ में शेष	7,309.44	6,639.81
वर्ष के दौरान आवागमन	4,396.30	669.62
वर्ष के अंत में शेष	**11,705.74**	**7,309.44**

(v) विकास निधि

कंपनी ने विकासात्मक गतिविधियों के लिये विकास निधि का सृजन किया है.

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
वर्ष के आरंभ में शेष	200.00	200.00
वर्ष के दौरान आवागमन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**200.00**	**200.00**

(vi) नैगम सामाजिक दायित्व (सी एस आर) निधि

इकाई नैगम सामाजिक दायित्व (सी एस आर) निधि में राशि समायोजित करती है.

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आरम्भिक शेष	**671.58**	**-**
प्रतिधारित आय से अंतरित **	-	671.58
प्रतिधारित आय को अंतरित	(671.58)	-
अंतिम शेष	**-**	**671.58**

19. ब्याज से आय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ऋणों पर ब्याज		
(ए) बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज	43,243.44	38,841.30
(बी) अल्प वित्त संस्थाओं / एनबीएफसी को पुनर्वित्त पर ब्याज	17,778.36	15,135.64
सावधि जमा रसीदों तथा जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज	49,099.29	21,312.39
पास थ्रू प्रमाणपत्रों पर ब्याज आय	212.51	3,069.07
अन्य ब्याज आय	0.70	-
योग	**1,10,334.29**	**78,358.40**

20. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
किसी अवधि के लिये मानी गई शुल्क आय	415.72	385.59
आईएमईएफ पर प्रशासनिक शुल्क आय	60.53	-
योग	**476.25**	**385.59**

21. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(ए) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों से निवल लाभ		
एफवीटीपीएल पर म्युचुअल निधियाँ	299.02	7,347.66
उचित मूल्य परिवर्तन:		
वसूल की गई	299.02	7,238.12
वसूल नहीं की गई	-	109.54

22. अन्य आय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य	80.61	1.13
योग	**80.61**	**1.13**

23. वित्तीय लागत

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
जमाराशियों पर ब्याज	65,872.35	51,494.52
योग	**65,872.35**	**51,494.52**

24. वित्तीय लिखतों पर इम्पेयरमेंट

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिशोधित लागत पर धारित ऋणों पर	6,568.67	(257.44)
निवेश	1.87	28,491.46
बैंक शेष सहित सावधि जमाओं पर	255.61	-
योग	**6,826.15**	**28,234.02**

निम्नांकित सारणी में वित्तीय लिखतों पर वर्ष हेतु मूल्यांकन स्तर पर लाभ हानि विवरणी में अभिलिखित ईसीएल प्रभार दर्शाए गये हैं:

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			
	स्टेज 1	स्टेज 2	स्टेज 3	योग
परिशोधित लागत पर परिमापित ऋण लिखतें (ऋण)	(538.25)	-	7,106.92	6,568.67
परिशोधित लागत पर परिमापित ऋण लिखतें (निवेश)	1.87	-	-	1.87
परिशोधित लागत पर परिमापित ऋण लिखतें (बैंक शेष सहित सावधि जमा)	255.61	-	-	255.61
कुल इम्पेयरमेंट हानि	**(280.77)**	**-**	**7,106.92**	**6,826.15**

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु			
	स्टेज 1	स्टेज 2	स्टेज 3	योग
परिशोधित लागत पर परिमापित ऋण लिखतें (ऋण)	(257.44)	-	-	(257.44)
परिशोधित लागत पर परिमापित ऋण लिखतें (निवेश)	-	-	28,491.46	28,491.46
परिशोधित लागत पर परिमापित ऋण लिखतें (बैंक शेष सहित सावधि जमा)	-	-	-	-
कुल इम्पेयरमेंट हानि	**(257.44)**	**-**	**28,491.46**	**28,234.02**

नोट: ईसीएल प्रविधि तथा मान्यताओं के लिये नोऋ 40(ए) देखें.

25. कर्मचारी अनुलाभ व्यय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं मजदूरी	712.70	653.57
योग	**712.70**	**653.57**

26. मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं इम्पेयरमेंट

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर मूल्यह्रास (नोट सं. 10 देखें)	4.12	7.19
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन (नोट सं. 11 देखें)	0.87	1.90
योग	**4.99**	**9.09**

27. अन्य व्यय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
पीएमएमवाई प्रचार व्यय (नोट सं. 27.3 देखें)	2,842.28	-
किराया, दरें और कर	85.72	70.01
डाक एवंस तार व्यय	0.27	0.39
यात्रा एवं परिवहन	7.03	11.82
मुद्रण एवं लेखनसामग्री	10.59	10.74
विज्ञापन एवं प्रचार	4.47	11.52
बैंक प्रभार	0.04	0.06
निदेशकों का सिटिंग शुल्क	10.42	5.83
लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय	2.85	2.80
विधिक एवं व्यायसायिक शुल्क	31.63	68.81
बीमा	0.12	0.17
प्रशासनिक व्यय	36.89	70.51
वेबसाइट एवं वेब पोर्टल व्यय	10.49	7.09
कम्प्यूटर उपभोज्य	-	4.54
प्रसंस्करण एवं मॉनिटरिंग व्यय	203.88	317.67
सॉफ्ट्वेयर रखरखाव एवं होस्टिंग प्रभार	116.32	-
नैगम सामाजिक दायित्व व्यय (नोट सं. 27.2 देखें)	671.58	-
योग	**4,034.56**	**581.94**

27.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(ए) कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षा	2.00	2.00
(बी) कंपनी विधि मामलों के लिये	-	0.25
(सी) अन्य सेवाओं (कर तथा जीएसटी लेखापरीक्षा) के लिए	0.85	0.55
योग	**2.85**	**2.80**

27.2 नैगम सामाजिक दायित्व व्यय का विवरण

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ए) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	317.53	354.05
बी) वर्ष के अंत तक निम्नांकित पर व्यय की गई राशि:		
i) किसी आस्ति का निर्माण / अभिग्रहण	-	-
ii) उक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों पर व्यय#	671.58	-

वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय की गई ₹ 671.58 लाख की राशि में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अपेक्षित व्यय की राशि भी शामिल है.

27.3 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) प्रचार अभियान व्यय

कंपनी भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आरम्भ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के प्रचार अभियान पर धनराशि व्यय करती रही है. अब तक व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में की जाती रही थी. तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 1000 लाख की राशि की अनुदान सहायता प्रदान की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएमएमवाई प्रचार अभियान पर कुल व्यय ₹ 3842.88 लाख रहा तथा इस राशि को तुलनपत्र में वसूलनीय दर्शाया गया था. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यह सूचित किया गया कि चूँकि मुद्रा पीएमएमवाई के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, अत: मुद्रा को पीएमएमवाई योजना के प्रचार प्रसार पर होने वाले व्यय को आंशिक रुप से वहन करना होगा. अत: प्रबंधन ने निर्णय लिया कि अंतर की ₹ 2842.28 लाख कि राशि (भारत सरकार से प्राप्त राशि तथा वास्तविक रुप से व्यय की गई राशि) को वित्तेय वर्ष 2019-20 में व्यय में शामिल कर लिया जाए. वर्तमान में पीएमएमवाई प्रचार व्यय को अन्य व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया है.

28. आयकर व्यय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
उक्त अवधि हेतु लाभ पर वर्तमान कर	10,541.59	11,641.79
पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	4.73	(6.92)
कुल वर्तमान कर	**10,546.33**	**11,634.87**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति तथा उत्क्रमण (नोट 9 देखें)	1,211.57	(9,863.34)
कुल आस्थगित कर अंतर	**1,211.57**	**(9,863.34)**
कुल कर संबंधी व्यय	**11,757.90**	**1,771.53**

28.1 आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए वर्तमान कर की गणना कर योग्य आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। घरेलू कंपनियों को घटाई गई कॉर्पोरेट कर की दर का लाभ पहुँचाने के लिये आयकर अधिनियम, 1961 में नया खंड - धारा 115 आईबीए जोडा गया है।। धारा 115बीएए में कहा गया है कि घरेलू कंपनियों के पास वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) से 22% की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प है यदि ऐसी घरेलू कंपनियां कुछ शर्तों का पालन करती हैं। कंपनी ने उसी का लाभ उठाया है चालू वर्ष से और लेखा बहियों में कर प्रावधान इस के अनुसार बनाया गया है।

28.2 प्रभावी कर दर का मिलान

(₹ लाख)

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	%	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	%
लाभ हानि विवरणी के अनुसार कर-पूर्व लाभ/ (हानि)	33,739.42		5,119.65	
भारत में लागू कर की दर जोकि कंपनी हेतु प्रयोज्य है 25.168% (2018-2019: 34.944%)	8,491.54	25.17%	1,789.01	34.94%
कर प्रभाव:				
विभेदीकृत कर दरों के कारण अंतर	3,063.56	8.99%	(3.65)	-0.07%
पूर्व अवधि से संबंधित मदें	4.73	0.01%	(6.92)	-0.14%
अन्य (प्रावधानों सहित)	198.07	0.58%	(12.37)	-0.24%
कुल कर व्यय	**11,757.90**		**1,766.07**	
प्रभावी कर दर	**34.85%**	**34.75%**	**34.50%**	**34.50%**

28.3 ईक्विटी में सीधे ली गई राशियाँ

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ऐसी कोई वर्तमान तथा आस्थगित कर की समेकित राशि नहीं सामने आई जिन्हें ईक्विटी में माना जाए.

29. प्रति शेयर आय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के ईक्विटी धारकों के कारण लाभ (ए)	21,981.52	3,348.12
मूलभूत ईपीएस के लिये निर्गत शेयरों की औसत भारित संख्या (बी)	1,67,59,25,926	1,67,59,25,926
तरलीकृत ईपीएस की गणना के प्रति समायोजन (सी)	-	-
तरलीकृत ईपीएस के लिये निर्गत शेयरों की औसत भारित संख्या (डी=बी+सी)	1,67,59,25,926	1,67,59,25,926
मूलभूत ईपीएस ₹ (ए/बी)	1.31	0.20
तरलीकृत ईपीएस ₹(ए/डी)	1.31	0.20

30. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

कंपनी वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है. वह एक ही व्यवसाय तथा भौगोलिक सेगेंट में परिचालनरत है.

31. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(ए) कंपनी की यथा 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को कोई आकस्मिक देयता नहीं है.

(बी) कंपनी के पास यथा 31 मार्च, 2020 को ₹38.64 लाख की अमूर्त पूंजीगतआस्ति के विकास केप्रति एक पूंजी प्रतिबद्धता है (31 मार्च, 2019 को : ₹ 38.64 लाख)

(सी) यथा 31 अप्रैल, 2020 को कंपनी के पास ₹ 85,450 लाख की राशि की असंवितरित संस्वीकृत ऋण की तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र है। (31 मार्च, 2019 : ₹ 39,425 लाख)

32. कर्मचारी अनुलाभ

कंपनी के अधिकांश कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से मुद्रा में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तथा उनकी ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और विगत बकाया वेतन का भुगतान , मूल नियोक्ता द्वारा किया जाता है, जिन्होंने कुछ कर्मचारियों को छोड़कर प्रतिनियुक्त किया है जो अनुबंध के आधार पर हैं, कर्मचारियों को इस कंपनी में प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा, मुद्रा ने चालू वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते को ₹ 20.54 लाख (मार्च 2019: ₹ 23.83 लाख) की राशि का प्रावधान किया है। उक्त राशि का का भुगतान सिडबी को मांगे जाने पर कर दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के संबंध में, कोई भी रोज़गारोत्तर अनुलाभ लागू नहीं है।

33. आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

निम्नांकित सारणी अनुमानित वसूली अथवा निस्तारण की अवधि के आधार पर आस्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण को दर्शाती है. ग्राहकों को दिये गये ऋणों के संबंध में कंपनी प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अनुमान लगाने के लिये प्रयुक्त आधार का प्रयोग अपेक्षित अदायगी व्यवहार का अनुमान लगाने के लिये भी करती है.

(₹ लाख)

आस्तियाँ	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	12 माह के भीतर	12 माह के पश्चात	योग	12 माह के भीतर	12 माह के पश्चात	योग
वित्तीय आस्तियाँ						
नकदी एवं नकदी सममूल्य	4,21,125.99	-	**4,21,125.99**	1,73,461.18	-	**1,73,461.18**
नकदी तथा नकदी सममूल्य को छोडकर बैंक शेष	6,09,957.15	-	**6,09,957.15**	3,13,301.98	-	**3,13,301.98**
ऋण	5,31,243.88	3,69,156.23	**9,00,400.10**	6,18,667.90	5,64,736.44	**11,83,404.34**
निवेश	18,727.22	-	**18,727.22**	40,040.37	-	**40,040.37**
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	-	**-**	-	-	**-**
ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ						
कर आस्तियाँ (निवल)	2,028.10	-	**2,028.10**	498.77	-	**498.77**
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	-	9,739.04	**9,739.04**	-	10,950.61	**10,950.61**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	-	4.09	**4.09**	-	7.78	**7.78**
विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ	-	47.50	**47.50**	-	47.50	**47.50**
अन्य अमूर्त आस्तियाँ	-	0.55	**0.55**	-	1.42	**1.42**
अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ	-	-	**-**	1,358.95	-	**1,358.95**
कुल आस्तियाँ	**15,83,082.33**	**3,78,947.41**	**19,62,029.74**	**11,47,329.16**	**5,75,743.75**	**17,23,072.91**

(₹ लाख)

देयताएँ	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2019		
	12 माह के भीतर	12 माह के पश्चात	योग	12 माह के भीतर	12 माह के पश्चात	योग
वित्तीय देयताएँ						
देनदारियाँ						
I) व्यवसाय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-
II) अन्य देनदारियाँ	251.32	-	**251.32**	248.48	-	**248.48**
जमाराशियाँ	7,02,562.03	10,00,000.00	**17,02,562.03**	3,25,963.08	11,87,500.00	**15,13,463.08**
अन्य वित्तीय देयताएँ	13.12	-	**13.12**	4.62	-	**4.62**
गैर वित्तीय देयताएँ			-			-
अन्य गैर वित्तीय देयताएँ	1,147.20	27,121.93	**28,269.13**	-	-	-
कुल देयताएँ	**7,03,973.66**	**10,27,121.93**	**17,31,095.59**	**3,26,216.18**	**11,87,500.00**	**15,13,716.18**
निवल	**8,79,108.67**	**(6,48,174.52)**	**2,30,934.15**	**8,21,112.98**	**(6,11,756.25)**	**2,09,356.73**

34. पूँजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह एक कुशल पूंजी संरचना बनाए रखे और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करे। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों, वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की मात्रा को समायोजित कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी बाध्यताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी 'समायोजित शुद्ध ऋण' के अनुपात का उपयोग करके पूंजी की 'इक्विटी' पर निगरानी रखती है। इस उद्देश्य के लिए, समायोजित शुद्ध ऋण को कुल देनदारियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ब्याज-असर वाले ऋण और कम नकदी और नकद समकक्ष ऋण शामिल हैं। इक्विटी में शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी के सभी घटक शामिल हैं और इक्विटी शेयर धारकों के कारण सभी अन्य इक्विटी भंडार। कंपनी 'समायोजित शुद्ध ऋण' तथा ईक्विटी के अनुपात का उपयोग करके पूंजी पर निगरानी रखती है। इस उद्देश्य के लिए, समायोजित शुद्ध ऋण को कुल देनदारियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें ब्याज वाले ऋण और नकदी एवं नकदी सममूल्य शामिल हैं। इक्विटी में शेयर प्रीमियम और अन्य सभी इक्विटी आरक्षितियों जिनका श्रेय इक्विटी शेयर धारकों का है सहित इक्विटी के सभी घटक शामिल हैं।

कंपनी का समायोजित शुद्ध ऋण एवं इक्विटी का अनुपात निम्नानुसार है।

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
जमाराशियाँ	17,02,562.03	15,13,463.08
घटाएँ : बैंक शेष सहित नकदी एवं नकदी सममूल्य	(10,31,083.13)	(4,86,763.16)
समायोजित निवल ऋण	**6,71,478.89**	**10,26,699.92**
कुल ईक्विटी	2,30,934.15	2,09,356.73
समायोजित निवल ऋण एवं ईक्विटी का अनुपात	**2.91**	**4.90**

34.1 विनियामक पूँजी

आरबीआई के अनुसार, एनबीएफसी को अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों की न्यूनतम 15% राशि की पूँजी का पूंजी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात ("सीआरएआर") बनाए रखना आवश्यक है जिसमें टीयर I और टियर II की पूंजी शामिल है। इसके अलावा, टियर II की कुल पूंजी किसी भी समय टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं हो सकती है। कंपनी की पूंजी प्रबंधन प्रक्रिया हर समय न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखना सुनिश्चित करती है।

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति के प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी नियामक द्वारा आवश्यक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, अपने व्यवसाय के समर्थन और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए सशक्त क्रेडिट रेटिंग और स्वस्थ पूंजी अनुपात बनाए रखती है। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और इसकी गतिविधियों की जोखिम विशेषताओं के अनुसार इसके लिए समायोजन करती है।

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
टीयर 1 पूँजी	2,20,947.07	1,97,485.62
टीयर 2 पूँजी	1,690.34	2,228.59
अन्य पूँजीगत निधियाँ	**2,22,637.41**	**1,99,714.21**
जोखिम भारित आस्तियाँ	3,63,618.02	3,10,601.66
टीयर 1 पूँजी अनुपात (%)	60.76	63.58
टीयर 2 पूँजी अनुपात (%)	0.46	0.72
कुल पूँजी अनुपात (%)	**61.23**	**64.30**

35. रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात घटित घटनाएँ

रिपोर्टिंग की तारीख के बाद ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जिसका प्रकटन इन वित्तीय विवरणियों में आवश्यक है।

36. समीक्षाधीन अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एनबीएफसी के लाभ और हानि खाते के प्रयोज्य प्रारूप में चालू वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्व अवधि की मदों के प्रभाव के प्रकटीकरण के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, अत: ऐसे खुलासे, जहां आवश्यक हो, एनटीए में किए जाएंगे।

37. वित्तीय गतिविधियों के कारण देयताओं में परिवर्तन

(₹ लाख)

	1 अप्रैल, 2019	नकदी प्रवाह	उचित मूल्य में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	31 मार्च, 2020
जमाराशियाँ	15,13,463.08	1,89,098.94				17,02,562.03
वित्तीय गतिविधियों से कुल देयताएँ	**15,13,463.08**	**1,89,098.94**	**-**	**-**	**-**	**17,02,562.03**

(₹ लाख)

	1 अप्रैल, 2019	नकदी प्रवाह	उचित मूल्य में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	31 मार्च, 2020
जमाराशियाँ	15,16,558.27	(3,095.19)				15,13,463.08
वित्तीय गतिविधियों से कुल देयताएँ	**15,16,558.27**	**(3,095.19)**	**-**	**-**	**-**	**15,13,463.08**

38. संबंधित पक्ष प्रकटन

ए. संबंधित पक्षों के नाम तथा संबंध की प्रकृति

संबंध की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम
धारक कंपनी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	श्री जीजी माम्मेन - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अप्रैल 2018 तक)
	श्री आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अगस्त 2018 से)
	श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव (सीएफओ) (दिसंबर 2018 तक)
	श्रीमती रजनी सूद - मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (फरवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक)
	कु. पूजा कुकरेती, कंपनी सचिव (सीएस) (फरवरी 2019 से)
	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिसंबर 2019 से)
संबंधित पक्ष	श्री सुचिंद्र मिश्र - धारक कंपनी के निदेशक
	श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा - अध्यक्ष सिडबी
	श्री अजय कुमार कपूर - धारक कंपनी के उपप्रबंध निदेशक
	श्री मनोज मित्तल - धारक कंपनी के उपप्रबंध निदेशक
	श्री अरविंद कुमार जैन, ग़ैर कार्यपालक निदेशक
	श्री हर्ष श्रीवास्तव, ग़ैर कार्यपालक निदेशक
	श्री पिलारिसेत्ती सतीश, ग़ैर कार्यपालक निदेशक
	सुश्री रत्ना विश्वनाथन, ग़ैर कार्यपालक निदेशक

बी. संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण:

(₹ लाख)

संबंधित पक्ष का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
धारक कंपनी	जमाप्रमाणपत्रों पर ब्याज आय	1,016.76	178.77
	जमा प्रमाणपत्रों में निवेश	17,712.33	-
	जमा प्रमाणपत्रों में निवेश से प्राप्तियाँ	-	-
	वेतन हेतु प्रतिपूर्ति	585.09	552.83
	कार्यालय हेतु प्रदत्त किराया - व्यय	85.72	92.49
	प्रदत्त लाभांश	335.19	2,094.91
	मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिये प्रदत्त प्रभार	242.54	295.46
	इंडिया माइक्रोफाइनांस ईक्विटी निधि (आईएमईएफ) की प्राप्ति*	25,524.80	-
	अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति	100.81	118.73
	योग	**45,603.23**	**3,333.18**
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	**वेतन / पारिश्रमिक का भुगतान**		
	जीजी माम्मेन - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अप्रैल 2018 तक)	-	2.50
	आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अगस्त 2018 से)	70.00	46.48
	सुरेंद्र श्रीवास्तव, सीएफओ (दिसंबर 2018 तक)	-	32.09
	रजनी सूद, सीएफओ (दिसंबर 2019 तक)	29.38	11.44
	अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सीएफओ (दिसंबर 2019 से)	13.58	-
	पूजा कुकरेती, कंपनी सचिव, (फरवरी 2019 से)	8.00	1.07
संबंधित पक्ष लेनदेन	**सिटिंग शुल्क का भुगतान**		
	अरविंद कुमार जैन, ग़ैर कार्यपालक निदेशक	5.40	2.40
	हर्ष श्रीवास्तव, ग़ैर कार्यपालक निदेशक	2.20	0.60
	पिलारिसेत्ती सतीश, ग़ैर कार्यपालक निदेशक	2.00	2.20
	रत्ना विश्वनाथन, ग़ैर कार्यपालक निदेशक	-	0.60

सी. संबंधित पक्ष लेनदेन हेतु बकाया शेष का विवरण

(₹ लाख)

संबंधित पक्ष का नाम	लेनदेन की प्रकृति	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
धारक कंपनी	नैगम जमाओं में निवेश	18,729.09	-
	देय व्यय	44.03	42.79

* नोट: भारत सरकार ने सिडबी में ₹ 300 करोड़ के कोष के साथ "इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी निधि (आईएमईएफ) का गठन किया है। इस निधि का उपयोग निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से छोटे समाजोन्मुख एमएफआई को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से टियर- II और टियर- III एनबीएफसी एमएफआई और सभी गैर-एनबीएफसी एमएफआई के लिए असेवित एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में परिचालन बढाने के उदेश्य से इक्विटी अथवा किसी अन्य प्रकार की पूंजी उपलब्ध कराने के लिये किया जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी 2020 में आईएमईएफ की कोष निधि को सिडबी से मुद्रा में अंतरित कर दिया गया है। उक्त निधि मुद्रा अब द्वारा संचालित / प्रबंधित की जाती है, जिसके लिए आहरित राशि पर प्रतिवर्ष 1% प्रशासनिक शुल्क निधि से लिया जाता है और इसे मुद्रा द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, निधि के अंतर्गत होने वाले आवागमन को निधि में जमा / नामे किया जाता है। इसलिए, निवेश के पश्चात निवल आईएमईएफ निधि का शेष, तुलनपत्र "अन्य वर्तमान देनदारियों" के अन्तर्गत समूहित किया गया है। यथा 31 मार्च 2020 को निधि में शेष राशि ₹ 271,21,93,059/- (पिछले वर्ष शून्य) है।

डी. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों पर किया गया है जो पर्याप्त दूरी के लेनदेन में लागू होती हैं। वर्ष के अंत में बकाया राशि प्रतिभूतिरहित है और निस्तारण नकदी में किया जाता है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और उस बाजार से संबंधित होता है जिसमें संबंधित पक्ष काम करता है।

39. वित्तीय लिखतें - उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

ए. वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण:

निम्न तालिका वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशियों और उचित मूल्यों को दर्शाती है, जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में उनका स्तर भी शामिल है। इसमें उन वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं के लिये उचित मूल्य सूचना शामिल नहीं हैं जिनका परिमापन उचित मूल्य पर नहीं किया गया है यदि उनकी वहन राशि उचित मूल्य का युक्तिसंगत अनुमान है।

(₹ लाख)

यथा 31 मार्च,2020 को वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ	वहन राशि				उचित मूल्य			
	लाभ हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	योग	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय आस्तियाँ								-
नकदी एवं नकदी सममूल्य	-	-	4,21,125.99	4,21,125.99	-	-	4,21,125.99	4,21,125.99
नकदी एवं नकदी सममूल्य को छोडकर बैंक शेष	-	-	6,09,957.15	6,09,957.15	-	-	6,09,957.15	6,09,957.15
ऋण	-	-	9,00,400.11	9,00,400.11	-	-	9,00,400.11	9,00,400.11
निवेश	-	-	18,727.22	18,727.22	-	-	18,727.22	18,727.22
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**19,50,210.46**	**19,50,210.46**	**-**	**-**	**19,50,210.46**	**19,50,210.46**
वित्तीय देयताएँ								
देनदारियाँ				-				-
व्यवसाय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देनदारियाँ	-	-	251.32	251.32	-	-	251.32	251.32
जमाराशियाँ	-	-	17,02,562.03	17,02,562.03	-	-	17,02,562.03	17,02,562.03
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	13.12	13.12	-	-	13.12	13.12
	-	**-**	**17,02,826.47**	**17,02,826.47**	**-**	**-**	**17,02,826.47**	**17,02,826.47**

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

(₹ लाख)

यथा 31 मार्च,2019 को वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ	वहन राशि				उचित मूल्य			
	लाभ हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	योग	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय आस्तियाँ								-
नकदी एवं नकदी सममूल्य	-	-	1,73,461.18	1,73,461.18	-	-	1,73,461.18	1,73,461.18
नकदी एवं नकदी सममूल्य को छोडकर बैंक शेष	-	-	3,13,301.98	3,13,301.98	-	-	3,13,301.98	3,13,301.98
ऋण	-	-	11,83,404.34	11,83,404.34	-	-	11,83,404.34	11,83,404.34
निवेश	40,040.37	-	-	40,040.37	-	40,040.37	-	40,040.37
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,040.37	**-**	**16,70,167.50**	**17,10,207.87**	**-**	**40,040.37**	**16,70,167.50**	**17,10,207.87**
वित्तीय देयताएँ								
देनदारियाँ				-				-
व्यवसाय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देनदारियाँ	-	-	248.48	248.48	-	-	248.48	248.48
जमाराशियाँ	-	-	15,13,463.08	15,13,463.08	-	-	15,13,463.08	15,13,463.08
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	4.62	4.62	-	-	4.62	4.62
	-	**-**	**15,13,716.18**	**15,13,716.18**	**-**	**-**	**15,13,716.18**	**15,13,716.18**

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

बी. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य के अनुमान के लिये निम्नांकित प्रविधियाँ तथा मान्यताएँ अपनाई गई हैं.

ए. नकदी की समतुल्य मात्रा सहित अन्य चालू बैंक शेष, अन्य प्राप्य और व्यापार और अन्य देयताओं सहित अन्य वित्तीय देनदारियों, आदि को इस तरह के शेष राशि की वर्तमान और अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

बी. कंपनी द्वारा नियत ब्याज दरों वाले वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन ब्याज दरों और प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत साख जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर, इन लिखतों के संभावित नुकसान के लिए, यदि आवश्यक हो तो, छूट को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार, उपर्युक्त 'ए' में दर्शाई गई लागत, ईसीएल राशि को समायोजित करने के बाद है।

सी. प्रतिपक्ष ऋण जोखिम सहित अप्राप्य इनपुट के समावेश के कारण, इन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सी. उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर ऊपर वर्णित वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पदानुक्रम समान आस्तियों या देयताओं (स्तर 1 मापों) के लिए सक्रिय बाजारों में को उद्धृत कीमत को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और असंगत इनपुट्स (स्तर 3 माप) के लिए सबसे कम प्राथमिकता देता है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में सक्रिय बाजारों में समान आस्ति या देयता के लिये असमायोजित उद्धृत कीमतों, जो कंपनी को उपलब्ध हैं, का उपयोग करके मापी गई वित्तीय लिखतें शामिल हैं। एक वित्तीय लिखत को स्तर 1 माप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर यह किसी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिन्होंने कीमत उद्धृत की है। सभी इक्विटी लिखतों (बॉन्ड सहित) का उचित मूल्य जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। म्यूचुअल फंड्स की कीमत एनएवी.स्तर:1 के स्तर पर तय की गई है। स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापी गई वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिन्होंने कीमत उद्धृत की है। सभी इक्विटी लिखतों (बॉन्ड सहित) का उचित मूल्य जो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

स्तर 2: उन वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मूल्यांकन जिनका सक्रिय बाज़ारों में कारोबार नहीं होता मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जिसके लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काफी हद तक पूर्ण अवधि के लिए अवलोकन योग्य बाजार डेटा, जैसे कि सक्रिय बाजारों में समान आस्तियों और देयताओं के लिए उद्धृत मूल्य का अधिकतम उपयोग किया जाता है किंतु वे स्तर 1 के इनपुट की योग्यता नहीं रखते। यदि उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट उपलब्ध हैं, तो इस लिखते को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो ऐसी लिखत स्तर 3 में सम्मिलित की जाती हैं। अर्थात, लेवल 3 इनपुट में जोखिम के बारे में बाजार सहभागियों की धारणाओं और बाजार सहभागियों द्वारा अपेक्षित जोखिम प्रीमियम को समाहित किया गया है ताकि उक्त जोखिम को वहन किया जा सके। कंपनी उक्त परिस्थितियों में सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्तर 3 इनपुट विकसित करती है।

40 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जोखिमों को मापने, निगरानी करने और उन्हें कम करने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति के साथ साथ, कंपनी के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए इसके व्यवसाय के आकार और जटिलता के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इनकी सहायता से कंपनी अपनी नीतियों और प्रथाओं के बीच विसंगतियों और अंतराल को रोकने के लिए अपनी रणनीतियों के अनुरूप व्यावसायिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। निदेशक मंडल / समितियां जोखिम प्रबंधन नीति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती हैं। वित्तीय जोखिम प्रबंधन कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियाँ बनाने और उन्हें निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है।

कंपनी, अपने प्रशिक्षण और प्रबंधन मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक अनुशासित और रचनात्मक नियंत्रण वातावरण बनाए रखना चाहती है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाओं और दायित्वों को समझें। आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा समिति को इसकी निरीक्षण भूमिका में सहायता प्रदान की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम प्रबंधन नियंत्रण और प्रक्रियाओं की नियमित और तदर्थ समीक्षा करती है, जिसके परिणाम लेखापरीक्षा समिति को सूचित किए जाते हैं।

कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के जोखिमों को उजागर करती हैं:

- ऋण जोखिम
- तरलता जोखिम और
- बाजार ज़ोखिम

(ए) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और उक्त जोखिम मुख्यत: कंपनी के ऋण, निवेश और अन्य वित्तीय आस्तियों से उत्पन्न होता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम दर्शाती है।

i. परिशोधित लागत पर मापित ऋण तथा वित्तीय आस्तियाँ

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इम्पेयरमेंट विश्लेषण किया जाता है.

इम्पेयरमेंट हानि की गणना चूक पर एक्सपोज़र (ईएडी)के आधार पर की गई है * चूक की संभावना (पीडीएस)* चूक से हानि (एलजीडी)।

आंतरिक रेटिंग मॉडल में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जानकारी शामिल है और, उधारकर्ता से संबंधित विशिष्ट जानकारी के अलावा, अनुपूरक बाहरी जानकारी का उपयोग किया जाता है जो उधारकर्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।

चूक की संभावना (पीडीएस): चूंकि चूक की प्रायिकता की गणना के लिए अपने स्वयं के पोर्टफोलियो के लिए कंपनी के पास कोई पिछला रुझान उपलब्ध नहीं है, इसलिए कंपनी ने रेटिंग के आधार पर स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए अपनी धारक कंपनी के जोखिम मूल्यांकन मॉडल से रेटिंग आधारित पीडी ली है। जिन मामलों में रेटिंग उपलब्ध नहीं है, मूल कंपनी / प्रायोजक कंपनी के समान पीडी को मान लिया जाता है। पीडी को फिर इंड एएस -109 ईसीएल गणनाओं के लिए समायोजित किया जाता है ताकि भावी जानकारी और एक्सपोज़र के इंड एएस 109 स्टेज वर्गीकरण के रूप में शामिल किया जा सके। स्टेज 3 के प्रयोजन के लिए, पीडी को 100% पर लिया जाता है।

चूक से हानि (एलजीडी): एलजीडी की गणना के प्रयोजन से, कंपनी का अपना चूक एवं वसूली का कोई इतिहास नहीं है। इसलिए, प्रतिभूत ऋण पोर्टफोलियो के मामले में, एलजीडी को ऋण की प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम प्रबंधन मॉडल में निर्दिष्ट न्यूनतम एलजीडी पर आधारित माना जाता है। वर्तमान में, सभी ऋण पोर्टफोलियो प्राप्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं और एलजीडी को इसके लिए 50% पर माना गया है। एलजीडी 50% पर विचार करते समय, मुद्रा द्वारा धारित संपार्श्विक प्रतिभूति (सावधि जमा रसीद पर मुद्रा के पक्ष में लियन चिन्हित) को शामिल किया जाता है। स्टेज 3 के लिए, एलजीडी को 100% माना जाता है। प्रतिभूतिरहित निवेश के मामले में, एलजीडी को 100% माना जाता है, क्योंकि इस तरह की निवेश करने वाली कंपनियों की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य में पुनर्प्राप्ति की कोई भी स्थिति उपलब्ध नहीं है और पुनर्प्राप्ति की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऋण (अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण सीमा सहित)

ऋणों का आयु-विश्लेषण (प्रावधान का सकल) उस तारीख से माना जाता है जिस दिन संविदात्मक भुगतान देय होता है-

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
0-30 दिन अतिदेय	9,87,540.45	12,25,057.93
30-90 दिन अतिदेय	-	-
90 दिनों से अधिक अतिदेय	7,106.92	-
योग	**9,94,647.37**	**12,25,057.93**

निम्न तालिका अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके मापी गई हानि छूट में होने वाले बदलाव को संक्षेप में प्रस्तुत करती है -

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आरंभिक प्रावधान	2,228.59	2,486.03
वर्ष के दौरान प्रावधान	6,568.67	-
प्रावधान का उत्क्रमण	-	(257.44)
योग	**8,797.26**	**2,228.59**

निम्न तालिका अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके मापी गई हानि छूट में होने वाले बदलाव को संक्षेप में प्रस्तुत करती है -

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं	18,729.09	-
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
चूक का पोर्टफोलियो	28,500.00	28,500.00
योग	**47,229.09**	**28,500.00**

निम्न तालिका जीवन काल अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करकेहाँइ संबंधी छूट में बदलाव को सारांशित करती है -

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आरंभिक प्रावधान	28,500.00	8.54
वर्ष के दौरान प्रावधान	1.87	28,491.46
प्रावधान का उत्क्रमण	-	-
योग	**28,501.87**	**28,500.00**

ii. नकदी एवं बैंक शेष

कंपनी के पास 31 मार्च, 2020 को नकद और नकद समतुल्य और अन्य बैंक शेष ₹ 10,31,083.13 लाख (31 मार्च, 2019: ₹4,86,763.13 लाख) था जोकि अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रखे जाते हैं।

परिशोधित लागत पर मापित सावधि जमा

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं	10,31,290.15	4,86,264.16
ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
चूक का पोर्टफोलियो	-	-
योग	**10,31,290.15**	**4,86,264.16**

निम्न तालिका जीवन काल अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करके हानि संबंधी छूट में बदलाव को सारांशित करती है -

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	255.61	-
प्रावधान का उत्क्रमण	-	-
योग	**255.61**	**-**

iii. अन्य

ऋणों के अलावा, निवेश और सावधि जमा को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, कंपनी के पास कोई अन्य वित्तीय आस्तियाँ नहीं है जो किसी भी महत्वपूर्ण ऋण जोखिम को वहन करती है।

(बी) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम इस बात का जोखिम है कि कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिन्हें नकद या किसी अन्य वित्तीय आस्ति को वितरित करके निस्तारित किया जाना होगा. तरलता प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि वह सामान्य या तनावपूर्ण परिस्थितियों में, बिना अस्वीकार्य नुकसान के या बिना कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए अपनी देयताओं के, जब वे देय हों, निर्वाह करने हेतु पर्याप्त उपलब्ध तरलता होगी । कंपनी की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) अपनी तरलता जोखिम प्रबंधन रणनीति को परिभाषित करती है और समग्र नीति और जोखिम सहिष्णुता को निर्धारित करती है।

(i) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। राशियाँ सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल हैं।

(₹ लाख)

यथा 31 मार्च 2020 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष अथवा कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	7,02,562.03	10,00,000.00	-	17,02,562.03
अन्य देनदारियाँ	251.32	-	-	251.32
अन्य वित्तीय देयताएँ	13.12	-	-	13.12
योग	**7,02,826.47**	**10,00,000.00**	**-**	**17,02,826.47**

(₹ लाख)

यथा 31 मार्च 2019 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष अथवा कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	3,25,963.08	11,87,500.00	-	15,13,463.08
अन्य देनदारियाँ	248.48	-	-	248.48
अन्य वित्तीय देयताएँ	4.62	-	-	4.62
योग	**3,26,216.18**	**11,87,500.00**	**-**	**15,13,716.18**

(सी) बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार की कीमतों में परिवर्तन का जोखिम है - जैसे कि विदेशी मुद्रा दरों, ब्याज दरों और इक्विटी की कीमतें - यह कंपनी की आय या इसके वित्तीय लिखतों की धारिता के मूल्य को प्रभावित करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने के साथ साथ स्वीकार्य मापदंडों के अधीन बाजार जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। इन जोखिमों के प्रति कंपनी का एक्सपोज़र, और इनके प्रबंधन के बारे में नीचे बताया गया है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से भारतीय बाजार में कार्य करती है। ज्यादातर लेन-देन कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा यानी रुपए में दर्शाए गए हैं। इसलिए कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव का जोखिम है। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के प्रति कंपनी का एक्सपोज़र मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज दरों पर कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्व से संबंधित है। कंपनी की निश्चित दर उधार राशि को परिशोधन लागत पर धारित किया गया है। इसलिए वे इंडएएस 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम के प्रति एक्सपोज़र

कंपनी के प्रबंधन को प्रस्तुत रिपोर्ट केअनुसार कंपनी की ब्याज भारित वित्तीय लिखतों की ब्याज दर प्रोफाइल निम्नवत है:

(₹ लाख)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
निश्चित दर वाली लिखतें		
वित्तीय देयताएँ		
उधार	17,02,562.03	15,13,463.08
वित्तीय आस्तियाँ		
जमा प्रमाणपत्र - सिडबी	18,727.22	-
सावधि जमा	10,31,034.55	4,86,264.16
कुल निवल	**(6,52,800.26)**	**(10,27,198.93)**

निश्चित दर वाली लिखतों के लिये उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी की निश्चित दर वाली लिखतें परिशोधित लागत पर धारित हैं और ब्याज दर के जोखिम के लिए नहीं मापा जाता है, क्योंकि बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो इनकी वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

(iii) मूल्य जोखिम

म्यूचुअल फंड मूल्य जोखिम के प्रति कंपनी का एक्सपोजर कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उत्पन्न होता है जिसे तुलन पत्र में लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पे वर्गीकृत किया गया है. चूंकि म्यूचुअल फंड अत्यंत तरल ऋण उन्मुख निधियाँ हैं कंपनी का कोई महत्वपूर्ण मूल्य जोखिम एक्सपोज़र नहीं है।

41. विगत वर्ष पुनर्समूहन

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के लिए उनकी तुलना करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वांछित अतिरिक्त प्रकटन

42. पूँजी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर)

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
सीआरएआर (%)*	61.23	64.30
सीआरएआर - टियर I पूँजी (%)	60.76	63.58
सीआरएआर - टियर II पूँजी (%)	0.46	0.72
टियर II पूँजी के रूप में संग्रहीत सबॉर्डिनेट ऋण (₹)	-	-
स्थायी ऋण लिखतों के निर्गम पर प्राप्त राशि (₹)	-	-

आरबीआई ने अपने पत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सं. 0026 / 03.10.001 / 2015-16 दिनांकित 03 जुलाई, 2015 के माध्यम से आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए गए सभी पुनर्वित्त को शून्य जोखिम भार प्रदान करने को मंजूरी दी है। उपरोक्त अनुपात उसी पर आधारित हैं।

* ₹ 854.5 करोड़ की असंवितरित संस्वीकृत राशि शामिल है

43. रियल एस्टेट क्षेत्र तथा पूँजी बाज़ार में एक्सपोज़र

(ए) 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली इसी अवधि के लिए कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोज़र नहीं है

(बी) 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली इसी अवधि के लिए कंपनी का पूँजी बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है.

44. आस्ति देयता प्रबंधन

(₹ लाख)

विवरण यथा 31 मार्च, 2020	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 दिन से 30 दिन	1 माह से अधिक 2 माह तक	2 माह से अधिक 3 माह तक	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ*	171.88	476.75	1,250.84	2,311.30	-	-	6,099.57	-	-	-	10,310.35
अग्रिम	12.56	94.57	-	186.45	276.13	1,587.76	3,159.88	3,686.65	-	-	9,004.00
निवेश**	-	-	-	-	187.29	-	-	-	-	-	187.29
उधार***	150.62		-	-		-	6,875.00	10,000.00	-	-	17,025.62
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएँ			-	-	-	-	-	-	-	-	-

* जमाराशियों में बैंकों में रखी गई सावधि जमा शामिल हैं.

** निवेशों में निगमों में रखी गई जमाराशियाँ (प्रावधनों के पश्चात निवल) तथा म्युचुअल निधियाँ शामिल हैं

*** उधार में भारतीय रिज़र्व बैंक के आवंटन के अनुसार बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल निधि के अंतर्गत प्राप्त राशियाँ शामिल हैं.

45. वित्तीय विनियामकों के पास पंजीकरण का विवरण

विनियामक	पंजीकरण संख्या
कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय	सीआईएन यू65100एमएच2015पीएलसी274695
भारतीय रिज़र्व बैंक	एन-14.03313

नोट: वर्तमान वर्ष तथा विगत वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी विनियामक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है.

46. निवेश

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	**निवेश का मूल्य**		
	निवेशों का सकल मूल्य		
	भारत में	472.29	685.40
	भारत से बाहर	-	-
		-	-
	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
	भारत में	285.02	285.00
	भारत से बाहर	-	-
		-	-
	निवेशों का निवल मूल्य		
	भारत में	187.27	400.40
	भारत से बाहर	-	-
2	**निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु रखे गये प्रावधान का आवागमन**		
	आरंभिक शेष	285.02	0.09
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	-	284.91
	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / राइट बैंक करना	-	-
	अंतिम शेष	285.02	285.00

47. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान तथा आकस्मिकताएँ

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
	लाभ हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' का विवरण:		
1	निवेश एवं जमाराशियों पर इम्पेयरमेंट हानि	2.57	284.91
2	ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर इम्पेयरमेंट हानि	65.69	(2.57)
3	वर्तमान आयकर के प्रति प्रावधान	105.46	116.35
4	अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएँ (विवरण सहित)	-	-
5	आस्थगित कर आस्तियों के प्रति प्रावधान	12.12	(98.63)

48. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

कंपनी का वर्तमान और विगत वर्ष के दौरान फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट / इंटरेस्ट रेट स्वैप और एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट (आईआर) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) में कोई लेनदेन / एक्सपोजर नहीं है।

कंपनी के पास चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई भी असुरक्षित (अन्हेज्ड) विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं है।

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कंपनी के कोई रेपो लेनदेन नहीं हैं.

49. प्रतिभूतिकरण संबंधी प्रकटन

1. वर्तमान और विगत वर्ष में प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं हैं; और इसलिए,
   (ए) प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कोई राशि नहीं है।
   (बी) यथा तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा एक्सपोज़र की कोई राशि प्रतिधारित नहीं है
2. कंपनी के पास मौजूदा वर्ष और पिछले वर्ष में एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन का कोई एक्सपोज़र नहीं है
3. कंपनी ने वर्तमान और विगत वर्ष के दौरान किसी प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को आस्ति पुनर्निर्माण के लिए कोई भी वित्तीय आस्ति बेची नहीं है।
4. कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है।
5. कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान किसी भी गैर-निष्पादित वित्तीय आस्ति की खरीद / बिक्री नहीं की है।

50 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष में आस्ति के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियाँ नहीं बेची है।

51. बेची / खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष में अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद / बिक्री नहीं की है।

52. मूल कम्पनी के उत्पादों के वित्त पोषण का विवरण

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष में सिडबी के जमा प्रमाण पत्र की खरीद में वर्तमान वर्ष में ₹ 177,12,33,200 / - तथा विगत वर्ष में ₹ 1,21,89,41,100 के निवेश को छोडकर अपनी मूल कंपनी के किसी भी उत्पाद का वित्त पोषण नहीं किया है।

53. अप्रतिभूत अग्रिम

वर्तमान वर्ष तथा विगत वर्ष में कंपनी के कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं हैं.

54. एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

आरबीआई ने अपने पत्र सं. डीएनबीआर (पीडी). सीओ. सं. 244 / 03.10.001 / 2015-16 दिनांक 03 अगस्त, 2015 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इसके जोखिम के संबंध में मुद्रा को क्रेडिट एकाग्रता मानदंड (एकल उधारकर्ता) की प्रयोज्यता से छूट दी है। हालाँकि, अन्य एक्सपोज़र के संबंध में, मुद्रा आरबीआई द्वारा निर्धारित एकल / समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन करता है और वर्ष के दौरान, कंपनी ने विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा - एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का अतिक्रमण नहीं किया है।

55. आरक्षितियों से आहरण

वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में आरक्षितियों से कोई आहरण नहीं किया गया है.

56. निवल ब्याज मार्जिन पर सूचना

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
औसत ब्याज (ए)	5.46%	5.52%
औसत प्रभावी उधार लागत (बी)	3.76%	4.13%
निवल ब्याज मार्जिन (ए-बी)	1.70%	1.39%

57. ग्राहक शिकायतें

कंपनी को अपने प्रत्यक्ष ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं मिली है और इसमें प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर व्यक्तियों की सामान्य पूछताछ / शिकायतें या बैंकों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा शिकायतें शामिल नहीं हैं।

58. क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ एवं अनर्जक आस्तियों का आवागमन

ए) क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
	उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में अनर्जक आस्ति का %	उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में अनर्जक आस्ति का %
कृषि एवं कृषि से जुडी गतिविधियाँ	-	-
एमएसएमई	-	-
नैगम उधारकर्ता*	3.73%	2.35%
सेवाएँ	-	-
अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
ऑटो ऋण	-	-
अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

* नैगम उधारकर्ता में बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई के साथ-साथ निगमों में किए गए निवेश शामिल हैं।

बी) अनर्जक आस्तियों का आवागमन

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) निवल अग्रिम में निवल अनर्जक आस्तियों का %	0.00%	0.00%
ii) अनर्जक आस्तियों का आवागमन (सकल)*		
ए) आरंभिक शेष	285.00	-
बी) वर्ष के दौरान जोडे गये	71.07	286.22
सी) वर्ष के दौरान घटाए गये	-	1.22
डी) अंतिम शेष	356.07	285.00

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
iii) अनर्जक आस्तियों का आवागमन (निवल)*		
ए) आरंभिक शेष	-	-
बी) वर्ष के दौरान जोडे गये	-	-
सी) वर्ष के दौरान घटाए गये	-	-
डी) अंतिम शेष	-	-
iv) अनर्जक आस्तियों के लिये प्रावधान का आवागमन (मानक आस्तियों के लिये प्रावधान को छोडकर)		
ए) आरंभिक शेष	285.00	-
बी) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	71.07	286.22
सी) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / राइट बैंक करना	-	1.22

* इसमें अनर्जक (स्टेज 3) निवेश शामिल हैं

59. क्रेडिट एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी की कोई रेटिंग नहीं है.

60. अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का घनत्व

(₹ लाख)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	बीस विशालतम उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम *	7,977.84	11,001.42
2	शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल अग्रिम	71.07	-
3	बैंकों एवं एमएआई के कुल अग्रिमों में बीस विशालतम उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	87.65%	92.82%

* उक्त राशि में असंवितरित मंजूर राशियाँ शामिल नहीं हैं.

(₹ in crore)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1	बीस विशालतम उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम एवं एक्सपोज़र *	17,884.96	10,999.62
2	शीर्ष चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल एक्सपोज़र	71.07	285.00
3	बैंकों एवं एमएआई के कुल अग्रिमों में बीस विशालतम उधारकर्ताओं के अग्रिम तथा एक्सपोज़र का प्रतिशत	92.12%	92.85%

* उक्त राशि में असंवितरित मंजूर ऋण राशियाँ शामिल नहीं हैं.

61. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी धन से जुड़े संबंधों या लेन-देन का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।

62. विदेशी आस्तियाँ (जिनकी संयुक्त उद्यमों तथा विदेशी सहायक कंपनियाँ है)

वर्तमान वर्ष तथा विगत वर्ष में कंपनी के पास कोई विदेशी आस्तियाँ नहीं हैं.

63. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 17 फरवरी, 2020 को अद्यतन किये गये मास्टर दिशानिदेश - ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनियाँ तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश, 2016 के अनुबंध IV में अपेक्षा के अनुसार कंपनी के तुलनपत्र की अनुसूची से संबंधित खुलासा

विवरण		बकाया राशि (₹ करोड़ में)		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
	देयताएँ पक्ष :				
63.1	ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण तथा अग्रिम एवं उपचित ब्याज जोकि अदा नहीं किया गया है:				
	ए) डिबेंचर :				
	i) प्रतिभूत	-	-	-	-
	ii) प्रतिभूतिरहित (सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने वाली सार्वजनिक जमाराशियों को छोडकर)	-	-	-	-
	बी) आस्थगित जमा	-	-	-	-
	सी) सावधि ऋण (बैंकों द्वारा जमा किया गया प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल)	17,026	15,135	-	-
	डी) अंतर्नैगम ऋण एवं उधार	-	-	-	-
	ई) वाणिज्यिक प्रलेख	-	-	-	-
	एफ) सार्वजनिक जमाराशियाँ	-	-	-	-
	जी) अन्य ऋण	-	-	-	-
63.2	ऊपर 1 (एफ) (सार्वजनिक जमा राशि तथा उसपर उपचित ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया) का विवरण :				
	ए) प्रतिभूति रहित डिबेंचरों के रूप में	-	-	-	-
	बी) आंशिक रूप से प्रतिभूत डिबेंचरों के रूप में, यथा वे डिबेंचर जिनकी प्रतिभूति के मूल्य में कोई शॉटफॉल नहीं है	-	-	-	-
	सी) अन्य सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
	आस्ति पक्ष :				
63.3	**ऋणों और अग्रिमों का विवरण, प्राप्य बिलों सहित [नीचे (4) में शामिल के अलावा]:**				
	ए) प्रतिभूत	9,004.00	11,834.04	-	-
	बी) प्रतिभूतिरहित	-	-	-	-
63.4	**लीज़ पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और अन्य आस्तियाँ जिनकी एएफसी गतिविधियों में गणना होती है**				
	ए) लीज़ पर दी गई आस्तियाँ जिनमें विविध देनदारों के लीज़ किराये शामिल हैं.				
	i) वित्तीय लीज़	-	-	-	-
	ii) परिचालन लीज़	-	-	-	-

विवरण		बकाया राशि (₹ करोड़ में)		बकाया राशि (₹ करोड़ में)	
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
बी)	भाडे पर स्टॉक जिसमें विविध देनदारों के अंतर्गत भाडा प्रभार शामिल है				
	i) भाडे पर आस्तियाँ	-	-		-
	ii) आस्तियाँ जो वापस ले ली गई है	-	-		-
सी)	एएफसी गतिविधियों के अंतर्गत शामिल अन्य ऋण	-	-		-
	i) वे ऋण जिनमें आस्तियाँ वापस ले ली गई हैं	-	-	-	-
	ii) उक्त (i) को छोडकर अन्य ऋण	-	-	-	-
63.5	**निवेशों का विवरण :**				
	वर्तमान निवेश :				
ए)	**उद्धृत:**				
	i) शेयर: ए. ईक्विटी	-	-	-	-
	बी. वरीयता	-	-	-	-
	ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-	-	-
	iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ	-	-	-	-
	iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	v) अन्य (कृपया विवरण दें)	-	-	-	-
बी)	**अनुद्धृत :**				
	i) शेयर: ए. ईक्विटी	-	-	-	-
	बी. वरीयता	-	-	-	-
	ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-	-	-
	iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ	-	400.40	-	-
	iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
	v) अन्य (जमा प्रमाणपत्र एवं नैगम बॉन्ड)	472.29	285.00	-	-
	दीर्घावधि निवेश :				
ए)	**उद्धृत:**				
	i) शेयर: ए. ईक्विटी	-		-	-
	बी. वरीयता	-		-	-
	ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-		-	-
	iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ	-		-	-
	iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ	-		-	-
	v) अन्य (कृपया विवरण दें)	-		-	-
बी)	**अनुद्धृत :**				
	i) शेयर: ए. ईक्विटी	-		-	-
	बी. वरीयता	-		-	-
	ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-		-	-
	iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ	-		-	-
	iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ	-		-	-
	v) अन्य	-		-	-

(₹ लाख)

63.6 उपर्युक्त 63.3 तथा 63.4 के अनुसार वित्तपोषित उधारकर्ता समूह वार आस्ति वर्गीकरण

	श्रेणी	प्रतिभूत		प्रतिभूतिरहित		योग	
	(प्रावधानों के पश्चात निवल राशि)	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ए)	संबंधित पक्ष						
i)	सहायक कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-
ii)	इसी समूह की कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-
iii)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-	-	-	-
बी)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य	9,004.00	11,834.04	-	-	9,004.00	11,834.04
	योग	**9,004.00**	**11,834.04**	**-**	**-**	**9,004.00**	**11,834.04**

63.7 शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण:

	श्रेणी	बाज़ार मूल्य/विवरण अथवा उचित मूल्य या एनएवी		बही मूल्य (प्रावधानों से निवल)	
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ए)	संबंधित पक्ष				
i)	सहायक कंपनियाँ	-	-	-	-
ii)	इसी समूह की कंपनियाँ	187.29	-	187.29	-
iii)	अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-	-
बी)	संबंधित पक्षों के अतिरिक्त अन्य	-	400.40	-	400.40
	योग	**187.29**	**400.40**	**187.29**	**400.40**

63.8 अन्य जानकारी

	श्रेणी	राशि	राशि
		31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ए)	**सकल अनर्जक आस्तियाँ**		
i)	संबंधित पक्ष	-	-
ii)	संबंधित पक्षों से इतर	356.07	285.00
बी)	**निवल अनर्जक आस्तियाँ**		
i)	संबंधित पक्ष	-	-
ii)	संबंधित पक्षों से इतर	-	-
सी)	**ऋण के शोधन के लिये अभिग्रहीत आस्तियाँ**	-	-

64. भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") की दिनांक 13 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019-20/170 डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुसार कंपनी के तुलनपत्र की अनुसूची से संबंधित प्रकटीकरण।

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड ए एस 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड ए एस के अनुसार सकल वहन मूल्य	इंड ए एस के अनुसार हानि संबंधी छूट (प्रावधान)	विवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार वांछित प्रावधान	इंड ए एस 109 प्रावधानों तथा आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
अर्जक आस्तियाँ	स्टेज 1	9,208.20	16.90	9,191.29	36.07	(19.17)
मानक	स्टेज 2	-	-	-	-	-
उप-योग		**9,208.20**	**16.90**	**9,191.29**	**36.07**	**(19.17)**
अनर्जक आस्तियाँ						
अवमानक	स्टेज 3	71.07	71.07	-	7.11	63.96
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	स्टेज 3	285.00	285.00	-	285.00	-
1 से 3 वर्ष	स्टेज 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध के लिये उप-योग		**285.00**	**285.00**	**-**	**285.00**	**-**
हानि	स्टेज 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अनर्जक आस्ति का उप-योग		**356.07**	**356.07**	**-**	**292.11**	**63.96**
अन्य वस्तुएं जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड ए एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन वर्तमान आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं	स्टेज 1	-	-	-		-
	स्टेज 2	-	-	-		-
	स्टेज 3	-	-	-		-
योग	**स्टेज 1**	9,208.20	16.90	9,191.29	36.07	(19.17)
	स्टेज 2	-	-	-	-	-
	स्टेज 3	356.07	356.07	-	292.11	63.96
	योग	**9,564.26**	**372.97**	**9,191.29**	**328.18**	**44.79**

नोट: अर्जक आस्तियों तथा अनर्जक आस्तियों में निवेश और अग्रिम शामिल हैं.

65. कोविड-19 विनियामक पैकेज - आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल,2020 के परिपत्र के अनुसरण में प्रकटन:

विवरण	यथा 31-03-2020 (₹ करोड़)
(i) एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में क्रमश: राशियों को, जहां अधिस्थगन/स्थगन को बढ़ाया गया था	शून्य
(ii) क्रमश: राशि जहां आस्ति वर्गीकरण परिलाभ दिया गया है	शून्य
(iii) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	शून्य
(iv) संबंधित लेखांकन अवधियों के दौरान फिसलने वाले तथा बचे हुए प्रावधानों के लिये समायोजित प्रावधान	शून्य

अनर्जक आस्तियों में निवेश एवं अग्रिम शामिल हैं. वर्तमान वर्ष की प्रविधि के साथ अनुकूलन के लिये विगत वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है

हमारी इसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फ़र्म सं.:109818डब्ल्यू

हस्ता/-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्यता सं. :110120

वास्ते निदेशक मंडल

हस्ता/-
आलोक गुप्ता
प्र. नि. एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

हस्ता/-
मनोज मित्तल
निदेशक
डीआईएन :01400076

हस्ता/-
अंजनी कुमार श्रीवास्तव
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 04, 2020

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(नौवहन), मुंबई

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(SHIPPING), MUMBAI.

गोपनीय/शीघ्रडाक

संख्या: जीए/सीए-I/लेखा/MUDRA/2019-20/71

14 AUG 2020

सेवा में,
मैनेजिंग डायरेक्टर & सीईओ
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड
स्वावलमबन भवन, सी-11,
जी. ब्लोक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व),
मंबई- 400 051.

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात्, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलम्ब अग्रेषित की जाये। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जाएँ'

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सुचना दें।

भवदीय,

(पी. वी. हरि कृष्णा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

संलग्न यथोपरि ।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of Micro Units Development & Refinance Agency Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 04 June 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Micro Units Development & Refinance Agency Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(P. V. Hari Krishna)
Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date :14.08.2020

सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)** की पाँचवीं वार्षिक आम बैठक 22 सितंबर, 2020 को अपराह्न 12 बजे विडियो कॉन्फरेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नांकित कार्यों के निस्तारण के लिये आयोजित की जाएगी:

सामान्य कामकाज:

निम्नांकित सामान्य संकल्पों पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझें तो, संशोधनों से साथ अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करना:

1) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अनुसरण में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये मुद्रा की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षकों कि रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों एवं प्रमाणपत्र को अंगीकृत करना:**

"संकल्प पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी की लेखापरीक्षित लेखा विवरणियों, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तथा नोट्स जोकि उक्त अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के अभिन्न अंग हैं, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों एवं प्रमाणपत्र जोकि कंपनी के सदस्यों को पहले से ही परिचालित किये जा चुके हैं, को प्राप्त किया गया है, उनपर विचार किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है तथा अंगीकृत किया जाता है."

2) **यथा 31 मार्च, 2020 को ईक्विटी शेयरों पर रुपये 0.15 प्रति ईक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना जोकि सकल रूप से ₹ 25.14 करोड़ होता है.**

"संकल्प पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिये कंपनी की ₹ 1675.93 करोड़ की शेयर पूँजी पर रुपये 0.15 प्रति ईक्विटी शेयर का लाभांश जोकि सकल रूप से ₹ 25.14 करोड़ होता है, जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है, एतद्वारा उन शेयर धारकों को आनुपातिक आधार पर भुगतान हेतु घोषित किया जाता है जिनके नाम यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर दर्ज थे."

3) **श्री मनोज मित्तल (डीआईएन 01400076) को नियुक्त करने हेतु जो आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को आवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के पात्र निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते हैं.**

"संकल्प पारित किया जाता है कि श्री मनोज मित्तल (डीआईएन 01400076), नामिती निदेशक सिडबी को जो आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को आवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के पात्र निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते हैं नामिती निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त किये जाते हैं तथा वे आवृत्ति से सेवानिवृत्ति के पात्र होंगे."

4) **श्री आलोक गुप्ता (डीआईएन 08195214) को नियुक्त करने हेतु जो आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को आवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के पात्र निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते हैं.**

"संकल्प पारित किया जाता है कि श्री आलोक गुप्ता (डीआईएन 08195214), कंपनी के प्रबंध निदेशक को, जो आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण स्वयं को प्रबंध निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तावित करते हैं प्रबंध निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त किये जाते हैं तथा वे आवृत्ति से सेवानिवृत्ति के पात्र होंगे."

5) **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक को नोट करना:**

"संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139(5), 142(1) तथा कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम 2014 (समस्त प्रयोज्य सांविधिक संशोधनों अथवा पुनरअधिनियमन सहित) अन्य प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मुद्रा की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु ₹ 2.75 लाख के सकल पारिश्रमिक, कर अतिरिक्त तथा अधिकतम ₹ 0.50 लाख तक के फुटकर खर्च पर भारत के लेखापरीक्षक एवं महालेखाकार (सीएजी) द्वारा नियुक्त किसी भी फर्म को नियुक्त करने की मंजूरी एतद्वारा दी जाती है."

सामान्य संकल्प के माध्यम से विशेष कामकाज:

6) **श्रीमती स्मिता अफ़िनवाला को मुद्रा की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना:**

निम्नांकित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त हो तो संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, की धारा 149, 150 तथा 152 एवं अन्य प्रयोज्य पावधानों यदि कोई हो तो, सपठित उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची IV के अनुसरण में, श्रीमती स्मिता अफ़िनवाला (डीआईएन 07106628) जिन्हें 4 जून, 2020 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक (ग़ैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक) को एतद्वारा 4 जून, 2020 से निरंतर 3 वर्षों की अवधि के लिये कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है.

यह संकल्प भी पारित किया जाता है कि कंपनी के प्र. नि. एवं सीईओ / सीएफओ/ सीएस को इस संकल्प को प्रभावी करने हेतु आवश्यक सभी कृत्यों, विषयों, कार्यों तथा वस्तुओं जिसमें कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय में ई-फॉर्म डीआईआर-12 दाखिल करना शामिल है, हेतु बहुल रूप से प्राधिकृत किया जाता है".

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड**

आलोक गुप्ता
प्र.नि. एवं सीईओ

दिनांक: अगस्त 21, 2020
स्थान: मुम्बई

पता: स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई - 400051

---

1. वर्तमान कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों सपठित उनके परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (संयुक्त रूप से एमसीए परिपत्र के नाम से संदर्भित) के माध्यम से किसी आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है.

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं / स्वयं के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी / प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।

   चूंकि यह एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति को रोक दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी नोटिस और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के लिए संलग्न नहीं हैं।

3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी।

4. बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का इरादा रखने वाले कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति या निकाय संकल्प/प्राधिकरण आदि की प्रमाणित प्रति भेजें, जो बैठक में उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए प्राधिकृत करें और वोट दें।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 की उपधारा (1) के अनुसार की जाती है तथा उनके पारिश्रमिक को कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या ऐसे तरीके से तय किया जाना चाहिए जैसा कि कंपनी आम बठक में निर्धारित कर सकती है। इस वार्षिक आम बैठक में आपकी कंपनी के सदस्यों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया है.

6. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी सदस्यों को कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जा रहा है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी में किसी भी बदलाव को तुरंत poojak@mudra.org.in पर कंपनी को सूचित करें।

7. सदस्य कृपया नोट करें कि उक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 अधिनियम की धारा 103 के तहत कंपनी की वेबसाइट www.mudra.org.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

8. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में अपने प्रश्न, यदि कोई हो, कंपनी सचिव को, बैठक की तारीख से न्यूनतम 2 दिन पहले भेज दें, ताकि समय पर अपेक्षित जानकारी / स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके।

9. चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी, अत: इस सूचना में रूट मैप को संलग्न नहीं किया गया है।

10. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने का विवरण सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में इस सूचना की सभी मदों के व्याख्यात्मक विवरण संलग्न हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरणी:

मद संख्या 06:

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्रीमती स्मिता अफिनवाला (दीन: 07106628), आयु 57 वर्ष की आयु में मुद्रा के अतिरिक्त निदेशक (गैर - कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 4 जून, 2020 को 22 जून, 2020 के नियुक्ति पत्र के अनुसार तीन वर्षों की अवधि के लिये नियुक्त किया था। एक अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी कार्यकारी निदेशक) के रूप में उनकी नियुक्ति का अनुमोदन आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1), 150, 152 (2) और 161 (1) के अनुसार, श्रीमती स्मिता अफिनवाला अपनी आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करेंगी और 3 वर्ष तक के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र हैं।

श्रीमती स्मिता अफिनवाला से घोषणापत्र प्राप्त हुआ है कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है।

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को कंपनी के सदस्यों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

वह मुद्रा में शून्य इक्विटी शेयर रखती हैं. श्रीमती स्मिता अफिनवाला को छोड़कर कंपनी के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक, आर्थिक या अन्यथा, उक्त संकल्प में नहीं हैं।

आपके निदेशक सदस्यो द्वारा उक्त संकल्प के अनुमोदन की सिफारिश करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड**

आलोक गुप्ता
प्र.नि. एवं सीईओ

पता: स्वावलम्बन भवन, सी-11,
जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा पूर्व, मुम्बई - 400051

दिनांक: अगस्त 21, 2020
स्थान: मुम्बई

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः
स्वावलम्बन भवन, सी-11, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051.
www.mudra.org.in | ई-मेल: ceo@ mudra.org.in